[2020] 4 एस. सी. आर. 336

विजय करिया और ओआरएस।

वी.

प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस.

(2020 की सिविल अपील संख्या 1544)

13 फरवरी, 2020

[आर. एफ. नरीमन, अनिरुद्ध बोस और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 48 (1) (बी) विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन-फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन चाहे वह भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन हो-यदि कोई विशेष कार्य फेमा के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की जा सकती है-यदि इस तरह के उल्लंघन को माफ किया जा सकता है-इसलिए न तो पुरस्कार और न ही पुरस्कार द्वारा लागू किए जा रहे समझौते को कानून में कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता है। " मौलिक नीति "एक राष्ट्र के रूप में भारत की सार्वजनिक नीति के मूल मूल्यों को संदर्भित करती है, जो न केवल कानूनों में अभिव्यक्ति पा सकते हैं, बल्कि समय-सम्मानित, पवित्र सिद्धांतों का भी पालन कर सकते हैं। न्यायालय-इस दृष्टिकोण से, विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध इस आधार पर नहीं किया जा सकता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 48 (1) (बी) विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन-पक्ष के अनुरोध पर इनकार यदिवह पक्ष अदालत को प्रस्तुत करता है कि वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था अभिव्यक्ति "अन्यथा अपना मामला पेश करने में असमर्थ थी" - आयोजित की व्याख्या: अभिव्यक्ति "अन्यथा असमर्थ थी एस में होने वाले अपने मामले को प्रस्तुत करें। 48 (1) (ख) इसका विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है और इसे उक्त वाक्यांश से पहले के शब्दों के संदर्भ और रंग में पढ़ना होगा-यह अभिव्यक्ति यह प्राकृतिक न्याय का एक पहलू होगा, जिसका उल्लंघन केवल तभी होगा जब मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों को एस के पहले भाग के साथ एक निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई थी। 48 (1) (ख), यह अभिव्यक्ति सुनवाई के चरण में लागू होगी न कि पुरस्कार दिए जाने के बाद।इस तरह के उल्लंघन को किसी दिए गए तथ्यों पर स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए।मामला, और उस पुरस्कार को हमेशा न्यूनतम दिए जाने पर, नष्ट करने के बजाय बनाए रखने के झुकाव के साथ समर्थन के साथ पढ़ा जाना चाहिएएस के तहत विदेशी पुरस्कारों के साथ संभावित हस्तक्षेप। 48 अधिनियम-किसी भौतिक मुद्दे पर विचार करने में विफलता केवल एस के दायरे में नहीं आएगी। 48 (1) (ख) तथापि, यदि कोई विदेशी पुरस्कार किसी भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहता है जो मामले की जड़ तक जाता है या करने में विफल रहता है।किसी दावे या प्रतिवाद को पूरी तरह से तय करते हुए, न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले निर्णय को इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है - भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन, कि यह तब इस देश में न्याय की सबसे बुनियादी धारणा को आहत करेगा-खराब तर्क, जिसके द्वारा एक भौतिक मुद्दा या दावा खारिज कर दिया जाता है, कभी भी मामलों के इस वर्ग में नहीं आ सकता है विदेशी पुरस्कार को

समग्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और बिना निट-पिकिंग के पढ़ा जाना चाहिए-तत्काल मामले में, जब पुरस्कार को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो इसने पक्षों द्वारा उठाए गए बुनियादी मुद्दों को संबोधित किया है और सार में, पक्षों के दावों और जवाबी दावों का फैसला किया है, इसके प्रवर्तन का पालन करना चाहिए।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 48-विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन-के तहत हस्तक्षेप का दायरा कला. 136 - जहाँ तक विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन की बात है, विधायी नीति यह है कि किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने वाले निर्णय के खिलाफ अपील की जाती है, लेकिन इसके विपरीत नहीं (यानी किसी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने का आदेश)-ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका की नीति यह है कि ऐसे मामले में चेरी पर केवल एक काट होनी चाहिए जहां विदेशी पुरस्कार पर एस में निहित अत्यंत संकीर्ण आधारों पर आपत्तियाँ की जाती हैं। 48 अधिनियम और जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, यह इस तथ्य के अनुरूप है कि भारत विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 ("न्यूयॉर्क कन्वेंशन") का हस्ताक्षरकर्ता है और इस कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का इरादा रखता है कि एक व्यक्ति जो एक कन्वेंशन देश से संबंधित है, और जो ज्यादातर मामलों में, उक्त पुरस्कार के लिए उसके मूल देश में एक चुनौती प्रक्रिया से गुजरा है, तो इस तरह के पुरस्कार को भारत में जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त करने और लागू करने में सक्षम होना चाहिए। कला के तहत अधिकार क्षेत्र। 136 इसका उपयोग इस प्रकार निहित विधायी नीति को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए-भारत का संविधान-विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर समझौता, 1958।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के विपरीत, जो उक्त अधिनियम के भाग I में निहित है, और जो एक अपील प्रदान करता है'घरेलू' मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने या अलग रखने से इनकार करने के खिलाफ, जहां तक विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन की बात है, विधायी नीति यह है कि एक अपील प्रदान की जाती है।एक विदेशी को मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने वाले निर्णय के खिलाफपुरस्कार लेकिन इसके विपरीत नहीं (यानी किसी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने का आदेश)। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका की नीति यह है कि ऐसे मामले में जहां अधिनियम की धारा 48 में निहित अत्यंत संकीर्ण आधारों पर विदेशी पुरस्कार पर आपत्तियां की जाती हैं और जिन्हें खारिज कर दिया गया है, चेरी पर केवल एक काट होना चाहिए। यह इस तथ्य के अनुरूप है कि भारत विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 ("न्यूयॉर्क कन्वेंशन") का हस्ताक्षरकर्ता है और इस कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का इरादा रखता है कि एक कन्वेंशन देश से संबंधित है, और जो, ज्यादातर मामलों में, अपने मूल देश में उक्त पुरस्कार के लिए एक चुनौती प्रक्रिया से गुजरा है, तो ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।जितनी जल्दी हो सके भारत में मान्यता प्राप्त और लागू। यह इसलिए है ताकि ऐसा व्यक्ति किसी पुरस्कार का लाभ उठा सके जो दिया गया हैमध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत किए जा रहे प्रवर्तन का विरोध करने के आधारों के अधीन, चुनौती दी गई और किस चुनौती को उसके मूल देश में अस्वीकार कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग विधायी नीति को

दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। निहित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले पर इस अदालत के समक्ष कई दिनों से बहस की जा रही है जैसे कि यह किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने वाले फैसले की पहली अपील थी। यह देखते हुए किअनुच्छेद 136 के प्रतिबंधित मानदंड, वर्तमान जैसे मामलों में जहां किसी विदेशी निर्णय को मान्यता देने और लागू करने वाले निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है-इस न्यायालय को ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए, और केवल कानून का निपटारा करने की दृष्टि से अपील पर विचार करना चाहिए यदि कोई नया या अनूठा बिंदु विजय करिया और ओआरएस है।जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले उत्तर नहीं दिया गया है, ताकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उपयोग इस संबंध में भविष्य की मुकदमेबाजी के मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सके। इसके अलावा, यह केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 की घोर अवहेलना के एक बहुत ही असाधारण मामले में होगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे फैसले में हस्तक्षेप करेगा जो एक विदेशी पुरस्कार को मान्यता देता है और लागू करता है।हालाँकि अनुचित रूप से निर्णय का मसौदा तैयार किया गया हो सकता है। [पैरा 24] [375 एफ-एच; 376-ए-ई]

2. धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किए गए थे। "भारत के हित के विपरीत" के आधार को हटाने के लिए धारा 48 में संशोधन किया गया था। घरेलू पुरस्कारों को चुनौती देने के संदर्भ में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के बीच अंतर करती हैभारत में और भारत में आयोजित अन्य मध्यस्थता। जहाँ तक "भारत की सार्वजनिक नीति" के आधार का संबंध है, दोनों धाराएँ 34 और 48 अब समान हैं, ताकि भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, "भारत की सार्वजनिक नीति" से संबंधित चुनौती का आधार भारत में एक विदेशी निर्णय के प्रवर्तन का विरोध करने के आधार के समान होगा। 2015 के संशोधन अधिनियम की इस विशेषता में कहा गया है कि पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाले पेटेंट अवैधता से संबंधित सभी आधार भारत में किए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पुरस्कारों और विदेशी पुरस्कारों में हस्तक्षेप के दायरे से बाहर हैं जिनके प्रवर्तन का भारत में विरोध किया जाता है। [पारस 37,38] [390-एफ, एच; 391-ए-बी]

3. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन और मान्यता के लिए सामान्य दृष्टिकोण

अमेरिकी मामलों से पता चलता है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के "प्रवर्तन समर्थक पूर्वाग्रह" को देखते हुए, जिसे अनुभाग में अपनाया गया है 48 मध्यस्थता अधिनियम, 1996-पक्षों पर सबूत का बोझप्रवर्तन की मांग करने वाले पक्षों को अब प्रवर्तन पर आपत्ति करने वाले पक्षों पर रखा गया है न कि दूसरे तरीके से; शामिल देश की सार्वजनिक नीति की आड़ में, पक्षकारों के समझौते की मध्यस्थ की व्याख्या का दूसरा अनुमान लगाकर विदेशी पुरस्कारों को अलग नहीं किया जा सकता है; प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में चुनौती प्रक्रिया अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए अधिक छूट देती है। में निहित संकीर्ण प्रतिबंधात्मक आधारों की तुलना में एक पुरस्कार न्यूयॉर्क कन्वेंशन जब किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध किया जाता है। [पैरा 45] [397-सी-डी]

4. विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए न्यायालय का विवेक

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब पक्ष इसका विरोध करे।प्रवर्तन न्यायालय को इस बात का प्रमाण देता है कि उल्लिखित आधारों में से कोई भी प्रवर्तन का विरोध करने के लिए बनाया गया है। उक्त मैदान जलरोधक हैं-धारा 48 के बाहर कोई भी मैदान नहीं हो सकता है। देख लिया। इसके अलावा, धारा 48 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मई" है। जब किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए आधारधारा 48 में देखा गया है कि उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है-वे आधार जो मध्यस्थता के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।कार्यवाही; ऐसे आधार जो केवल पक्ष के हित को प्रभावित करते हैं; और जैसा कि धारा 48 (2) के स्पष्टीकरण 1 में समझाया गया है, वे आधार जो भारत की सार्वजनिक नीति में जाते हैं। जहां प्रवर्तन का विरोध करने का कोई आधार बनाया जाता है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर सवाल उठाया जाता है-जैसे कि मध्यस्थता समझौता स्वयं उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है, या जहां मतभेद का विषय भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, यह स्पष्ट है कि इन मामलों में कोई विवेकाधिकार नहीं हो सकता है। अधिकारिता के बिना किए गए विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन संभवतः नहीं किया जा सकता है

लागू करने के लिए विवेक का प्रयोग करने के लिए तराजू में तौला गयाऐसा पुरस्कार यदि तराजू उसके पक्ष में झुका हुआ है। दूसरी ओर, जहां प्रवर्तन का विरोध करने के लिए लिए गए आधारों को केवल पक्ष के हित से जोड़ा जा सकता है, उदाहरण के लिए, कि कोई पक्ष मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ रहा है, और कौन सा आधार छूट या परित्याग करने में सक्षम है, या, आधार बनाए जाने पर, इस तरह के आधार पर पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है, एक न्यायालय एक विदेशी पुरस्कार को अच्छी तरह से लागू कर सकता है, भले ही ऐसा आधार बनाया गया हो। जब "भारत की सार्वजनिक नीति" के आधार की बात आती है, तो फिर से, किसी ऐसे निर्णय को लागू करने में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा जो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित हो, या जो भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करता हो, या नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में हो। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा 48 में "हो सकता है" अभिव्यक्ति का अर्थ, संदर्भ के आधार पर, "होगा" या यह दर्शाता है कि विजय करिया और ओआरएस के आधारों के बावजूद, एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए न्यायालय में एक अवशिष्ट विवेकाधिकार बना रहता है।वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. क्योंकि इसका प्रतिरोध किया गया था। जो बात स्पष्ट है वह यह है कि इस विवेकाधिकार की चौड़ाई सीमित है, इस मामले में एक संतुलन अधिनियम है। विदेशी पुरस्कार लागू करने वाले न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। [पारस 46,53,54] [397-ई-एफ; 407-ई-जी; 408-ए-सी]

श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोजेटो ग्रानो एसपीए (2014) 2 एससीसी 433; फुलचंद एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम। 0.0. 0 पैट्रियट (2011) 10 एस. सी. सी. 300 [2011] 15 एस. सी. आर. 1129; एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। स्लीपवेल इंडस्ट्रीज (2019) 5 एस. सी. सी. [2019] 4 एससीआर 617; सोहन लाल गुप्ता बनाम। आशा देवी गुप्ता (2003) 7 एससीसी 492: [2003] 3 पूरक। एससीआर 249; ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी बनाम। डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (2017) एससीसी ऑनलाइन डेल 8932-संदर्भित सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड बनाम हबीबुल्लाह कोस्टल पावर कं. (2010) एस. जी. एच. सी. 62; पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कं.

सोसायटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डू पेपर 508 एफ. 2 डी 969 (1974); कम्पैग्नी डेस बॉक्साइट्स डी गिनी बनाम। हैमरमिल्स इंक. (1992) डब्ल्यूएल 122712; निश्चित लॉयड के लंदन बनाम में अंडरराइटर। बी. सी. एस. इन्स. कं. 239 एफ. उप. 2 डी 812 (2003); कराहा बोदास कं., एल. एल. सी. बनाम। (2004) ; एडमार्ट एजी वी। स्टीफन एंड मैरी बिर्च फाउंडेशन इंक. 457 एफ. 3 डी. 302 (2006); डल्ला रियल एस्टेट एंड टूरिज्म होल्डिंग कंपनी। मंत्रालय ने धार्मिक मामले, पाकिस्तान सरकार (2010) यूकेएससी 46-संदर्भित

5. धारा 48 के तहत प्राकृतिक न्याय का आधार

5.1 इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 48 का उद्देश्य कुछ अच्छी तरह से परिभाषित संकीर्ण अपवादों के अधीन विदेशी पुरस्कारों को लागू करना है, धारा 48 (1) (बी) में आने वाली अभिव्यक्ति "अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ थी" का विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है और इसे उक्त वाक्यांश से पहले के शब्दों के संदर्भ और रंग में पढ़ना होगा। संक्षेप में, यह अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय का एक पहलू होगी, जिसका उल्लंघन केवल तभी होगा जब मध्यस्थ द्वारा पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी जाएगी। धारा 48 (1) (बी) के पहले भाग के साथ पढ़ें, यह स्पष्ट है कि यह अभिव्यक्ति सुनवाई के चरण में लागू होगी, न कि उसके बाद। पुरस्कार दिया गया है, जैसा कि सांगयोंग में आयोजित किया गया है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ रहा है, यह देखने के लिए अच्छी कार्य परीक्षा है कि क्या पक्ष के नियंत्रण से बाहर के कारकों ने पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के लिए संयुक्त किया है। इस प्रकार, जहां किसी ऐसे तर्क से निपटने का कोई अवसर नहीं दिया गया था जो साक्षय के आधार पर मामले या निष्कर्षों की जड़ तक जाता है जो पक्ष की पीठ के पीछे जाएं और जिसके परिणामस्वरूप पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए न्याय से इनकार किया जाता है; या अतिरिक्त या नया साक्षय लिया जाता है जो उस पुरस्कार का आधार बनता है जिसके आधार पर किसी पक्ष को खंडन का कोई अवसर नहीं दिया गया है, किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर, एक विदेशी पुरस्कार को अलग करने के लिए उत्तरदायी बनाता हैयह आधार कि एक पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ रहा है। यह निश्चित रूप से इस चेतावनी के साथ होना चाहिए कि इस तरह का उल्लंघन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर बनाया गया है, और उस पुरस्कार को हमेशा समर्थन करने के बजाय बनाए रखने के लिए एक झुकाव के साथ पढ़ा जाना चाहिएधारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों के साथ संभव न्यूनतम हस्तक्षेप को देखते हुए नष्ट करना। [पैरा 76] [433-ई-एच; 434-ए]

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनामभारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सिविल 2019 की अपील संख्या 4779-पर भरोसा किया गया

न्यूनतम जर्मनी जी. एम. बी. एच. वी. फर्को स्टील लिमिटेड (1999) सी. एल. सी. 647; अजय कनोरिया बनाम। टोनी गिनीज (2006) ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 222; जोर्फ लासफर एनर्जी कं. वी. एएमसीआई निर्यात निगम। 2008 डब्ल्यू. एल. 1228930; डोंगवू मान + हम्मेल कंपनी लिमिटेड v. मान + हम्मेल जीएमबीएच (2008) एसजीएचसी 275; जिबांगबोला बनाम। स्मिथ और शेरिफ 1998 3 ऑल ईआर 730; बहमन इरवानी बनाम। अली इरवानी 1999 डब्ल्यू. एल. 1142456; वैन डेर गीसेन-डी-नूर्ड शिपबिल्डिंग डिवीजन बी. वी. बनाम। इमटेक मरीन एंड ऑफशोर बी. वी. (2008) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2904 (कॉम); मैलिकॉर्प लिमिटेड बनाम। अरब गणराज्य मिस्र की सरकार (2015)

ई. डब्ल्यू. एच. सी. 361 (कम); सोह बेंग टी एंड कंपनी बनाम। फेयरमाउंट डेवलपमेंट पीटीई लिमिटेड (2007) एसजीसीए 28; जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। एग्रीट्रेड इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड (2016) एसजीएचसी 126; जी. डी. माइडिया एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट कं. v. टोरनैडो कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड (2017) एस. जी. एच. सी. 193; हेबेई आयात और निर्यात निगम बनाम। पॉलीटेक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (1992) 2 एच. के. सी. 205; एस्कॉट कमोडिटीज एन. वी. बनाम ओलाम

इंटरनेशनल लिमिटेड 2001 डब्ल्यू. एल. 1560709; जेब्रा इंडस्ट्रीज बनाम। वाह टोंग पेपर प्रोडक्ट्स ग्रुप लिमिटेड (2012) एच. के. सी. यू. 1308; फ्रंट रो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स बनाम। डेमलर दक्षिण पूर्व एशिया (2010) एस. जी. एच. सी. 80; टी. एम. एम. प्रभाग समुद्री एस. ए. बनाम। पैसिफिक रिचफील्ड मरीन पीटीई लिमिटेड (2013) एसजीएचसी 186 ; ए. के. एन और ए. एन. आर. वी. ए. एल. सी. और अन्य। (2015) एस. जी. सी. ए. 18; बाज बनाम। बीबीए और ओआरएस। (2018) एस. जी. एच. सी. 275-संदर्भित।

5.2 यह मानना संभव नहीं है कि किसी भौतिक मुद्दे पर विचार करने में विफलता धारा 48 (1) (बी) के दायरे में आएगी। हालाँकि, यदि कोई विदेशी पुरस्कार किसी ऐसे भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहता है जो मामले की जड़ तक जाता है या किसी दावे या जवाबी दावे को पूरी तरह से तय करने में विफल रहता है, तो यह निर्णय न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर सकता है और इसे दरकिनार किया जा सकता है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कैम्पोस में भारत की सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के आधार पर किया था, क्योंकि यह तब इस देश में न्याय की सबसे बुनियादी धारणा को आहत करेगा। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि खराब तर्क, जिसके द्वारा एक भौतिक मुद्दा या दावा खारिज कर दिया जाता है, कभी भी इस वर्ग के मामलों में नहीं आ सकता है। इसके अलावा, जिन मुद्दों को न्यायाधिकरण आवश्यक मानता है और जिन पर ध्यान दिया गया है, उन्हें उनका उचित महत्व दिया जाना चाहिए-अक्सर ऐसा होता है कि न्यायाधिकरण किसी विशेष मुद्दे को आवश्यक मानता है और इसका जवाब देता है, जिसका निहितार्थ यह होगा कि अन्य मुद्दे या उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

[पारस 77,78] [434-सी-एफ]

कैम्पोस ब्रदर्स फ़ार्म्स बनाम. मातृ भूमि आपूर्ति श्रृंखला

प्रा. लिमिटेड (2019) 261 डीएलटी 201-पुष्टि की गई

6. फेमा नियमों का उल्लंघन

यदि कोई विशेष कार्य फेमा के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो रिजर्व बैंक की अनुमति

यदि इस तरह के उल्लंघन को माफ किया जा सकता है तो भारत को बाद में प्राप्त किया जा सकता है। न तो पुरस्कार, और न ही समझौते द्वारा लागू किया जा रहा हैअतः, पुरस्कार को विधि में अप्रभावी माना जा सकता है। यह मामला होने के कारण, फेमा के तहत एक सुधार योग्य उल्लंघन को कभी भी नहीं माना जा सकता है

भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन होना। यह मानते हुए भी कि गैर-ऋण लिखत नियमों के नियम 21 में कहा गया है कि भारत के निवासी द्वारा शेयरों को एक गैर-निवासी को उस राशि पर बेचा जाना चाहिए जो शेयरों के बाजार मूल्य से कम नहीं होगी, और एक विदेशी पुरस्कार यह निर्देश देता है कि ऐसे शेयरों को बाजार मूल्य से कम राशि पर बेचा जाए, भारतीय रिजर्व बैंक (2020) 4 एस. सी. आर. चुन सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कदम उठाएँ और निर्देश दें कि उपरोक्त शेयरों को केवल बाजार मूल्य पर बेचा जाए न कि रियायती मूल्य पर, या इस तरह के उल्लंघन को माफ करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, भले ही भारतीय रिजर्व बैंक को फेमा के तहत कार्रवाई करनी हो, लेकिन फेमा विनियमन या नियम के उल्लंघन के आधार पर विदेशी पुरस्कार को लागू न करना उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि उस हिसाब से पुरस्कार अमान्य नहीं हो जाता है। भारतीय कानून की मौलिक नीति, जैसा कि रेनुसागर में अभिनिर्धारित किया गया है, किसी ऐसे कानूनी सिद्धांत या विधान का उल्लंघन होना चाहिए जो भारतीय कानून के लिए इतना बुनियादी है कि यह

समझौता किए जाने की संभावना नहीं है "। मौलिक नीति "एक राष्ट्र के रूप में भारत की सार्वजनिक नीति के मूल मूल्यों को संदर्भित करती है, जो न केवल कानूनों में अभिव्यक्ति पा सकते हैं, बल्कि समय-सम्मानित भी हो सकते हैं।

पवित्र सिद्धांत जिनका न्यायालय द्वारा पालन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि इस आधार पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध नहीं किया जा सकता है। [पैरा 83] [439-सी-जी]

रेनुसागर पावर प्लांट कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं.

(1994) पूरक (1) एस. सी. सी. 644: [1993] 3 पूरक। एससीआर 22-पर निर्भर।

क्रूज़ सिटी 1 मॉरीशस होल्डिंग्स बनाम। यूनिटेक लिमिटेड (2017) 239 डी. एल. टी. 649; द्रौपदी देवी बनाम। भारत संघ (2012) 7 एससीसी 499: [2012] 6 एस. सी. आर. 307-पर निर्भर।

7. तथ्यों पर इस मामले में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को चुनौती

7.1 न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के काउंटर से निपटने में विफल रहा

जगुआर कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निगमन से संबंधित दावा।

अपीलार्थियों के अनुसार, आपत्ति का यह आधार-यानी जगुआर को शामिल करना-उनके द्वारा एक "गुप्त उल्लंघन" के रूप में अनुरोध किया गया था, जो उन्हें मध्यस्थता कार्यवाही के बहुत बाद के चरण में ही पता चला। न्यायाधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्रथम आंशिक अंतिम पुरस्कार में निर्णय देने के बावजूद कि एक गैर-चूक करने वाला पक्ष कर सकता है एक "गुप्त उल्लंघन" पर भरोसा करें और इसे जे. वी. ए. के खंड 23.4 के तहत चूक की एक अपरिवर्तित घटना के रूप में मान लें, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। पहला आंशिक अंतिम पुरस्कार केवल 15.02.2013 पर दिया गया था। जब प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी मौखिक प्रस्तुतियाँ दीं और लिखित विजय करिया और ओ. आर. एस. दाखिल किया।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस.

19.07.2013 पर प्रस्तुतियाँ बंद करते हुए, अपीलकर्ताओं ने अनुरोध नहीं किया

जगुआर के कारण उल्लंघन का कोई भी मामला। यह केवल अंतिम छोर पर था, यानी अपीलार्थियों की प्रतिक्रियाशील समापन प्रस्तुतियों में, जिस पर दायर किया गया था

20.08.2013 , कि न्यायाधिकरण को इस उल्लंघन पर निर्णय देने के लिए आमंत्रित किया गया था। जाहिर है, इस समय तक, प्रत्यर्थी को पहली बार इस मामले को पलटने का कोई अवसर नहीं मिला था

अपीलार्थी। चूंकि इस मामले को पहली बार कार्यवाही के अंतिम छोर पर रखा गया था, इसलिए दिनांक 19.12.2013 के दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार को पारित करने से पहले, मध्यस्थ को इस मामले से निपटने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। द्वितीय आंशिक अंतिम निर्णय में, न्यायाधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि खंड 21 पर अपीलार्थियों का मामला ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण और भारत में प्रत्यक्ष बिक्री तक सीमित था। अपीलार्थी का तर्क, कार्यवाही के अंतिम छोर पर दिया गया कि चूंकि प्रत्यर्थी के पास जगुआर के 99.99% शेयर थे, जो कि रेविन के समान केबल व्यवसाय में है, जैसा कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किया गया है।

जगुआर, एक ऐसा मामला है जिसका कभी पक्ष नहीं लिया गया है। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ अपने अधिकार क्षेत्र में था कि वह इस तथाकथित प्रति-दावे से बिल्कुल भी न निपटे। अतः यह आपत्ति इसमें उल्लिखित किसी भी आधार के अंतर्गत नहीं आती है।

इसलिए धारा 48 को अस्वीकार किया जाना चाहिए। [पारस 86,87] [441]

ई-जी; 442-सी-एफ]

7.2 न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के प्रतिवाद पर निर्णय लेने में विफल रहा-अपीलार्थियों के निष्कासन से संबंधित दावा

यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के काउंटर पर एक निर्धारण करने में विफल रहा है-यह दावा कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 और उसके परिवार को हटाने के प्रयास जे. वी. ए. का उल्लंघन है। अपीलार्थियों के मामले और प्रत्यर्थी के प्रति-मामले पर विचार करते समय, न्यायाधिकरण ने अभिवचनों, साक्षयों को स्वीकार किया है और दिया है

इस बारे में विस्तृत निष्कर्ष कि अपीलकर्ता जे. वी. ए. के भौतिक उल्लंघन में क्यों हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को जे. वी. ए. के भौतिक उल्लंघन में नहीं कहा जा सकता है। यह मामला होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस भौतिक मुद्दे का उत्तर द्वितीय आंशिक अंतिम पुरस्कार द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए, यह जमीन भी धारा 48 के तहत बताए गए किसी भी कबूतर-छेद के भीतर नहीं आती है। [पैरा 89] [445-ए-सी] [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.3 न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के काउंटर-रेविन ट्रेडमार्क के पंजीकरण से संबंधित दावे पर निर्णय लेने में विफल रहा

प्रथम आंशिक अंतिम पुरस्कार के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ के समक्ष क्या तर्क दिया गया था, और इसलिए

मध्यस्थ द्वारा उत्तर दिया गया कि क्या न्यायाधिकरण के पास ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौते में जाने का अधिकार क्षेत्र था। 12 और 13 दिसंबर, 2012 को मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चला कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा कभी कोई तर्क नहीं दिया गया था कि प्रत्यर्थी ने गुप्त रूप से रेविन ट्रेडमार्क को अपने नाम से पंजीकृत करने का प्रयास किया था, और इसलिए जे. वी. ए. के प्रतिस्पर्धा खंडों का उल्लंघन था। इस प्रकार, यह तर्क फिर से एक विचार के बाद प्रतीत होता है जिसका कोई आधार नहीं है

मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुतियाँ। [पारस 90,91] [445-ई; 447-डी-ई]

7.4 न्यायाधिकरण ने पक्षों के विशेषज्ञ के विपरीत काम किया

ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण के संबंध में गवाहों और महत्वपूर्ण साक्षयों की अनदेखी की गई

न्यायाधिकरण ने दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार में ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण पर विचार किया और कहा कि श्री करिया के समकालीनद्राका के अधिग्रहण पर प्रतिक्रिया, जिसके कारण 60 सहायक कंपनियों का अप्रत्यक्ष अधिग्रहण हुआ, जिनमें से एक ए. सी. पी. एल. थी, वह बहुत खुश थे कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने व्यवसाय का इतना विस्तार किया था। मध्यस्थ द्वारा कई बधाई ईमेल का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, मध्यस्थ ने पाया कि श्री करिया का

जिरह में दिए गए बयानों से पता चला कि उन्हें इस अधिग्रहण के बारे में नवंबर 2010 में जानकारी थी लेकिन कभी नहीं।

जे. वी. ए. के भौतिक उल्लंघन की शिकायत। मध्यस्थ ने गंभीर वास्तविक हानि या हानि के बारे में साक्षय की भी जांच की, जिसमें पाया गया कि नहीं

इस तरह के विश्वसनीय साक्षय, दोनों के सामयिक उदाहरणों को छोड़कर

एक ही व्यवसाय के लिए निविदा देने वाली कंपनियां। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि 'द्राका अधिग्रहण' के बाद रेविन का व्यवसाय खो गया था या कि रेविन से ए. सी. पी. एल. या इसके विपरीत व्यवसाय का कोई मोड़ हुआ था। मध्यस्थ ने तब कहा कि ए. सी. पी. एल. एक छोटा विशेषज्ञ केबल व्यवसाय है और

मुख्य रूप से इंस्ट्रूमेंटेशन केबल के क्षेत्र में काम करता है, जो

यह वह क्षेत्र नहीं है जिसमें रेविन काम करता है। विद्वान मध्यस्थ विजय करिया और ओआरएस।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस.

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में विशेषज्ञ गवाहों के साक्षय का भी समर्थन किया। इसने श्री करिया की प्रतिपरीक्षा का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया कि श्री करिया स्वयं ए. सी. पी. एल. को अपने छोटे व्यवसाय को देखते हुए 50 वां या 60 वां प्रतियोगी मानते थे। इसलिए, निष्कर्ष यह था कि ए. सी. पी. एल. का अधिग्रहण किसी भी तरह से जे. वी. ए. का गंभीर भौतिक उल्लंघन नहीं था। जहाँ तक अपनी सहायक ए. सी. पी. एल. के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता का संबंध है, ए. सी. पी. एल. प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रत्यक्ष सहायक कंपनी नहीं है, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 की मूल कंपनी की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है।

द्राका का अधिग्रहण। इसका एक स्वतंत्र निदेशक मंडल है। सबसे बढ़कर, ए. सी. पी. एल. इन मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। इसलिए न्यायाधिकरण ने प्रक्रियात्मक आदेश सं. 5 दिनांकित किया।

दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही। किसी भी स्तर पर अपीलकर्ताओं ने इस प्रक्रियात्मक आदेश के अनुपालन में कार्य नहीं किया औरए. सी. पी. एल. को अपने कब्जे में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए एक अंग्रेजी अदालत से संपर्क करें। ऐसा होने के कारण, कोई पक्ष प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है जब वह ऐसे पक्ष के नियंत्रण में था कि वह ऐसे दस्तावेजों को पेश करने के लिए यू. के. अदालत का दरवाजा खटखटाए।

ऐसा न किए जाने पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए यह आधार भी धारा 48 के तहत किसी भी आधार के अंतर्गत नहीं आता है। [पारस 94,95] [448-डी-एच; 449-ए-डी]

7.5 जे. वी. ए. की गलत व्याख्या।

मध्यस्थ द्वारा किसी समझौते की विकृत होने की व्याख्या ऐसा आधार नहीं है जिसे धारा 48 (1) (बी) में निहित किसी भी आधार के तहत बनाया जा सके। इसलिए यह जाने बिना कि क्या न्यायाधिकरण की व्याख्या संतुलित, सही है या नहीं। यहां तक कि प्रशंसनीय, इस आधार को अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 96] [449-एफ]

7.6 न्यायाधिकरण ने इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षय की अनदेखी की -

एजेंसी समझौतों और प्रत्यक्ष बिक्री का मुद्दा

इस ओर से पुरस्कार पर विचार करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने किसी भी तरह से प्रवेश या अन्य बातों की अनदेखी की है

प्रत्यक्ष बिक्री के मुद्दे के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षय।

मामला, यदि बिल्कुल भी हो, तो यह आधार पुरस्कार की कथित विकृति के लिए जाता है, जो धारा 48 के दायरे से बाहर है। [पैरा 98] [450-एफ-जी]

7.7 न्यायाधिकरण ने अलग-अलग सीमाओं को अपनाया

सामग्री उल्लंघन का निर्धारण करना

इस आधार के तहत लगाए गए सभी आरोप विकृति में जाते हैं।

पुरस्कार का, जो धारा 48 के दायरे से बाहर है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार के पैराग्राफ 104 से 106 में इंगित करता है कि भौतिक उल्लंघन का निर्धारण करने में कोई अलग-अलग सीमा नहीं अपनाई गई थी। [पैरा 99] [451-ए]

7.8 न्यायाधिकरण का चयनात्मक विचार

इस तर्क को हाथ से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह धारा 48 के मापदंडों के भीतर नहीं आता है। समान रूप से, न्यायाधिकरण काप्रमुख गवाहों के चयनात्मक और विकृत होने के साक्षय पर विचार उसी आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए। [पैरा 100] [451-जी-एच; 455-ए]

7.9 न्यायाधिकरण ने एक परस्पर विरोधी मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया

मध्यस्थ ने इस बिंदु पर कुछ विस्तार से विचार किया है और इसे खारिज कर दिया है। यह आपत्ति फिर से किसी के अधीन नहीं आती है

धारा 48 के आधार। [पैरा 101] [452-बी; 453-एच]

7.10 मूल्यांकन ने पावर प्लस में रेविन की हिस्सेदारी की अनदेखी की

डेलॉयट द्वारा ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन रिपोर्ट को मध्यस्थ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, यह भी दोनों पक्षों द्वारा ली गई स्थिति के विपरीत है। इस प्रस्तुति से निपटा गया था अंतिम पुरस्कार में बहुत विस्तार से मध्यस्थ। अन्य बातों के अलावा, मध्यस्थ ने जेवीए के खंड 17 का उल्लेख किया और कहा कि उक्त खंड का उसमें निर्धारित सूत्र के साथ डेलॉयट द्वारा पालन किया गया था। चूंकि ऐसा किया गया था, इसलिए डेलॉयट को संभवतः दोष नहीं दिया जा सकता है और आगे पावर प्लस में रेविन की हिस्सेदारी को ध्यान में रखने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह जे. वी. ए. के बाहर जाएगा।

विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस.

यह फिर से मध्यस्थ को निर्धारित करने का मामला है। यह फिर से एक ऐसा मैदान है जो पूरी तरह से बाहरी है जो धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों को चुनौती दे सकता है। [पैरा 102] [454-ए-डी]

7.11 मूल्यांकन तिथि

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन की तारीख पर पहुंचने में पक्षों की दलीलों के विपरीत काम किया

30.09.2014 , बहुत बाद में अंतिम पुरस्कार की तारीख जो 11.04.2017 है, क्योंकि पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी कि यह तारीख शेयर की वास्तविक बिक्री की तारीख के सबसे करीब की तारीख होनी चाहिए और केवल 31.12.2014 तक ही मान्य होगी। मध्यस्थ ने इस आपत्ति को अंतिम निर्णय दिनांक 11.04.2017 में निपटाया। यह पाए जाने के बाद कि मूल्यांकन रिपोर्ट में देरी मुख्य रूप से अपीलार्थियों के कारण हुई थी और इसलिए 30.09.2014 की सहमत तिथि सही तारीख है, पुरस्कार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस न्यायालय की अंतरात्मा को दूर से भी झकझोर दे। यह मैदान भी हैइसलिए अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की याचिका, ताकि मूल्यांकन की तारीख को 30.09.2014 से निर्णय की तारीख में स्थानांतरित किया जा सके, भी मध्यस्थ के निष्कर्ष को देखते हुए खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में

कुछ भी एक प्रवर्तन अदालत को एक विदेशी पुरस्कार में जोड़ने या घटाने की अनुमति नहीं देगा, जिसे धारा 48 के तहत किसी भी आधार के कारण लागू या अस्वीकार किया जाना चाहिए, जो इस तरह के विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का उपयोग मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में निहित विधायी नीति को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

[पैरा 103] [454-ई; 455-एफ-एच; 456-ए]

7.12 फेमा और उसके तहत नियमों का उल्लंघन

मध्यस्थ ने आई. एन. आर. 63.90 प्रति शेयर का पुरस्कार दिया।

डेलॉयट मूल्यांकन, जो जे. वी. ए. के खंड 17 के तहत अनुबंध रूप से बाध्यकारी था। मेसर्स कल्याणीवाला एंड मिस्त्री की दिनांकित 04.03.2016 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रति शेयर INR 16.88 का कम मूल्यांकन स्वीकार नहीं किया गया था। [पैरा 105] [456-ई]

7.13 न्यायाधिकरण का पक्षपात

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मध्यस्थ स्पष्ट रूप से पक्षपाती था कि दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार का परिणाम स्पष्ट था [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रेविन के लिए कर्मचारी, दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार से दो महीने पहले, जिससे पता चलता है कि यह एजेंट कार्यवाही के परिणाम के बारे में स्पष्ट था। उत्तरदाता द्वारा इसका दृढ़ता से खंडन किया गया था, यह कहते हुए कि किसी भी समय गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स को उनके द्वारा बनाए नहीं रखा गया था। वास्तव में, मैसर्स की2 पीपल नामक एक एजेंसी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था संभावित उम्मीदवार जिन्हें कंपनी के लिए भर्ती किया जा सकता है

नियत समय पर। मेसर्स की2 पीपल ने बदले में मेसर्स गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स को नियुक्त किया। किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी ने 28.10.2013 के अपने ईमेल द्वारा मेसर्स की2 पीपल की सगाई को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। इस प्रकार पक्षपात का आरोप स्पष्ट रूप से एक हताश विचार था। यह तर्क कि मध्यस्थ था

अन्यथा अंतिम पुरस्कार में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया था। [पैरा 106] [456-एफ-एच; 457-ए]

8. एकमात्र मध्यस्थ ने साक्षय पर विस्तृत चर्चा की

और प्रत्येक मुद्दे, दावों और प्रति-दावों के लिए विस्तृत निष्कर्ष पर पहुंचे, और अंत में प्रत्यर्थी के मामले को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थियों को खारिज कर दिया। इस तथ्य को देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र अपने आप में सीमित है, और इस तथ्य को देखते हुए कि इस न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से एक ऐसे मामले द्वारा लिया गया है जिसे पहले ही गुण-दोष के आधार पर चार विस्तृत पुरस्कारों और विवादित निर्णय द्वारा निपटाया जा चुका है, इन अपीलों को 50 लाख रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसका भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया जाना है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को। [पैरा 107] [458-बी-सी]

मामला कानून संदर्भ

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

(2014) 2 एस. सी. सी. 433

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2011] 15 एससीआर 1129

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2019] 4 एससीआर 617

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 पूरक। एससीआर 249

संदर्भित किया गया है

पैरा 57

[2012] 6 एससीआर 307

संदर्भित किया गया है

पैरा 84 विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1544

2020 का

के साथ 2022 की सिविल अपील संख्या 1545।

2017 की मध्यस्थता याचिका संख्या 442 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 07.01.2019 से। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, नकुल दीवान, रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोअज्जम खान, सुश्री भावना सुंदर, अमित भंडारी, प्रद्युम्न गोहिल,

श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित, अलीपक बनर्जी, बृजेश उज्जैनवाल, विकास सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

कपिल सिब्बल, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री श्रेया गुप्ता, सुश्री आकांक्षा बनर्जी, राघव तन्खा, सुश्री अनुषा नागराजन, अपूर्व सिंघल, राजा डूंगरवाल, कुणाल वाजानी, सुश्री सोनम गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया थाआर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के दिनांक 07.01.2019 के फैसले के खिलाफ दायर की जाती है, जिसके द्वारा चार अंतिम होते हैं।

लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूल्स (2014) (इसके बाद "एल. सी. आई. ए. रूल्स" के रूप में संदर्भित) के तहत लंदन में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कारों को भारत में अपीलार्थियों के खिलाफ लागू करने योग्य माना गया था।

3. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी, अर्थात।

अपीलार्थी सं. 1 श्री विजय करिया और अपीलार्थी सं. 2 से 39 (जो हैं)

अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रतिनिधित्व) रेविन केबल्स लिमिटेड (इसके बाद "रेविन" के रूप में संदर्भित) के व्यक्तिगत, गैर-कॉर्पोरेट शेयरधारक हैं। आई. डी. 1 पर, अपीलकर्ताओं और रेविन ने प्रत्यर्थी संख्या 1, यानी इटली के कानूनों के तहत पंजीकृत एक कंपनी, प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एस. आर. एल. के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता (जिसे इसके बाद "जे. वी. ए". के रूप में संदर्भित किया गया है) किया।

इस जेवीए द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रेविन की शेयर पूंजी में बहुमत हिस्सेदारी (51 प्रतिशत) का अधिग्रहण किया। जे. वी. ए. के भौतिक खंड नीचे दिए गए हैं:

" 8. उद्देश्य और उद्देश्य

8.1 कंपनी का उद्देश्य और समझौते का दायरा

बंद होने के बाद, कंपनी [2020] 4 एस. सी. आर. के उद्देश्यों के लिए प्रिस्मियन और मौजूदा शेयरधारकों के बीच एक संयुक्त उद्यम होगी।

कंपनी के व्यवसाय को शुरू करने और संचालित करने का, या

ऐसी अन्य गतिविधियों के लिए जो समय-समय पर शेयरधारकों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, लागू कानून के अधीन। कंपनी का व्यवसाय कंपनी के सर्वोत्तम हित में किया जाएगा।

(i) समझौते की तारीख से सात (7) वर्ष की समाप्ति; या((ii) वह तिथि जब मौजूदा शेयरधारकों की कंपनी की शेयर पूंजी का कम से कम दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) कुल मिलाकर नहीं रह जाता है:

जो भी पहले हो।

एतद्द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि श्री करिया, ऐसे कार्यकाल के दौरान, कंपनी की आम बैठक में एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हटाए जाने के हकदार नहीं होंगे।

“12.6. 4. उपर्युक्त खंड 12.6 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। 3 , प्रबंध निदेशक कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।

कंपनी के सी. ई. ओ. की नियुक्ति ("अंतरिम अवधि") तक, समापन तिथि पर बोर्ड द्वारा अपनाई गई अंतरिम अवधि नीति "

"12.6. 5 अंतरिम प्रवाह के बाद जितनी जल्दी हो सके

" एकीकरण अवधि), कंपनी के प्रबंधकों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए ("शक्तियों का प्रत्यायोजन नीति")ऐसी शक्ति प्रत्यायोजन नीति के अनुसार कंपनी के प्रबंधकों को नहीं सौंपी गई सभी शक्तियां संयुक्त रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक को सौंपी जाएंगी।

"12.6. 6 बशर्ते कि यह समग्र पर्यवेक्षण के अधीन हो

बोर्ड का, एकीकरण अवधि के प्रवाह के बाद, प्रबंध निदेशक पूरी तरह से ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. के प्रबंधन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आंतरिक लेखापरीक्षा के साथ-साथ कंपनी की रणनीति और व्यवसाय विकास और बोर्ड द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए बोर्ड को अपने निष्कर्ष और विश्लेषण प्रस्तुत करना। तदनुसार वे सभी शक्तियाँ जो शक्ति प्रत्यायोजन नीति के अनुसार कंपनी के प्रबंधकों को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, प्रबंध निदेशक को इस हद तक प्रत्यायोजित की जाएंगी कि ऐसी शक्तियाँ उनके कर्तव्यों के भीतर आती हैं। 12.6. 7 एकीकरण अवधि के बाद, प्रबंध निदेशक कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी में प्रबंध निदेशक की सहायता के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। यह आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेगा और कार्यात्मक रूप से प्रिस्मियन एस. पी. ए. के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को रिपोर्ट करेगा।

"12.7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

12.7. 1 सी. ई. ओ. की नियुक्ति उनके द्वारा की जाएगी और वे सीधे उन्हें रिपोर्ट करेंगे।

बोर्ड।

12.7. 2 उपर्युक्त खंड 12.7 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। 1 , सी. ई. ओ. अपनी नियुक्ति की तारीख से एकीकरण अवधि के प्रवाह तक, कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

कंपनी प्रबंध निदेशक के साथ संयुक्त रूप से।

12.7. 3 बशर्ते कि यह समग्र पर्यवेक्षण के अधीन हो

बोर्ड के, एकीकरण अवधि के प्रवाह के बाद, सी. ई. ओ. केवल आंतरिक लेखा परीक्षा और कंपनी की रणनीति और व्यावसायिक विकास को छोड़कर कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके लिए प्रबंध निदेशक जिम्मेदार होंगे। तदनुसार वे सभी शक्तियाँ जो शक्ति प्रत्यायोजन नीति के अनुसार कंपनी के प्रबंधकों को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, सीईओ को इस हद तक प्रत्यायोजित की जाएंगी कि ऐसी शक्तियाँ उनके कर्तव्यों के भीतर आती हैं।

" 17. निष्पक्ष बाजार मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया 17.1 इस समझौते में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, उचित बाजार मूल्य के लिए इस समझौते में सभी संदर्भ ईबीआईटीडीए, शुद्ध वित्तीय ऋण (एनएफआई) और शुद्ध कार्य [2020] 4 एस. सी. आर. की परिभाषा को लागू करते हुए निर्धारित उचित बाजार मूल्य होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत में स्थापित निम्नलिखित चार लेखा फर्मों में से किसी एक द्वारा अनुसूची X के तहत निर्धारित पूंजी (एन. डब्ल्यू. सी.): (ए) केपीएमजी

(ख) अर्न्स्ट एंड यंग;

(ग) प्राइसवाटरहाउसकूपर्स;

(घ) डेलॉयट

17.2 लेखा फर्म को पार्टी द्वारा उपरोक्त खंड 17.1 के तहत इंगित किए गए लोगों में से चुना जाएगा, जिसके अनुसार -

खंड 23 और 24, दूसरे पक्ष द्वारा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरे पक्ष को बेचने के लिए कहा जाता है; या उस पक्ष द्वारा जो खंड 11.5 (iv), 16 और 23 के अनुसार, दूसरे पक्ष को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से खरीदने के लिए कहता है (दोनों ही मामलों में "बाहर निकलने वाला पक्ष")। यदि बाहर निकलने वाला पक्ष (i) उस सूचना की प्राप्ति से तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर लेखा फर्म का चयन करने में विफल रहता है जिसके द्वारा दूसरा पक्ष उसने उसे कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी या आंशिक रूप से दूसरे पक्ष को बेचने के लिए सूचित किया है; या (ii) कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी या आंशिक रूप से खरीदने के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस देने से, फिर लेखा फर्म को उस पक्ष ("गैर-निर्गमन पक्ष") द्वारा चुना जाएगा जिसने दूसरे पक्ष को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी या आंशिक रूप से दूसरे पक्ष को बेचने के लिए कहा था या निर्गमन पक्ष द्वारा कंपनी में निर्गमन पक्ष की हिस्सेदारी पूरी या आंशिक रूप से खरीदने के लिए बुलाया गया था।

" 20. पारस्परिक करार और उपक्रम

XXX XXX XXX20.1. 2 दोनों पक्ष आगे सहयोग करने और अच्छे से काम करने के लिए सहमत हैं

विश्वास, निष्पक्षता और समानता जैसा कि उनके बीच है।" 21. भारत में व्यापार

21.1 पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि न तो प्रिस्मियन और न ही श्री करिया, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से हों या अपने सहयोगियों के माध्यम से, भारत में केबल व्यवसाय में निवेश, अधिग्रहण या भाग लेंगे, इस समझौते के अनुसार कंपनी के माध्यम से और इसके अलावा।

"21.5 इसके अलावा, यह सहमति है कि 31 मार्च, 2011 के भीतर, प्रवर्तक किसी भी ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. में या तो रुक जाएंगे या उनकी कोई रुचि नहीं रहेगी।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वे वर्तमान में भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संबद्ध के माध्यम से ऐसी गतिविधि कर रहे हैं या करेंगे, जो कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा में है। इस तरह की बंद गतिविधियों को श्री करिया द्वारा कंपनी को खंड 21.2 के अनुसार ऐसी समाप्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पेश नहीं किया जाएगा।

स्पष्टता के लिए, यह सहमति है कि यह खंड 21.4

(i) विजय इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स, के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों को सीमित किए बिना लागू करें।

भारत और इसका पंजीकृत कार्यालय 303, आकृति व्यापार केंद्र, तीसरी मंजिल, रोड नं। 7 , एम. आई. डी. सी., मारोल, अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400093 (ii) स्पेशल केबल इंडस्ट्रीज, भारत के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-1/404 जी. आई. डी. सी. एस्टेट, अंकलेश्वर 393002 में है।

" 23. पूर्वनिर्धारित घटना

23.1 यदि कोई पक्ष ("चूक करने वाला पक्ष") इस समझौते के तहत किसी भी प्रावधान, दायित्वों, समझौतों, शर्तों और उपक्रमों का भौतिक उल्लंघन कर रहा है, या चूक करने वाले पक्ष की दिवालियापन या दिवालियापन की स्थिति में या यदि चूक करने वाले पक्ष का पर्याप्त उपक्रम या संपत्ति प्राप्ति के अधीन है या कोई अन्य

समतुल्य स्थिति, इसे डिफ़ॉल्ट घटना ("डिफ़ॉल्ट घटना") के रूप में माना जाएगा।

23.2 ऐसी स्थिति में, दूसरा पक्ष ("गैर चूक करने वाला पक्ष") उसी ("निर्धारण सूचना") की सूचना दे सकता है।

डिफ़ॉल्ट पार्टी।

23.3 चूक करने वाले पक्ष के पास चूक की घटना ("सुधार अवधि") को सुधारने के लिए निर्धारण सूचना (या ऐसी आगे की अवधि जो गैर-चूक करने वाला पक्ष लिखित रूप में सहमत हो सकता है) की प्राप्ति से 60 (साठ) कैलेंडर दिनों की अवधि होगी। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खंड 23.3 लागू नहीं होता है यदि चूक की घटना का प्रतिनिधित्व चूक करने वाले पक्ष की दिवालियापन या दिवालियापन द्वारा किया जाता है, जिस स्थिति में गैर-चूक करने वाला पक्ष तुरंत चूक करने वाले पक्ष को ईओडी नोटिस दे सकता है।

23.4 यदि सुधार अवधि की समाप्ति पर, चूक की घटना को इतना ठीक नहीं किया गया है कि गैर-चूक करने वाले पक्ष को आवश्यकता हो सकती है

चूक करने वाले पक्ष को लिखित सूचना ("ईओडी सूचना") द्वारा (i) चूक न करने वाले पक्ष या ऐसे अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए जो [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गैर-चूक करने वाली पार्टी द्वारा नामित किया जाए, सभी, लेकिन सभी से कम नहीं, चूक करने वाली पार्टी ("चूक करने वाली पार्टी") द्वारा रखे गए शेयरशेयर) उचित बाजार मूल्य ("रियायती मूल्य") पर 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की छूट पर या (ii) गैर-चूक करने वाले पक्ष से सभी, लेकिन सभी से कम नहीं, गैर-चूक करने वाले पक्ष द्वारा उचित बाजार मूल्य ("प्रीमियम मूल्य") पर 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) पर रखे गए शेयर खरीदें। फिर चूक करने वाला पक्ष या तो (I) ई. ओ. डी. सूचना के 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के भीतर कंपनी में अपने सभी शेयरों को बेच देगा, लेकिन सभी से कम नहीं, या (II) सभी, लेकिन सभी से कम नहीं, गैर-चूक करने वाले पक्ष के शेयरों को खरीद लेगा।

कंपनी, जैसा भी मामला हो, ईओडी सूचना के 30 (तीस) कैलेंडर दिनों के भीतर।

23.5 एतद्द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि:

23.5. 1 यदि प्रिस्मियन चूक करने वाला पक्ष है, तो केवल श्री करिया (और मौजूदा शेयरधारक नहीं) या तो (ए) सभी (लेकिन सभी से कम नहीं) प्रिस्मियन शेयरों को रियायती मूल्य पर खरीदने या (बी) प्रिस्मियन को सभी (लेकिन अपने सभी शेयरों से कम नहीं) और मौजूदा शेयरधारकों के शेयरों को प्रीमियम मूल्य पर बेचने के हकदार होंगे।

23.5. 2 यदि श्री करिया या कोई मौजूदा शेयरधारकचूक करने वाला पक्ष, तब प्रिस्मियन या तो (ए) श्री करिया और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा रखे गए सभी (लेकिन सभी से कम नहीं) शेयरों को रियायती मूल्य पर खरीदने या (बी) श्री करिया को अपने सभी (लेकिन सभी से कम नहीं) शेयरों को प्रीमियम मूल्य पर बेचने का हकदार होगा।

स्पष्टता के लिए, पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस उद्देश्य के लिए खंड 23.5 श्री करिया शेयरों, प्रिज्मियन शेयरों और मौजूदा शेयरधारकों के शेयरों के किसी भी संदर्भ में उपरोक्त खंड 10.4 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी या उनके संबंधित संबद्धों को हस्तांतरित किए गए किसी भी शेयर को शामिल माना जाएगा।

27.1 विवाद का समाधान 27.1. 1 दोनों पक्ष इस समझौते की शर्तों के समय पर और पूर्ण प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किसी भी विवाद को जल्दी और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं।

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समझौते या मध्यस्थता समझौते की वैधता या अस्तित्व, या इसके किसी भी उल्लंघन या कथित उल्लंघन का निपटारा विशेष रूप से मध्यस्थता के नियमों के तहत मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ("एल. सी. आई. ए".) में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

27.1. 3 मध्यस्थ न्यायाधिकरण ("न्यायाधिकरण") में एक (1) मध्यस्थ होगा, जिसे एल. सी. आई. ए. द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थ एक तटस्थ राष्ट्रीयता से होगा, यानी किसी भी पक्ष के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीयता और मूल से होगा।

27.1. 5 मध्यस्थता में उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। 27.1. 6 कानून लागू और मध्यस्थता समझौते (मध्यस्थता समझौते का उचित कानून) को नियंत्रित करता है और सभी मामलों में

कार्यवाही के संचालन सहित अंग्रेजी कानून होगा। यदि उपर्युक्त संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाता है या वह किसी भी कारण से मध्यस्थता कार्यवाही का प्रशासन करने में असमर्थ है, तो मध्यस्थता का संचालन (अंग्रेजी) मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है या कोई भी कानून जो उक्त अधिनियम को प्रतिस्थापित कर सकता है।

27.1. 7 पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित और उसके किसी भी वैधानिक अधिनियम के रूप में) के भाग I का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा मध्यस्थता समझौता या मध्यस्थता का संचालन या मध्यस्थता की धारा 9 के प्रावधानों सहित मध्यस्थता समझौते और भाग I के प्रावधानों के तहत दिए गए किसी भी निर्णय को अलग करने के लिए।

सुलह अधिनियम, 1996 को एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

27.1. 9 मध्यस्थता पुरस्कार ("पुरस्कार") अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

27.1.10 लंदन (यूनाइटेड किंगडम) की अदालतों के पास होगा

मध्यस्थता और मौजूदा शेयरधारकों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के संबंध में अनन्य अधिकार क्षेत्र उक्त न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है। बशर्ते कि पुरस्कार को किसी भी उपयुक्त अधिकार क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। अगर लागू किया जाए

भारत में यह पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार होगा जिसे विधायी [2020] 4 एस. सी. आर.

प्रभावी बनाने के लिए लागू भारतीय अधिनियम में शामिल प्रावधान

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 (न्यूयॉर्क कन्वेंशन) लागू होगा (वर्तमान में (भारतीय) का भाग II)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996)।

4. उसी तारीख के एक अलग 'नियंत्रण प्रीमियम समझौते' द्वारा, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलार्थियों को 'नियंत्रण प्रीमियम' के रूप में €5 मिलियन का भुगतान किया।

रेविन की शेयर पूंजी के अधिग्रहण के लिए।

5. 10.08.2010 पर, जे. वी. ए. के खंड 12 के अनुसार-अंतरिम के रूप में

जे. वी. ए. के तहत छह महीने की अवधि समाप्त हो गई थी-एक श्री लुइगी सरोगनी को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा रेविन के सी. ई. ओ. के रूप में नियुक्त किया गया था। 'एकीकरण अवधि' की समाप्ति तक, रेविन को छह महीने की एक और अवधि के लिए उक्त सीईओ और प्रबंध निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाना था। वास्तव में, हालांकि, हमें सूचित किया जाता है कि उक्त 'एकीकरण अवधि' दिसंबर 2010 के बाद भी जारी रही और सितंबर 2011 तक जारी रही। 6. अप्रैल 2011 में, श्री जियानकार्लो एस्पोसिटो को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा रेविन के एच. आर. निदेशक के रूप में नामित किया गया था। आई. डी. 1 को, रेविन के निदेशक मंडल ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा नियुक्त सी. ई. ओ. को कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन की विशेष शक्तियां प्रदान कीं। यह प्रतिवादी संख्या 1 का मामला है कि नियुक्त सीईओ था

इस 'एकीकरण अवधि' के दौरान कंपनी को संयुक्त रूप से प्रबंधित करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप, नवंबर 2011 में, निदेशक मंडल द्वारा श्री सरोगनी के स्थान पर सुश्री सिंजिया फरीस को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि 01.11.2011 के बोर्ड प्रस्ताव ने सुश्री फरीस को स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने की शक्ति प्रदान की थी, इसलिए उन्होंने उनकी मंजूरी के बिना अस्थायी रूप से रोक लगा दी और नई भर्ती पर रोक लगा दी, जिसका अपीलकर्ताओं द्वारा उल्लंघन किया गया था। बाद में, दिसंबर 2011 से फरवरी 2012 तक, सुश्री फरीस ने रेविन के सी. एफ. ओ. के रूप में श्री ब्रुनेटी की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए एक बोर्ड-बैठक बुलाने की मांग की, जिसे प्रतिवादी के निदेशकों द्वारा सहमति दी गई थी, लेकिन अपीलकर्ता के निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। जब कंपनी के कर्मचारी रवीन के आकृति कार्यालय में हड़ताल पर चले गए तो 31.01.2012 पर चीजें चरम पर पहुंच गईं। फरवरी 2012 तक, अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच टकराव हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जे. वी. ए. के खंड 27 के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए एक अनुरोध जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने जे. वी. ए. के 'भौतिक उल्लंघन' किए थे, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थी संख्या 1 को रेविन के नियंत्रण से पूरी तरह से हटा दिया था। 26.03.2012 पर, अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता के अनुरोध का जवाब दिया और कई जवाबी दावे शामिल किए। प्रत्येक पार्टी ने दावा किया कि दूसरे ने भौतिक उल्लंघन किए थे, जिसके परिणामस्वरूप विजय करिया और ओआरएस।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जिसमें से मध्यस्थता में सफल पक्ष जे. वी. ए. के तहत दूसरे पक्ष को 10 प्रतिशत प्रीमियम या छूट (जैसा भी मामला हो) पर खरीदने का हकदार होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि जे. वी. ए. को एक सेवा की आवश्यकता थी

7. एक प्रारंभिक झड़प दिनांकित 07.06.2012 पत्र में निहित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विद्वान मध्यस्थ विवादित था, क्योंकि उसे प्रतिवादी के अधिवक्ताओं, भरुचा और भागीदारों द्वारा एक अन्य असंबद्ध मामले में वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, 08.06.2012 पर, भरुचा और पार्टनर्स ने एक पत्र लिखा जिसमें स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई संघर्ष नहीं था। एकमात्र मध्यस्थ ने भी इस तरह के किसी भी संघर्ष से इनकार किया। एल. सी. आई. ए. रजिस्ट्री ने अपीलार्थियों को सूचित किया कि यदि वे चाहें तो एल. सी. आई. ए. नियमों के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने ऐसी किसी भी चुनौती का अधिकार छोड़ दिया। नतीजतन, 04.07.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष अपना दावा विवरण दायर किया। 09.09.2012 पर, अपीलकर्ताओं ने तब अपने बचाव और जवाबी दावों का बयान दायर किया। 28.09.2012 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जवाबी दावे के लिए अपना प्रत्युत्तर और विरोध दायर किया। 8. इस बीच, विद्वान मध्यस्थ द्वारा दस्तावेजों आदि को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक आदेश पारित किए गए। इसके बाद दिसंबर 2012 में जे. वी. ए. के विभिन्न खंडों के निर्माण से संबंधित प्रश्नों और अपीलार्थियों के कुछ जवाबी दावों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाए गए अधिकार क्षेत्र के मुद्दों पर सुनवाई हुई। इन मुद्दों को तय करते हुए, जिसे 'प्रथम आंशिक अंतिम पुरस्कार' दिनांक 15.02.2013 कहा गया था, एकमात्र मध्यस्थ ने पहले पुरस्कार के दायरे को यह कहते हुए चित्रित किया कि यह केवल जे. वी. ए. की व्याख्या के मुद्दों तक ही सीमित था।

और अधिकारिता के प्रश्न, और न कि किसी भी दावे या योग्यता के लिए

जवाबी दावे किए गए। विशेष रूप से, एकमात्र मध्यस्थ ने जे. वी. ए. के खंड 21.1 का निम्नलिखित रूप में अर्थ निकाला:

" 82. यह तब सीधे तौर पर दायरे और अर्थ पर सवाल उठाता है।

खंड 21.1 में उपयोग किए गए शब्दों में से जब प्रत्येक दावेदार और [2020] 4 एस. सी. आर.

प्रथम उत्तरदाता इस बात पर सहमत हुआ कि वह सीधे या अपने सहयोगियों के माध्यम से कंपनी के माध्यम से भारत में केबल व्यवसाय में निवेश, अधिग्रहण या भाग नहीं लेगा।

समझौता "।83. न्यायाधिकरण का निष्कर्ष है कि ये शब्द स्वयं दावेदार को सीधे भारत में केबल बेचने से नहीं रोकते हैं। इस तरह की प्रत्यक्ष बिक्री अभी भी जे. वी. ए. के खंड 8 या वास्तव में खंड 20 का उल्लंघन हो सकती है, लेकिन एकल गतिविधि के रूप में प्रत्यक्ष बिक्री भारत में केबल व्यवसाय में निवेश, अधिग्रहण या भागीदारी नहीं है।

84. न्यायाधिकरण को ऐसा लगता है कि इन अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक दीर्घकालिक जुड़ाव, व्यवस्था के विभिन्न रूपों को दर्शाता है या

प्रतिबद्धता जिसमें या तो निवेश या पूंजी का आदान-प्रदान शामिल है या यह जानना कि भारत में केबल व्यवसाय की समग्र परिभाषा द्वारा पहचानी गई गतिविधियों के क्षेत्र में निवेशक, अधिग्रहणकर्ता या प्रतिभागी की ओर से कैसे।

85. एक व्यक्ति जो किसी अन्य पक्ष को माल की बिक्री का अनुबंध करता है, वह भारत में केबल व्यवसाय में निवेश, अधिग्रहण या भाग लेने के सामान्य बोलचाल के अनुसार नहीं है। 86. इसलिए, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि जे. वी. ए. के सही निर्माण पर केवल संविदात्मक परिभाषा के साथ तैनात शब्दों के सामान्य अर्थ को लागू करके, उत्तरदाता अपनी प्राथमिक प्रस्तुति में सफल नहीं होते हैं, अर्थात् -

दावेदार द्वारा स्वयं या उसकी सहायक कंपनियों के माध्यम से सीधे भारत में केबलों की बिक्री के एक या अधिक अनुबंधों के समापन ने जे. वी. ए. के खंड 21.1 की शर्तों के विपरीत भारत में केबल व्यवसाय में निवेश, अधिग्रहण या भागीदारी का गठन किया।

केबल व्यवसाय की परिभाषा जो सीधे दावेदार या उसके सहयोगियों द्वारा और रेविन के माध्यम से समाप्त की गई है, अपने आप में खंड 21.1 का उल्लंघन नहीं है। 94. हालाँकि, ऐसे अनुबंधों की एक श्रृंखला का समापन, तथ्यों के आधार पर, खंड 8 या खंड का उल्लंघन हो सकता है।

20 जे. वी. ए. इसके अलावा, न्यायाधिकरण प्रत्यर्थियों द्वारा किसी प्रकार के ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. का आरोप लगाने और साबित करने की संभावना से इनकार नहीं करता है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निवेश या भागीदारी जिसमें किसी प्रकार की दीर्घकालिक संविदात्मक व्यवस्था शामिल हो जिसमें बिक्री, निर्यात, आयात या वितरण शामिल हो। हालाँकि, यहाँ कहा गया कुछ भी किसी भी तरह से निर्णय नहीं लेता है।

या ऐसे किसी आरोप की भौतिकता पर विचार करता है या

इस तरह के किसी भी उल्लंघन के परिणाम भले ही साबित हों।

9. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 1 (एक नियान एसए) की मूल कंपनी ने 1 एरी/मार्च 2011 में 'इराका समूह' का वैश्विक अधिग्रहण किया था, जिसमें-इराका समूह की 60 कंपनियों में से एक के रूप में-एक 'एसोसिएटेड केबल्स प्राइवेट लिमिटेड' जिसे बाद में 'एसीपीएल' के रूप में संदर्भित किया गया था), जो एक भारतीय कंपनी थी।

भारत में व्यवसाय, विद्वान मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया:

" 108. न्यायाधिकरण एक बार फिर यह स्पष्ट करने में सावधानी बरत रहा है कि ये लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। इन आरोपों के प्रमाण को मूल गुणों पर जांचना बाकी है। सुनना। फिर भी, पक्षों के संबंधित अनुरोधित मामलों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि खंड 21 के सही निर्माण पर, इराका के प्रिस्मियन स्पा द्वारा व्यापक अधिग्रहण, जो बदले में एसीपीएल में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, भारत में केबल व्यवसाय में अधिग्रहण के रूप में सक्षम है।

उन परिस्थितियों में दावेदार का एक सहयोगी जहां यह विवादित नहीं है कि प्रिस्मियन स्पा एक अन्य व्यक्ति है जो दावेदार को नियंत्रित करता है। समान रूप से, ए. सी. पी. एल. के माध्यम से भारत में व्यापार को जारी रखना दावेदार के एक सहयोगी के माध्यम से भारत में केबल व्यवसाय में भागीदारी के बराबर है; अर्थात् किसी अन्य व्यक्ति, ए. सी. पी. एल. के माध्यम से। हालाँकि इस प्रश्न का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कम से कम कुछ साक्षय प्रतीत होते हैं जिन पर उत्तरदाता तर्क दे सकते हैं कि

ए. सी. पी. एल. को उसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम प्रिस्मियन स्पा है।

जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावेदार को नियंत्रित करता है ताकि वह संबद्ध की परिभाषा के उप-पैराग्राफ (सी) के मापदंडों के भीतर आ सके।

10. विद्वान मध्यस्थ ने तब खंड 23 का अर्थ निकाला, जो बोलता है

पक्षकारों द्वारा आतंरिक उल्लंघन इस प्रकार हैं:

" 132. न्यायाधिकरण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1) खंड 23.1 और 23.2 में गैर-चूक करने वाले पक्ष द्वारा चूक की घटना के निर्धारण की सूचना देने की आवश्यकता होती है, यदि वास्तव में गैर-चूक करने वाला पक्ष शिकायत करना चाहता है, [2020] 4 एस. सी. आर.

और यदि, अंततः, गैर-चूक करने वाला पक्ष खंड 23.4 और 23.7 के प्रावधानों को लागू करना चाहता है, तो उन परिस्थितियों में भी जहां गैर-चूक करने वाला पक्ष तर्क देता है कि सामग्री उल्लंघन अपरिवर्तनीय है;

खंड 23.3 में गैर-चूक करने वाले पक्ष को चूक की घटना को सुधारने के लिए चूक करने वाले पक्ष को 60 दिनों की अवधि, सुधार अवधि देने की आवश्यकता होती है, भले ही गैर-चूक करने वाला पक्ष आरोप लगाता हो कि चूक की घटना है

अपरिवर्तनीय। खंड 23.3 में इसका एकमात्र अपवाद दिवालिया होने की घटनाओं के संबंध में है, जो चूक की घटनाओं के बराबर है।

दिवाला घटनाओं के मामलों को छोड़कर, जिन्हें स्पष्ट रूप से छूट दी गई है, के अनुसार एक लिखित ईओडी नोटिस की सेवा खंड 23.4 सुधार अवधि की समाप्ति पर होना चाहिए;

दावेदार के वकील द्वारा अपनी प्रस्तुतियों के दौरान दिए गए प्रमुख काल्पनिक उदाहरणों में से एक को अपनाना, यदि कोई गैर-चूक करने वाला पक्ष चूक करने वाले पक्ष को सामग्री उल्लंघन की पहचान करने के लिए एक निर्धारण सूचना देता है (1) लेकिन चूक करने वाले पक्ष ने वास्तव में सामग्री उल्लंघन को छुपाया है (2)

और किसी भी स्थिति में एक या दोनों में सुधार नहीं करता है, तो गैर-चूक करने वाला पक्ष जब खंड 23.4 के तहत अपना ई. ओ. डी. नोटिस देता है और फिर बाद में मध्यस्थता में अपने ई. ओ. डी. नोटिस को उचित ठहराने का प्रयास करता है, तो वह गैर-सुधार सामग्री उल्लंघन (i) और/या सामग्री उल्लंघन (2) दोनों पर भरोसा कर सकता है, यदि बाद में इसका पता चलता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि एक छिपी हुई, लेकिन बाद में खोजी गई, चूक की घटना जिसे सुधार अवधि के अंत में ठीक नहीं किया गया है, अभी भी खंड 23.4 के उद्देश्य के लिए चूक की एक गैर-सुधारित घटना है।

समान रूप से, यदि एक चूक करने वाले पक्ष ने एक गुप्त को ठीक नहीं किया है

चूक की घटना को किसी भी प्रावधान, दायित्वों, समझौतों, शर्तों और उपक्रमों के भौतिक उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। डिफ़ॉल्ट घटना की परिभाषा इस पर सशर्त नहीं है निर्धारण सूचना देना।

परिणाम, विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

हालाँकि, खंड 23 के तहत निर्धारण सूचना देने और सुधार अवधि की समाप्ति पर निर्भर करता है;

7) खंड 23 और खंड 23.4 के प्रावधानों के बावजूद, विशेष रूप से चूक और निर्धारण की घटनाओं के संबंध में

ध्यान दें, इसके अलावा गैर-चूक करने वाले पक्ष के पास खंड 23.6 में व्यक्त नुकसान और प्रदर्शन के सभी अधिकार हैं;

8) यह तर्क के लिए खुला रहता है, और न्यायाधिकरण नहीं करता है

इस बारे में निर्णय कि क्या कोई पक्ष दूसरे पक्ष को निर्धारण सूचना दे सकता है, यदि वास्तव में सूचना देने के समय, सूचना देने वाला पक्ष स्वयं भौतिक उल्लंघन में है।

यह प्रश्न न्यायाधिकरण द्वारा मौखिक प्रस्तुतियों के दौरान उठाया गया था, लेकिन पक्षों द्वारा पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया है, और वास्तव में, संभवतः पूर्ण गुणों पर सबसे अच्छा समाधान किया गया है।

सुनें। "

11. जहाँ तक अधिकारिता पर मध्यस्थ के निर्णय का संबंध था,

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'रेविन' ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने के अधिकार के संबंध में विवाद जेवीए के तहत मध्यस्थता खंड के दायरे से बाहर है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौतों में शामिल हैं

मध्यस्थता खंड जो इतालवी कानून के तहत मिलान, इटली में मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने वाले विवादों के लिए प्रावधान करते हैं, और यह मामला होने पर, इन समझौतों के संबंध में कोई भी विवाद जे. वी. ए. में निहित मध्यस्थता खंड के बाहर होगा। 12. 'दूसरा आंशिक अंतिम पुरस्कार' दिनांक 19.12.2013 तब इस बात से निपटता है कि किन पक्षों ने नियमों और शर्तों का भौतिक रूप से उल्लंघन किया है

जे. वी. ए. इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किए गए दावों का निपटारा इस प्रकार किया गया:

" 199. भौतिक उल्लंघन के दावेदार के आरोपों के विवरण के संबंध में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष और निष्कर्ष हैं

नीचे दिए गए हैं। न्यायाधिकरण ने पाया है कि:

1) उत्तरदाताओं ने उचित और प्रभावी में हस्तक्षेप किया

कार्यान्वयन से इनकार करके और/या निदेशक मंडल के कार्यान्वयन को रोककर सी. ई. ओ. का कार्य

जे. वी. ए. खंड 12 और/या 8 और/या 20.1 के भौतिक उल्लंघन में सी. ई. ओ. को रेविन के बैंक खातों को संचालित करने के लिए सशक्त बनाने का संकल्प। 2 ;

2) दावेदार के नामित व्यक्ति को सी. एफ. ओ. [2020] 4 एस. सी. आर. के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित करने से इनकार करना, चाहे वह बोर्ड की बैठक में हो या प्रचलन द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रेविन के उत्तरदाताओं के भौतिक उल्लंघन में नहीं थे

जेवीए;

3) प्रत्यर्थियों ने सुश्री माथुरे को नियुक्त किया और जे. वी. ए. खंडों के भौतिक उल्लंघन में इसके संबंध में एक गलत रिकॉर्ड बनाया

12 और/या 8 और/या 20। 2 ;

4) उत्तरदाताओं ने एचआर निदेशक और सीईओ को एचआर और पेरोल डेटा सिस्टम तक पूर्ण और बिना शर्त पहुंच से इनकार कर दिया

जे. वी. ए. खंड 12 और/या 8 और/या 20 का भौतिक उल्लंघन। 2 ;

5) उत्तरदाताओं ने जे. वी. ए. के भौतिक उल्लंघन में सी. ई. ओ. द्वारा बुलाई गई प्रबंधन बैठकों में उपस्थित होने या भाग लेने से इनकार कर दिया।

खंड 12 और/या 8 और/या 20। 2 ;

6) जब 12 और 13 जनवरी 2012 और 4 फरवरी 2012 की घटनाओं को अलग-थलग माना जाता है, तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि उत्तरदाताओं द्वारा एक भौतिक उल्लंघन किया गया है। जब घटनाओं पर एक साथ विचार किया जाता है और उन्हें उनके उचित संदर्भ में रखा जाता है, तो न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि वे प्रतिवादी के आचरण के एक पैटर्न का हिस्सा हैं जो

जे. वी. ए. का एक भौतिक उल्लंघन था। इस प्रकार, दावेदार के संयुक्त संबंध में एक भौतिक उल्लंघन है

आरोप है कि उत्तरदाताओं ने कर्मचारियों को श्री एस्पोसिटो को घेरने, अलग करने, परेशान करने, अपमानित करने और धमकी देने के लिए उकसाया और

श्री कामदार उन तिथियों पर;

7) उत्तरदाताओं ने 31 जनवरी 2012 को कंपनी के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया और विफल रहे और उत्तरदाताओं ने श्री धाल की अवज्ञा और प्रत्यक्ष आदेशों की अवज्ञा में उनका समर्थन करके कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुशासनहीनता और उल्लंघन को प्रोत्साहित और उकसाया।

श्री एस्पोसिटो और सुश्री फरीस जे. वी. ए. खंडों के भौतिक उल्लंघन में

12 और/या 8 और/या 20। 2 ;

8) ऊपर (7) देखें; 9) उत्तरदाताओं ने इनकार करके जे. वी. ए. का उल्लंघन नहीं किया था

कम समय में बोर्ड की बैठक बुलाना;

10) श्री करिया के एफ. आर. आर. ओ. को लिखे पत्र 29 फरवरी 2012 को हाथ से दिए गए थे और इसलिए ए. वाई. करिया एंड ओ. आर. एस. में कथित सामग्री उल्लंघन की घटनाओं के संबंध में विचार नहीं किया जा सकता है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

27 फरवरी 2012 का अनुरोध। फिर भी, न्यायाधिकरण ने पाया कि एफ. आर. आर. ओ. को लिखे गए पत्र श्री करिया की कार्यप्रणाली के अनुरूप हैं और न्यायाधिकरण के अन्य तरीकों का समर्थन करते हैं। भौतिक उल्लंघन के निष्कर्ष।

(4) चूक की घटनाओं में सुधार पाया गया

उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिबद्ध

200. दावेदार प्रस्तुत करता है कि कथित सामग्री उल्लंघनों में से कोई भी सुधार योग्य नहीं था और किसी भी स्थिति में, सुधार अवधि के अंत तक, यानी 27 अप्रैल 2012, और सुधार के लिए विस्तारित अवधि के अंत तक, यानी 6 जुलाई 2012, प्रत्यर्थियों ने अपने किसी भी उल्लंघन को ठीक नहीं किया था। इसके विपरीत, दावेदार प्रस्तुत करता है कि 28 फरवरी 2012 और 6 जुलाई 2012 के बीच की अवधि के दौरान, उत्तरदाताओं ने जे. वी. ए. का उल्लंघन करना जारी रखा

ऐसे आचरण द्वारा जिसकी गणना पक्षों के बीच विश्वास और विश्वास के संबंध को नष्ट करने और पूरी तरह से हटाने के लिए की गई थी या रेविन पर दावेदार के नियंत्रण के किसी भी तत्व को अनावश्यक बना दें। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये पद-अनुरोध उल्लंघन इस पुरस्कार का विषय नहीं हैं (अन्य बातों के साथ-साथ, दावेदार का सी. एस. §§ 730 देखें।

737) .

201. उत्तरदाताओं का यह तर्क नहीं है कि उन्होंने इनमें से किसी को भी ठीक किया है।

6 जुलाई 2012 तक जे. वी. ए. के कथित उल्लंघन।

विस्तारित अवधि के भीतर उन उल्लंघनों को ठीक करने के लिए सुधार, अर्थात 6 जुलाई 2012 तक।

13. जहाँ तक अपीलार्थियों के जवाबी दावों का संबंध है, मध्यस्थ ने ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण करने वाले प्रैसमियन एस. ए. के प्रभाव से निपटा, रेविन का एक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय था [प्रिस्मियन

के अधिग्रहण ड्राका समूह के माध्यम से, जिसकी एसीपीएल एक सहायक कंपनी थी]। द्राका अधिग्रहण पर श्री करिया की प्रतिक्रिया के साथ एकमात्र मध्यस्थ एक साथ झूलता है

श्री करिया का साक्षय इस प्रकार है:

" 233. न्यायाधिकरण ने कहानी में कई बदलाव पाए

श्री करिया का इस संबंध में काफी महत्व है। वास्तव में, श्री करिया को ए. सी. पी. एल./द्राका संबंध के बारे में बहुत पहले जुलाई 2009 में पता था। जब द्राका और के बीच विलय प्रिस्मियन की घोषणा की गई थी कि श्री करिया समझ गए थे कि प्रिस्मियन ने ए. सी. पी. एल. में एक नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली थी क्योंकि उन्होंने [2020] 4 एस. सी. आर. में पूरी तरह से स्वीकार किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रॉस परीक्षा। श्री करिया को यह जानकारी नवंबर 2010 में थी। फिर भी, श्री करिया ने खंड 21 के तहत जे. वी. ए. को किसी भी भौतिक उल्लंघन की शिकायत नहीं की। न्यायाधिकरण आगे सुश्री फरीस द्वारा दिए गए साक्षय की सच्चाई को स्वीकार करता है कि सबसे पहले जब श्री करिया ने ए. सी. पी. एल. बोर्ड में उनकी नियुक्ति के बारे में सुना तो कुछ

संभवत: दिसंबर 2011 के अंत में, श्री करिया ने शिकायत नहीं की, लेकिन उन्हें बधाई दी (§18, EI/5/28)। यह श्री बतिस्ता को उनके पहले के बधाई ईमेल के साथ फिट बैठता है। लेकिन उस समय तक

फरवरी 2012 तक श्री करिया ने अपनी धुन पूरी तरह से बदल दी थी और सुश्री फरीस की ए. सी. पी. एल. में नियुक्ति को एक उपकरण, एक बहाने के रूप में देखा था, ताकि उन्हें रेविन बोर्ड में सी. ई. ओ. के रूप में जारी रखने से रोका जा सके और इस तरह रेविन का दिन-प्रतिदिन का नियंत्रण दावेदार को न सौंपने के अपने अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। न्यायाधिकरण इस पर दावेदार गवाहों द्वारा दिए गए साक्षय को स्वीकार करता है। श्री करिया ने अपनी धुन बदल ली है। न्यायाधिकरण ने मूल रूप से होने वाली कहानी की सच्चाई को खारिज कर दिया

प्रत्यर्थियों ने अपनी समापन प्रस्तुतियों में कुछ साहसपूर्वक दावा किया है कि न्यायाधिकरण को इस सामग्री को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि दावेदार ने छूट या पुष्टि का अनुरोध नहीं किया है। यह निवेदन पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित अधिकारियों से स्पष्ट है कि उल्लंघन सामग्री है या नहीं, यह सभी प्रासंगिक तथ्यों के संदर्भ से निर्धारित किया जाता है और इसमें उस समय की घटनाओं पर पक्षों की प्रतिक्रिया शामिल होगी।XXX XXX XXX

237. न्यायाधिकरण ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी ने किया वास्तविक गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है।

238. यह सच है कि दोनों कंपनियों द्वारा एक ही व्यवसाय के लिए निविदा देने के कभी-कभार उदाहरणों के कुछ सबूत (हालांकि मुख्य रूप से 2008-2009 के हैं) थे। फिर भी इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं था कि द्राका अधिग्रहण के बाद रेविन से ए. सी. पी. एल. को व्यवसाय खो गया था, या कि ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. का कोई मोड़ था।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

राविन से लेकर ए. सी. पी. एल. तक का व्यवसाय या ए. सी. पी. एल. द्वारा राविन के व्यवसाय को कोई निशाना बनाया गया था या वास्तव में इसके विपरीत।

€ 7-7.5 मिलियन प्रति वर्ष। यह रेविन का लगभग 10 प्रतिशत है। ए. सी. पी. एल. मुख्य रूप से उपकरण के क्षेत्र में काम करता है ।केबल्स। रेविन मुख्य रूप से बिजली और नियंत्रण केबलों के क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावा, ए. सी. पी. एल. के छोटे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा ए. सी. पी. एल. से उसके ओमानी शेयरधारक को निर्यात होता है। यह ए. सी. पी. एल. के संदर्भ में गंभीर प्रतिकूल नुकसान की धारणा को प्रस्तुत करता है।

कारोबार और भी अधिक दूरस्थ।

240. रेविन में समकालीन प्रबंधन दस्तावेजों से यह नहीं पता चलता कि रेविन ए. सी. पी. एल. को अपने प्रतिस्पर्धियों में से एक मानते थे।

जिरह में इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब एक कंपनीअपने प्रतियोगियों की जाँच करता है कि यह 50वें या 60वें प्रतियोगी (दिन 9, पृष्ठ 82) की सूची नहीं बनाता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि ए. सी. पी. एल. के बारे में रवीन ने कितनी दूर तक विचार किया होगा।

241. समान रूप से, यह तथ्य कि प्रत्यर्थी द्वारा कंपनी के नामों की एक सूची की पहचान की गई थी और उस पर भरोसा किया गया था, यह दिखाने के लिए कि रेविन और एसीपीएल कुछ समान कंपनियों को केबल बेचते हैं, एक बिंदु को बढ़ा रहा है जहां यह स्वाभाविक रूप से जा सकता है। इससे भौतिक उल्लंघन का जवाब नहीं मिलता है। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य है -

ऐसी गुणवत्ता का नहीं जो न्यायाधिकरण को यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाए कि उल्लंघन गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के साथ किया गया था।

242. न्यायाधिकरण ने लंबे समय से दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से प्राप्त सहायता का भी उल्लेख किया है

बाजार में भागीदारी; मेसर्स होनावर और हरगोपाल। न्यायाधिकरण को नमूनों के साथ विभिन्न प्रकार के तारों की स्पष्ट व्याख्या में इस साक्ष्य से कुछ लाभ हुआ और यह स्पष्टीकरण स्वयं श्री करिया द्वारा भी

आंशिक रूप से प्रदान किया गया था। फिर भी, एक बार फिर यह सबूत कुछ हद तक बात छूट गई। प्रत्येक कंपनी द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले कुछ प्रकार के केबलों की पहचान करने के लिए सामग्री उल्लंघन स्थापित करना पर्याप्त नहीं है। रेविन पर आज या भविष्य में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के उत्तरदाताओं के साक्षय द्वारा कोई विश्वसनीय विश्लेषण नहीं किया गया था।

[2020] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए।244. इस तरह के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है और वास्तव में न्यायाधिकरण का विचार है कि यह एक ऐसा आरोप है जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था।

14. जहाँ तक भारत में प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित जवाबी दावे का संबंध है, वह रेविन के व्यवसाय और एजेंसी/वितरण के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

तथापि, मध्यस्थ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 252. अनिवार्य रूप से उत्तरदाताओं ने यह स्थापित नहीं किया है कि जिन एजेंसी समझौतों पर वे निर्भरता रखते हैं, उनमें इस तरह के समझौते शामिल हैं

जैसा कि प्रथम आंशिक पुरस्कार में कहा गया है, एक व्यवस्था, प्रतिबद्धता या प्रतिबद्धता। वास्तव में उत्तरदाताओं ने प्रथम आंशिक अंतिम के पैराग्राफ 84 में पहचानी गई आवश्यकता को भी संबोधित नहीं किया है।

पुरस्कार लेकिन इसके बजाय की लंबाई या अवधि पर ध्यान केंद्रित किया

संबंध और क्या प्रत्येक संबंध अनन्य था या गैर-अनन्य। यह पर्याप्त नहीं है। संदेह से बचने के लिए न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि कोई संतोषजनक आधार नहीं था

एक इंजेक्शन या पूंजी का आदान-प्रदान शामिल है या पता है कि कैसेनिवेशक, अधिग्रहणकर्ता या प्रतिभागी का हिस्सा। उनका सबसे अच्छा विश्लेषण क्लासिक बिक्री वितरण/एजेंसी समझौतों के रूप में किया जाता है जिसके अनुसार

एक एजेंट को भारत में चिन्हित प्रकार की बिक्री के प्रचार और समापन के बदले में एक बिक्री आयोग प्राप्त होता है।

XXX XXX XXX273. के पक्ष में हर संभावित भत्ता बनाना

प्रत्यर्थियों, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थियों

(शायद प्रथम आंशिक अंतिम निर्णय के बाद समझने योग्य कारणों से) ने अपने मामले को बदलने की कोशिश की है और अब एक मामले को आगे बढ़ाया है कि प्रत्यक्ष बिक्री का तथ्य जे. वी. ए. के खंड 8 और 20 के भौतिक उल्लंघन के बराबर है। वह निर्धारण सूचना या उसके अभिवचन मामले में आगे नहीं बढ़ाया गया था और इसके लिए खुला नहीं है

उत्तरदाताओं। (1) किसी भी घटना में कोई भौतिक उल्लंघन नहीं।

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

274. फिर भी, निर्धारण की सीमाओं को भी नजरअंदाज करते हुए नोटिस और अभिवचन, न्यायाधिकरण ने अभी तक यह निष्कर्ष निकाला है कि

उत्तरदाता किसी भी स्थिति में सामग्री दिखाने में सफल नहीं हुए हैं।

275. न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि उत्तरदाताओं का विश्लेषण है इस मुद्दे का विश्लेषण करने में किसी भी वास्तविक उपयोगिता का होना बहुत सरल है।

276. उत्तरदाता कुल 644 मिलियन बिक्री का उल्लेख करके शुरू करते हैं।जिन्हें विभिन्न प्रिस्मियन सहयोगियों द्वारा सीधे भारत में बनाया गया था।

277. हालाँकि, वे बिक्री सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी। दूरसंचार केबलों, औद्योगिक विशेष केबलों, मोटर वाहनों की बिक्री में वृद्धि

केबल, नेटवर्क और घटक और सेवाएँ। रेविन ने नहीं किया

उन प्रकार के तारों का निर्माण करें। वास्तव में बिक्री का 85 प्रतिशत से अधिक दूरसंचार केबलों का निर्माण करने वाले दो सहयोगियों से आया था, जो

वास्तव में न्यायाधिकरण सुश्री फरीस के साक्षय को स्वीकार करता है औरइस मुद्दे पर श्री कोच और श्री कर्वे (देखें, अन्य बातों के साथ-साथ, §§ 5-8, E (I) /

10 / 56-57 , §23 , ई (आई)/26/206, §23, ई (आई)/26/207, §§ 18-32। ई (आई)/23/184-186,11 दिसंबर 2012 सुनवाई, पीपी। 134-140 , §46 , ई (आई)/17 /

92 , दिन 2, पीपी। 83-86 , §18 का, ई (आई)/24/189)। यह बिक्री के मोड़ने या सद्भावना के उल्लंघन के पूरे तर्क को प्रस्तुत करता है

ये प्रत्यक्ष बिक्री कुछ हद तक अकादमिक हैं।

278. वास्तव में ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदाताओं ने ऐसा क्यों किया उनके तर्क पर इतना जोर दिया कि केवल तथ्य

श्री साल्वे एस. सी. ने अपने मौखिक समापन तर्क में इसे कैसे रखा था(दिन 10, पृ. 183-185) हालाँकि, न्यायाधिकरण ने इसके खिलाफ पाया है

इस बिंदु पर उत्तरदाताओं।

279. न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थियों ने नहीं दिखाया है

विकास में दावेदार की ओर से कोई भौतिक उल्लंघनखंड 8 या किसी भी उल्लंघन के अनुसार रेविन के व्यवसाय का

निर्देश के संबंध में खंड 20 के तहत सद्भावना दायित्व बिक्री "।

15. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन है

संबंधित, अपीलार्थियों के जवाबी दावे को इस प्रकार खारिज कर दिया गया था:

" 284. सुश्री फ़रीज़ अपने प्रथम गवाह के बयान में काफी स्पष्ट थीं।

20 जुलाई 2012 (ई (आई)/5/29) के पैराग्राफ 22 (जे)-(आई) पर कि वह [2020] 4 एस. सी. आर. थी।

ए. सी. पी. एल. में एक गैर-कार्यकारी निदेशक, कि वह दोनों कंपनियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से काफी अवगत थी और किसी भी समय ए. सी. पी. एल. को राविन या ए. सी. पी. एल. से राविन को गोपनीय या अन्य जानकारी नहीं देती थी।

285. उत्तरदाताओं ने इस पर सुश्री फरीस से जिरह नहीं की

महत्वपूर्ण प्रमाण। यह न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है।

एसीपीएल में नियुक्ति। पहली बार में श्री करिया ने उन्हें बधाई दी और केवल बाद में आपत्ति जताई क्योंकि सत्ता संघर्ष बढ़ता गया और सुश्री फरीस को बाहर करने की कोशिश करने के लिए इसका उपयोग एक हथियार के रूप में किया गया।रेविन बोर्ड से "।

16. जहाँ तक कथित कुप्रबंधन के कई कार्य

जे. वी. ए. के खंड 8 और 20 के उल्लंघन में नंबर 1 थे

इस प्रकार, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने इस पर निम्नानुसार विचार किया:

" 290. शेष आरोपों को अनिवार्य रूप से उत्तरदाताओं पर निर्देशित सामग्री उल्लंघन के दावेदार के आरोपों के दूसरे पक्ष के रूप में देखा जा सकता है। तीन उदाहरण वर्तमान के लिए पर्याप्त होंगे।

उद्देश्य:आई. के जवाब में उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित हड़ताल

श्री धल का निलंबन;

ii. दावेदार नामांकित व्यक्तियों की उपस्थिति या गैर-उपस्थिति

अक्रुति कार्यालय;

iii. सीईओ की नियुक्ति के आसपास की परिस्थितियाँ

और रेविन के सी. एफ. ओ.।

291. न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार के भौतिक उल्लंघन के आरोपों के पक्ष में किए गए निष्कर्षों को देखते हुए यह स्वाभाविक रूप से ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. का अनुसरण करता है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उत्तरदाता इन आरोपों में सफल नहीं होते हैं

कुप्रबंधन।

292. श्री ढल्ल द्वारा सुश्री माथुरे की नियुक्ति और तथाकथित प्राधिकरण प्रपत्र के आसपास के पूरे आचरण के संबंध में उत्तरदाता स्वयं भौतिक उल्लंघन में थे। श्री ढल को निलंबित करने में दावेदार भौतिक उल्लंघन में नहीं था। उससे बहुत दूर। हालाँकि, उत्तरदाता इस निलंबन पर अपनी प्रतिक्रिया के कारण स्पष्ट रूप से भौतिक उल्लंघन में थे, जिसके परिणामस्वरूप एक दिन का प्रतिबंध लगा।

हड़ताल करें।

293. आकृति कार्यालय में दावेदार नामितों की उपस्थिति का सवाल उस गाथा का एक और अध्याय है जिसमें

उत्तरदाता गंभीर आलोचना के बिना सामने नहीं आते हैं। जैसा कि स्पष्ट है

इस पुरस्कार से प्रत्यर्थियों ने जनवरी 2012 में आकृति में (यहां तक कि इसकी आग से ग्रसित स्थिति में भी) एक विषाक्त वातावरण पैदा किया और इस आधार पर ऐसी स्थिति थी कि दावेदार नामांकित व्यक्तियों के लिए अपनी सुरक्षा के डर के बिना उपस्थित होना वास्तव में संभव नहीं था।

294. अंत में, सी. ई. ओ. और सी. एफ. ओ. की नियुक्ति के आसपास की परिस्थितियाँ दावेदार की ओर से किसी भी संभावित सामग्री उल्लंघन को जन्म नहीं देती हैं। दावेदार एक सी. एफ. ओ. और सी. ई. ओ. को नामित करने का हकदार था। उन्होंने ऐसा ही किया। उत्तरदाताओं ने सुश्री फरीस की नियुक्ति का विरोध नहीं किया। फिर भी उन्होंने किया

एक बार जब उसे नियुक्त किया जाता है तो हर मोड़ पर उसे बाधित करें क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि वह जे. वी. ए. के अनुसार रेविन का दिन-प्रतिदिन नियंत्रण लेना चाहती थी और उत्तरदाता नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। श्री ब्रुनेटी, सी. एफ. ओ. के संबंध में, उत्तरदाताओं ने उनकी नियुक्ति पर वीटो कर दिया। यह उनकी ओर से कोई भौतिक उल्लंघन नहीं था क्योंकि जे. वी. ए. की अनुसूची IX के तहत ऐसा करना उनका अधिकार था। फिर भी इसे भौतिक उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है

दावेदार। यह असहनीय है "।

17. इस प्रकार धारण करते हुए, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी जवाबी दावा नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वे सभी थे

एसएसईडी।

18. तीसरा आंशिक अंतिम पुरस्कार 14.01.2015 पर दिया गया था। इस पुरस्कार के लिए, 23.06.2014 पर, करिया ने अपने कानूनी सलाहकार के माध्यम से न्यायाधिकरण को सूचित किया कि अब उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा

निशीथ देसाई एसोसिएट्स। यह सुनवाई [2020] 4 एस. सी. आर. से कुछ दिन पहले एल. सी. आई. ए. अदालत में श्री विजय कारिया की प्रस्तावना थी।

निष्पक्षता या स्वतंत्रता की कथित कमी के आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द करने की मांग करते हुए मध्यस्थ के समक्ष तय किया गया। 1-2 अक्टूबर 2014 को निर्धारित सुनवाई में श्री विजय करिया उपस्थित नहीं हुए। 10.10.2014 पर, एल. सी. आई. ए. न्यायालय ने न्यायाधिकरण को सूचित किया

कि उसने मध्यस्थ को दी गई चुनौती को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त आवेदन एल. सी. आई. ए. नियमों के प्रावधानों के तहत समय से बाहर किया गया था। इसके बाद पुरस्कार ने श्री विजय कारिया की दिनांकित कुछ लिखित प्रस्तुतियों को संबोधित किया। विद्वान मध्यस्थ ने समझाया कि कैसे

वह मांगी गई राहत के संबंध में 'कार्यात्मक अधिकारी' नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि वे अब दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार की समीक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और यह स्पष्ट किया कि वह दावेदार द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए दावों से परे या जे. वी. ए. के दायरे से बाहर नहीं गए हैं। पुरस्कार ने इस तथ्य को भी दर्ज किया

कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने एक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए, जिसके परिणामस्वरूप केपीएमजी ने मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। चूंकि डेलॉयट एकमात्र अन्य मूल्यांकनकर्ता था, इसलिए डेलॉयट से मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया गया था। तीसरा आंशिक अंतिम पुरस्कार इस प्रकार घोषित किया गया:

" 1. जे. वी. ए. के खंड 23.7 के तहत प्रतिवादी चूक करने वाला पक्ष हैं;

2. जे. वी. ए. के तहत उत्तरदाताओं और विशेष रूप से श्री करिया को प्रदान किए गए किसी भी प्रकृति के सभी अधिकार समाप्त हो गए हैं।

प्रभावी; 3. जे. वी. ए. में उत्तरदाताओं और विशेष रूप से श्री करिया के किसी भी अधिकार के लिए कोई भी संदर्भ जिसमें उत्तरदाताओं और विशेष रूप से श्री करिया की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता शामिल है, हटा दिया गया है।

4. उत्तरदाताओं को जे. वी. ए. के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने या प्रयोग करने का प्रयास करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से कोई भी अधिकार शामिल हैं।कंपनी के बोर्ड में प्रतिनिधित्व;

5. रियायती मूल्य के निर्धारण की तारीख 30 सितंबर 2014 है और इस तारीख को दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार के पैराग्राफ 335 (4) में निष्कर्ष के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो तारीख और पक्षकारों द्वारा सहमत निष्कर्ष को आगे के विचार के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाएगा।

6. न्यायाधिकरण उपरोक्त अनुच्छेद 31 में निर्धारित मामलों को सुरक्षित रखता है,

जिसमें मध्यस्थता की लागत शामिल है।

विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

7. उपरोक्त अनुच्छेद 6 के बावजूद, न्यायाधिकरण ने

मध्यस्थता की अतिरिक्त लागत (कानूनी या अन्य लागतों के अलावा)

द्वितीय आंशिक अंतिम पुरस्कार में दर्ज) इस तिथि तकपुरस्कार, जो एल. सी. आई. ए. न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, अनुसरण में

लागू (1998) नियमों के अनुच्छेद 28.1 के लिए, निम्नानुसार होना:

एल. सी. आई. ए. का प्रशासनिक प्रभार

£ 6, 353.33 £ 29, 800.00

न्यायाधिकरण की फीस

£ 36, 153.33

8. न्यायाधिकरण के पिछले प्रक्रियात्मक आदेश और अंतरिम राहतप्रक्रियात्मक आदेश No.12 द्वारा संशोधित प्रभाव जारी रहेगा।

अगले आदेश तक "।

19. अंतिम पुरस्कार दिनांक 11.04.2017 के अनुसार, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ

क्यों और कैसे डेलॉयट को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया

एरेस; क्यों 'पावर प्लस' में रेविन की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को बाहर रखा गया था

जे. वी. ए. के खंड 17.1 के रूप में मूल्यांकन और उल्लिखित सूत्र

यूआरपोज़

अनुसूची X का सख्ती से पालन करना होगा; और फिर क्या है

राविन में अपीलार्थियों के शेयरों का उचित बाजार मूल्य जो

उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा खरीदा गया।

20. अंततः उक्त पुरस्कार द्वारा दी गई अंतिम राहत इस प्रकार थी -

नीचे:

" निम्नलिखित रूप में खोज, पकड़, आदेश और घोषणाएँ:

1) उत्तरदाता दावेदार 10,252,275 शेयरों को हस्तांतरित करते हैं।

उनके द्वारा दावेदार के पास आई. एन. आर. का रियायती मूल्य रखा गया

63.9 आई. एन. आर. 655,200,000 तक कुल मिलाकर प्रति शेयर।

2) तीसरा उत्तरदाता, श्री करिया (जिनके पास सत्ता है)

प्रत्येक मौजूदा शेयरधारक द्वारा निष्पादित वकील) तुरंत करें

और बिना किसी देरी के आवश्यक हस्तांतरण प्रपत्रों को निष्पादित करें

दावेदार के पक्ष में 10,252,275 शेयरों का हस्तांतरण।

3) तीसरा उत्तरदाता और बारहवाँ उत्तरदाता, श्री पीयूष

करिया, जो निदेशक के रूप में कार्य करने का इरादा रखती हैं और जारी रखती हैं

कंपनी, तुरंत और बिना किसी देरी के:

क) निदेशक मंडल की बैठक बुलाना और आयोजित करना।

कंपनी इस तारीख के 21 दिनों के बाद नहीं

अंतिम पुरस्कार स्थानांतरण [2020] 4 एस. सी. आर. को नोट करने और पंजीकृत करने तक सीमित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं के पक्ष में 10,252,275 शेयरों का

दावेदार;

ख) निष्पादित स्थानांतरण प्रपत्रों की उस बैठक से पहले की सारणी;

ग) पक्ष में और नाम में 10,252,275 शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए प्रस्ताव/प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें।

दावेदार का; और

घ) कंपनी के बोर्ड से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में और कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में इस्तीफा देने के लिए उपरोक्त शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण पर

कंपनी क्रमशः।

प्रत्येक उत्तरदाता और विशेष रूप से तीसरे और बारहवें उत्तरदाता, श्री करिया और श्री पीयूष करिया को स्वयं या सेवकों या एजेंटों के माध्यम से कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाता है:

क) कंपनी के संबंध में जेवीए के तहत किसी भी अधिकार का दावा करना या प्रयोग करने का प्रयास करना या प्रयोग करना।

कंपनी के बोर्ड में या कंपनी के शेयरधारकों की बैठकों में कंपनी से संबंधित किसी भी मामले में उनकी सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सीमित नहीं है।

कंपनी।

बी) किसी भी मामले में कंपनी का दावा करना या दावा करने का प्रयास करना, या प्रतिनिधित्व करना या प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करना।

किसी भी तरह से।

ग) कंपनी की किसी भी संपत्ति, संपत्ति या सुविधाओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास करना, जिसमें कंपनी के कार्यालय और संचार सुविधाओं तक सीमित नहीं है।

तीसरे और बारहवें उत्तरदाता, श्री करिया और श्री पीयूष करिया, स्वयं या सेवकों या एजेंटों के माध्यम से कार्य करने, या खुद को क्रमशः अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक या कंपनी के निदेशक होने का दावा करने या रखने से प्रतिबंधित हैं ((3) (ऊपर) में निर्धारित सीमित उद्देश्य को छोड़कर)। उत्तरदाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग दावेदार को 2,317 अमेरिकी डॉलर की राशि में इस मध्यस्थता से संबंधित कानूनी और विविध संवितरण लागत का भुगतान करते हैं।

विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

7) प्रत्यर्थियों को एल. सी. आई. ए. नियमों के अनुच्छेद 28.1 के अनुसार एल. सी. आई. ए. न्यायालय द्वारा निर्धारित मध्यस्थता की कुल लागत, जो कि £283,043.71 है, दावेदार को वहन करनी होगी और जहां तक पहले से भुगतान नहीं किया गया है, उसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी। 8) दावेदार और प्रत्यर्थियों के अन्य सभी दावे हैं -

खारिज कर दिया गया "।

21. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी मध्यस्थता कानून के तहत उपरोक्त पुरस्कार को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, हालांकि यह उपलब्ध है। यह केवल तभी है जब उपरोक्त पुरस्कार को मान्यता और प्रवर्तन के लिए भारत लाया गया था कि उक्त पुरस्कार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 48 के तहत आपत्तियां की गईं।

मध्यस्थ और अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई अन्य सभी आपत्तियाँ पुरस्कार, लेकिन अंत में पाया गया कि पुरस्कार को मान्यता दी जानी चाहिए और लागू किया जाना चाहिए क्योंकि आपत्तियां मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में निहित किसी भी साफ कानूनी कबूतरखाने के भीतर नहीं आती हैं।

23. चूंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 50 एक अपील प्रदान नहीं करती है जब एक विदेशी पुरस्कार को एक मध्यस्थ के निर्णय द्वारा मान्यता दी जाती है और लागू किया जाता है।उच्च न्यायालय के विद्वान

एकल न्यायाधीश, अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उक्त फैसले के खिलाफ अपील की है।

24. दोनों पक्षों की व्यापक दलीलों का उल्लेख करने से पहले, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के विपरीत, जो उक्त अधिनियम के भाग I में निहित है, और जो एक एक 'घरेलू' मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अलग करने से इनकार करने के खिलाफ अपील, जहां तक मान्यता और विधायी नीति की बात है

विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन यह है कि एक के खिलाफ अपील प्रदान की जाती है

किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने वाला निर्णय, लेकिन इसके विपरीत नहीं (यानी किसी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने वाला आदेश)।

ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका की नीति यह है कि ऐसे मामले में जहां अधिनियम की धारा 48 में निहित अत्यंत संकीर्ण आधारों पर विदेशी पुरस्कार पर आपत्तियां की जाती हैं और जिन्हें खारिज कर दिया गया है, चेरी पर केवल एक काट होना चाहिए। यह इस तथ्य के अनुरूप है कि भारत विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 (इसके बाद "न्यूयॉर्क कन्वेंशन" के रूप में संदर्भित) का हस्ताक्षरकर्ता है और इस कानून के माध्यम से-[2020] 4 एस. सी. आर. का इरादा रखता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सुनिश्चित करें कि एक व्यक्ति जो एक कन्वेंशन देश से संबंधित है, और जो, ज्यादातर मामलों में, उक्त पुरस्कार के लिए एक चुनौती प्रक्रिया से गुजरा है

अपने मूल देश को इस तरह के पुरस्कार को जल्द से जल्द भारत में मान्यता प्राप्त करने और लागू करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ऐसा व्यक्ति

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत किए जा रहे प्रवर्तन का विरोध करने के आधारों के अधीन, एक ऐसे पुरस्कार का लाभ उठा सकते हैं जिसे चुनौती दी गई है और जिसे इसके मूल देश में अस्वीकार कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग इस तरह से निहित विधायी नीति को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले पर हमारे सामने कई दिनों से बहस की जा रही है जैसे कि यह किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने वाले फैसले की पहली अपील थी। अनुच्छेद 136 के प्रतिबंधित मापदंडों को देखते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान जैसे मामलों में-जहां किसी विदेशी निर्णय को मान्यता देने और लागू करने वाले निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है-इस न्यायालय को ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम

करना चाहिए, और केवल कानून को निपटाने की दृष्टि से अपील पर विचार करना चाहिए यदि कोई नया या अनूठा मुद्दा उठाया जाता है जिसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले नहीं दिया गया है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उपयोग इस संबंध में भविष्य के मुकदमे की दिशा का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सके। इसके अलावा, यह केवल एक बहुत ही असाधारण में होगा

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 की घोर अवहेलना का मामला कि उच्चतम न्यायालय एक ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करेगा जो किसी विदेशी निर्णय को मान्यता देता है और उसे लागू करता है, भले ही निर्णय का मसौदा निर्दयता से तैयार किया गया हो। इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ अब हम वकील की प्रस्तुतियों पर जा सकते हैं।

25. जहाँ तक अपीलार्थियों का संबंध है, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप का नेतृत्व किया। श्री नकुल ने कुशलतापूर्वक सहायता की

कानून पर दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में बिंदुओं पर तर्क दिया, जिन्हें उन्होंने तीन कानूनी कबूतरों में डालना चाहा, अर्थात्, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) में निहित कबूतर का छेद, और यह कि विदेशी पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

[जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) के तहत दो मामलों में है: (1) कि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन होगा; और (2) कि कई मामलों में यह न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन करेगा।

26. डॉ. सिंघवी के तर्क इस प्रकार थे:

(1) कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के. ए. आर. आई. ए. और ओ. आर. एस. के निगमन से संबंधित अपीलार्थियों के जवाबी दावे से निपटने में पूरी तरह से विफल रहा।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक जगुआर कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "जगुआर" के रूप में संदर्भित), जो यह दिखाएगा कि गैर-प्रतिस्पर्धी प्रावधानों के भौतिक उल्लंघन में

जे. वी. ए. की इस कंपनी की स्थापना भारत में उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा केबलों के निर्माण और बिक्री में व्यापार करने के लिए की गई थी, जो संयुक्त उद्यम कंपनी यानी रेविन के साथ प्रतिस्पर्धा में थी।

2)

कि न्यायाधिकरण इस पर निर्णय लेने में विफल रहा

अपीलार्थियों का प्रतिवाद दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के अपीलार्थी संख्या 1 और उसके परिवार को रेविन से बाहर करने के प्रयास

जे. वी. ए. का उल्लंघन था।

3)

कि न्यायाधिकरण इस पर कोई निर्णय लेने में विफल रहा

अपीलार्थियों का प्रतिवाद दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रेविन ट्रेडमार्क को अपने नाम से पंजीकृत करने का एक गुप्त प्रयास किया, जो सामग्री खंडों का उल्लंघन होगा। जे. वी. ए.

4)

कि न्यायाधिकरण ने किए गए स्वीकारों के विपरीत कार्य किया है

दोनों पक्षों के विशेषज्ञ गवाहों द्वारा, दोनों ने कहा

कि ए. सी. पी. एल.-की मूल कंपनी द्वारा अधिग्रहित एक कंपनीउत्तरदाता नंबर 1-रेविन के साथ प्रतिस्पर्धा में था, और इसलिए यह पुरस्कार को दूषित कर देगा। इसके अलावा, चूंकि ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण के संबंध में सबसे अधिक भौतिक साक्षय को न्यायाधिकरण द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, इसलिए यह निर्णय को भी दूषित कर देगा। जहाँ तक ए. सी. पी. एल. का संबंध है, प्रतिवादी

ए. सी. पी. एल. के पास मौजूद दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में नंबर 1 की विफलता के कारण एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध, जो विद्वान मध्यस्थ द्वारा नहीं किया गया था।

5)

न्यायाधिकरण सामग्री के मुद्दे पर विचार करने में विकृत था इसका उल्लंघन यह है कि इसने ए. सी. पी. एल. पर अधिकतम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स लागू किया, जो एक छोटा विशेषज्ञ केबल व्यवसाय था।

5)

कि जे. वी. ए. की एक विकृत व्याख्या द्वारा दी गई थी

खंड 21.1 के प्रथम आंशिक अंतिम अधिनिर्णय में विद्वान मध्यस्थ ने कहा कि यह केवल दीर्घकालिक व्यवस्थाओं और नियुक्तियों को प्रतिबंधित करता है, जो एक शर्त थी जिसे

उक्त खंड में स्वयं मध्यस्थ।

7) जहाँ तक भारत में प्रत्यर्थी संख्या 1 की प्रत्यक्ष बिक्री का संबंध था, न्यायाधिकरण ने भौतिक साक्षय की अनदेखी की और

प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रवेश।

(8) कि पक्षकारों के समकालीन आचरण का न्यायाधिकरण का विश्लेषण चयनात्मक और विकृत दोनों था, कि

प्रमुख गवाहों के साक्षय पर भी विचार किया गया

चयनात्मक और विकृत।

(9) कि डेलॉयट एक विवादित मूल्यांकनकर्ता था और उसे बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। मूल्यांकनकर्ता ने मूल्यांकन के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो दोनों पक्षों की स्थिति के विपरीत है, जिसमें पावर प्लस में रेविन की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्यांकन दूसरे पक्ष द्वारा किया गया था।

563 करोड़ रुपये के मूल्यांकनकर्ता 'बीडीओ' को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन की तारीख पर पहुंचने में पक्षों की दलीलों के विपरीत काम किया था, क्योंकि उक्त तारीख शेयरों की वास्तविक बिक्री की तारीख के सबसे करीब की तारीख होनी चाहिए थी, जिसके बजाय, 2017 के निर्णय में सितंबर 2014 की तारीख ली गई थी जो किसी भी मामले में दिसंबर 2014 के अंत तक समाप्त हो गई थी।

(10) कि जे. वी. ए. के खंड 21 की व्याख्या के संबंध में पहले और दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कारों में निहित निर्णय

वे असंगत और अपरिवर्तनीय थे।

(11) कि एक निजी संचार किया गया था

न्यायाधिकरण द्वारा दो महीने पहले मध्यस्थता का परिणाम

प्रत्यर्थी संख्या 1 को पता था कि दूसरा आंशिक अंतिम पुरस्कारयह उसके पक्ष में होगा। एजेंट के रूप में मेसर्स की2 पीपल की नियुक्ति को समाप्त करने का मात्र उपक्रम, जिसके बदले में

नियोजित मैसर्स गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स, और प्रतिवादी के वकील द्वारा की गई माफी को ऐसा नहीं माना जाना चाहिए था विद्वान एकल द्वारा इस चूक को क्षमा करने के लिए पर्याप्त था

मध्यस्थ।

(12) कि यह पुरस्कार विदेशी मुद्रा के उल्लंघन में है प्रबंधन अधिनियम, 1999 (जिसे इसके बाद "फेमा" के रूप में संदर्भित किया गया है) में कहा गया है कि इसने रेविन के शेयरों को 10 प्रतिशत छूट पर बेचने का निर्देश दिया है।

जो विदेशी कानून के नियम 21 (2) (बी) (iii) के तहत होगा।

विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (इसके बाद "गैर-ऋण लिखत नियम" के रूप में संदर्भित)।

7. श्री नकुल दीवान ने विजय करिया और ओआरएस को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में नागपुर, हांगकांग और यू. के. के निर्णयों का हवाला दिया।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कि एक पुरस्कार जो किसी पक्ष के दावे से निपटने या उस पर कोई निर्धारण करने में विफल रहता है, उसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) में निहित आधार पर अलग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह ऑडी अल्टरम पार्टेम सिद्धांत का उल्लंघन होगा, और इस आधार पर भी कि यह इस देश में न्याय की मूल धारणा के विपरीत होने के कारण न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जहां कोई पुरस्कार स्वीकार किए गए तथ्यों के सीधे विपरीत है, वह विकृत होगा, और इसलिए पक्ष लिया जा सकता है। इसके अलावा, जहां कोई पक्ष आदेशित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विरोधी पक्ष की जानबूझकर विफलता के कारण अपना मामला पेश करने में असमर्थ है, और न्यायाधिकरण द्वारा मामले के अधिकांश भौतिक पहलुओं पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में विफलता, ऐसे पुरस्कार को अप्रवर्तनीय बना देगी।

28. उन्होंने पुरस्कारों पर निर्णयों का भी हवाला दिया जो पक्षों के साथ असमान व्यवहार करते हैं क्योंकि वे भौतिक उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए अलग-अलग सीमाएं अपनाते हैं।

जिसके परिणामस्वरूप समग्र रूप से पढ़ा जाने वाला पुरस्कार गंभीर पूर्वाग्रह के कारण कमजोर होगा। इसके अलावा, न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के परिणाम का एक पक्ष को दूसरे पक्ष के बहिष्कार के लिए एक निजी संचार, न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को घातक रूप से कमजोर कर देगा।

मध्यस्थता प्रक्रिया, जिसके आधार पर पुरस्कार असुरक्षित हो जाता है

पूर्वाग्रह।29. डॉ. सिंघवी और श्री नकुल दीवान दोनों ने उपरोक्त सभी आधारों और ऐसे आधारों का समर्थन करने वाले मामले कानून को निर्धारित करने के बाद,

विवादित उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला करते हुए कहा कि इनमें से बड़ी संख्या में बिंदुओं का उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, और जब जवाब दिया जाता है तो यह पता चलता है कि जहां भी पूर्वाग्रह, विकृति और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था, इन सभी आधारों को केवल दरकिनार कर दिया गया था, और इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क किए गए सभी बिंदुओं का कोई वास्तविक निर्धारण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया था। बिना किसी पूर्वाग्रह के तर्क के रूप में, डॉ. सिंघवी ने हमें अन्य सभी तर्कों पर विफल होने की स्थिति में विवादित निर्णय को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह कहने के लिए कि 30.09.2014 की मूल्यांकन तिथि कम से कम इस मामले में

दिए गए निर्णय की तारीख होनी चाहिए, अन्यथा रेविन में शेयरों के करिया ब्लॉक की बिक्री का मूल्य बहुत कम होगा। उन्होंने हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

30. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने हमें चारों में से प्रत्येक को विस्तार से पढ़ा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पुरस्कार। उन्होंने तर्क दिया कि मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया था जिस पर दोनों पक्षों ने बहस की थी।

उक्त पुरस्कारों में से प्रत्येक का विवरण। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि हालांकि [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपलब्ध होने पर, चार पुरस्कारों के लिए इंग्लैंड की अदालतों में कभी कोई चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का बचाव किया और कहा कि यदि पुरस्कारों को पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि मध्यस्थ ने एक अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, इसके बावजूद श्री विजय कारिया से अत्यधिक उकसावा, जिन्होंने केवल पक्षपात का आरोप लगाना शुरू किया जब उन्हें एहसास हुआ कि भौतिक उल्लंघन में कौन था, उससे संबंधित 'दूसरा आंशिक अंतिम पुरस्कार' उनके खिलाफ तय किया जाएगा। इसके बावजूद, विद्वान मध्यस्थ ने पक्षकारों द्वारा किए गए प्रत्येक दावे और प्रतिवाद पर निष्पक्षता से विचार किया। इस मामले में, कोई नहीं

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में उल्लिखित आधार ऐसे सुविचारित और संतुलित पुरस्कारों पर आपत्तियों के रूप में उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से, श्री सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस न्यायालय के निर्णय के बाद से रेनुसागर पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड बनाम. जनरल इलेक्ट्रिक कं. (1994)

उप (1) एस. सी. सी. 644, के निर्णय के गुण-दोष पर कोई हस्तक्षेप

मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के दायरे से बाहर होगा। श्री सिब्बल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि डॉ. सिंघवी ने इस मामले पर तर्क दिया था जैसे कि यह गुण-दोष पर पहली अपील थी, और यह कि प्रत्येक आधार, यदि ठीक से देखा जाए, तो वास्तव में इस न्यायालय को पुरस्कारों के गुण-दोष पर हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करना था, जो स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में निहित आधारों के बाहर होगा।

31. श्री सिब्बल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि इस मामले का केंद्रीय बिंदु यह था कि कौन जे. वी. ए. के प्रावधानों का भौतिक उल्लंघन कर रहा था।

एक बार विद्वान मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि यह अपीलार्थी थे न कि प्रत्यर्थी संख्या 1, जिसने जे. वी. ए. की शर्तों का भौतिक रूप से उल्लंघन किया, उस एकीकरण अवधि के बाद, नियुक्त सी. ई. ओ., जिसे रेविन के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी होना था, को कभी भी इस तरह का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं दी गई, यह स्पष्ट करेगा कि तथ्यों पर अपीलार्थियों द्वारा किया गया यह सबसे अधिक भौतिक उल्लंघन, जैसा कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मापदंडों को देखते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। एक बार ऐसा होने के बाद, बाकी सब कुछ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रतिवादी नंबर 1 था जिसे एक प्रसिद्ध स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, डेलॉयट द्वारा तय की गई कीमत पर रैविन में अपीलार्थियों की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा सही तारीख पर खरीदना था। यह मामले का केंद्र होने के कारण, डॉ. सिंघवी द्वारा विचाराधीन चार पुरस्कारों पर आपत्तियां उठाने वाली सभी दलीलें गिरनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक तर्क, हालांकि धारा 48 के तहत तीन आधारों के भीतर आने वाले तर्कों के रूप में तैयार किया गया है, वास्तव में मामले के गुण-दोष को संबोधित करने वाले तर्क हैं। इस केंद्रीय तर्क के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, श्री सिब्बल ने हर एक बिंदु को उठाया और प्रत्येक विजय करिया और ओआरएस का जवाब दिया।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बिन्दु। जहां तक जगुआर कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पॉइंट का संबंध है, श्री सिब्बल ने कहा कि किसी भी समय अपीलार्थी ने इस तरह के तर्क को शामिल करने के अपने जवाबी दावे में संशोधन नहीं किया, जिसे वास्तव में कार्यवाही के अंतिम चरण में मौखिक रूप से एक विचार के रूप में उठाया गया था। दूसरा, जैसा कि श्री सिब्बल के निष्कासन के मामले को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अपीलार्थियों का दावा कि यह वास्तव में दूसरा तरीका था

आसपास विशेष रूप से विद्वान मध्यस्थ द्वारा संबोधित किया गया था और खारिज कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि निष्कासन द्वारा बिल्कुल भी अनुरोध नहीं किया गया था

अपीलार्थी। जहां तक रेविन ट्रेडमार्क का संबंध है, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अपने वकील ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर जोर नहीं देंगे-मुद्दा यह है कि क्या यह अलग-अलग लाइसेंस समझौतों के तहत रेविन के ट्रेडमार्क के पंजीकरण में जाने के लिए बिल्कुल भी खुला है।

जिसमें इटली में मध्यस्थता के लिए अलग-अलग मध्यस्थता खंड थे। यह दोनों पक्षों द्वारा तर्क दिया गया था और मध्यस्थ द्वारा एक अधिकार क्षेत्र के मुद्दे के रूप में निपटा गया था जिसे मध्यस्थ द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि रेविन ट्रेडमार्क का पंजीकरण एक ऐसा मुद्दा था जो जे. वी. ए. के बाहर होगा और इसलिए मध्यस्थ नहीं होगा। जहाँ तक ए. सी. पी. एल. का संबंध है, विद्वान मध्यस्थ ने यह स्पष्ट किया कि श्री विजय करिया को हमेशा से पता था कि ए. सी. पी. एल. 'द्राका अधिग्रहण' के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 के पास आएगी और उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई, लेकिन वास्तव में इस तरह के अधिग्रहण के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को बधाई दी। ए. सी. पी. एल. एक प्रतिस्पर्धी

व्यवसाय में था जिसे बहुत बाद में एक विचार के रूप में लिया गया था, श्री विजय करिया ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि ए. सी. पी. एल. का व्यवसाय इतना छोटा था कि यह हो सकता था

पूरी तरह से उपेक्षित। इसके अलावा, श्री सिब्बल ने एक प्रक्रियात्मक आदेश का समर्थन किया

विद्वान मध्यस्थ द्वारा किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि ए. सी. पी. एल. मध्यस्थता का पक्षकार नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता एक निर्देश प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं कि ए. सी. पी. एल. उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करे। ऐसा कभी नहीं किया गया। इसके अलावा, श्री सिब्बल ने यह स्पष्ट किया कि ए. सी. पी. एल. प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहायक कंपनी नहीं थी, बल्कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की मूल कंपनी की एक अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी थी, जो 'द्राका अधिग्रहण' के परिणामस्वरूप एक अलग निदेशक मंडल के साथ थी; और कानून और तथ्य में एक अलग व्यक्ति होने के नाते, जो मध्यस्थता कार्यवाही का पक्षकार नहीं है, विद्वान मध्यस्थ का प्रक्रियात्मक आदेश, जिसे कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी और जिसका कभी पालन नहीं किया गया था, इस तर्क का एक पूर्ण उत्तर था कि एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। जहाँ तक जे. वी. ए. की व्याख्या का संबंध है, श्री सिब्बल ने स्पष्ट किया कि इस तथ्य को देखते हुए कि खंड 21.1 को दी गई व्याख्या को छोड़कर, प्रथम आंशिक अंतिम पुरस्कार के किसी भी भाग को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, इसकी निष्पक्ष रूप से व्याख्या की गई थी, जो कि [2020] 4 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए विद्वान मध्यस्थ द्वारा दी गई व्याख्या थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाणिज्यिक पृष्ठभूमि और वाणिज्यिक प्रभावकारिता सिद्धांत। के अनुसारश्री सिब्बल के लिए, यह न केवल एक संभावित व्याख्या थी, बल्कि एक सही व्याख्या भी थी। जहाँ तक भारत में उत्तरदाता संख्या 1 की प्रत्यक्ष बिक्री का संबंध है

संबंधित होने पर, न्यायाधिकरण ने सभी भौतिक साक्षयों को ध्यान में रखा और पूरी सुनवाई के बाद, इस संबंध में अपीलार्थियों के जवाबी दावे को खारिज कर दिया। जब अंतिम निर्णय की बात आई, तो श्री सिब्बल ने बताया कि तथ्यों के आधार पर डेलॉयट को सहमति से नियुक्त किया गया था, जब लॉट द्वारा चुने गए मूल्यांकनकर्ता ने अंततः कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा इस संबंध में अपने पैर खींचने के कारण मूल्यांकन करने में उसकी असमर्थता थी। दूसरा, इस तरह का मूल्यांकन जे. वी. ए. में निहित सूत्र के अनुसार सख्ती से किया गया था, जिसे जे. वी. ए. की अनुसूची एक्स के साथ खंड 17.1 पढ़ा गया था। वे यह बताते हुए दुखी थे कि हालांकि पावर प्लस कंपनी एल. एल. सी. (जिसे इसके बाद "पावर प्लस" के रूप में संदर्भित किया गया है) का उल्लेख विशेष रूप से जे. वी. ए. में किया गया था, फिर भी मूल्यांकन के सूत्र में पावर प्लस के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। श्री सिब्बल ने पुरस्कारों में किसी भी तथाकथित विसंगतियों का खंडन करते हुए कहा कि प्रथम आंशिक अंतिम पुरस्कार में मध्यस्थ द्वारा जे.

वी. ए. की व्याख्या को देखते हुए, उसके बाद के सभी पुरस्कार इस प्रकार दी गई व्याख्या के अनुरूप थे। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थ ने विचार किया

एक समान हाथ से सामग्री का उल्लंघन और तथ्यों पर स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि सी. ई. ओ. को कभी भी काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए यह अपीलकर्ता थे न कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जे. वी. ए. की शर्तों का भौतिक रूप से उल्लंघन किया था। श्री सिब्बल तब एम/एस द्वारा उठाए गए बोगी में चले गए। गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1

उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेसर्स गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स कौन थे और उन्हें पता चला कि एजेंट, मेसर्स की2 पीपल, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा नियुक्त किया गया था, ने बदले में मेसर्स गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स को नियुक्त किया था, जिन्होंने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। इससे, यह पता लगाने की कोशिश करना कि मध्यस्थ पक्षपाती था, एक बड़ी छलांग है जो वास्तव में या कानून में आवश्यक नहीं है। श्री सिब्बल ने तब तर्क दिया कि यह निर्णय, जिसमें उसने 10 प्रतिशत छूट पर शेयरों की बिक्री का निर्देश दिया था, किसी भी तरह से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने हमें प्रासंगिक नियमों के बारे में बताया और तर्क दिया कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (इसके बाद "एफ. ई. आर. ए". के रूप में संदर्भित) के विपरीत, एफ. ई. एम. ए. में एफ. ई. आर. ए. की धारा 47 शामिल नहीं थी, जो एफ. ई. आर. ए. के विपरीत किए गए समझौतों को रद्द करती थी। उनके अनुसार, फेमा व्यवस्था एक अनुज्ञात्मक व्यवस्था है और नियमों के किसी भी उल्लंघन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिना किसी छूट के शेयरों की बिक्री के निर्देश के माध्यम से की जा सकती है। किसी भी मामले में

मामले में, अपीलकर्ताओं को विजय करिया और ओआरएस होने पर इस याचिका को लेने से रोक दिया जाएगा।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उत्तरदाता संख्या 1 के साथ एक गंभीर समझौता किया जिसके खिलाफ वे नहीं जा सकते। किसी भी मामले में, सबसे खराब स्थिति में, नियमों का उल्लंघन किया गया

फेमा के तहत, जिसके द्वारा शेयरों को बाजार मूल्य पर नहीं, बल्कि नियमों के विपरीत कुछ कम पर बेचा जाएगा, यह भी केवल कानून का उल्लंघन होगा, जो भारतीय कानून की किसी भी मौलिक नीति के उल्लंघन से दूर है, क्योंकि विदेशी मुद्रा देश में आ रही है और उससे बाहर नहीं जा रही है।

32. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से भी श्री सिब्बल द्वारा की गई दलीलों का समर्थन किया। विशेष रूप से, उन्होंने श्री नकुल दीवान द्वारा उद्धृत निर्णयों पर ध्यान दिया और अपने स्वयं के निर्णयों का हवाला देते हुए दिखाया कि विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में

निहित मानदंड बेहद संकीर्ण हैं, और न्यायालय किसी भी परिस्थिति में विदेशी पुरस्कार के गुण-दोष में नहीं जा सकता है। उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि चूंकि एक पूर्ण सुनवाई दी गई थी और विद्वान मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों को दिया गया हर अवसर, तथ्यों पर प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन या इसके परिणामस्वरूप किसी भी पूर्वाग्रह से संबंधित कोई आधार नहीं बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक नीति को संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए जैसा कि रेनुसागर (उपरोक्त) ने समझा और उजागर किया है।

और इस न्यायालय के बाद के निर्णय। पुरस्कारों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो धारा 48 में निहित न्याय अपवाद की सबसे बुनियादी धारणाओं को आकर्षित करने के लिए न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे।

धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन

33. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के प्रासंगिक भागों को पहले निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। धारा 48 इस प्रकार है:

अनुरोध पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। जिस पक्ष के खिलाफ इसे लागू किया जाता है, केवल तभी जब वह पक्ष प्रस्तुत करता है

अदालत के लिए सबूत है कि -

XXX XXX XXX

(ख) जिस पक्षकार के विरुद्ध अधिनिर्णय का अनुरोध किया गया है, उसे मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी।

कार्यवाही या अन्यथा अपना मामला पेश करने में असमर्थ था;

(2) मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से भी इनकार किया जा सकता है यदि

अदालत ने पाया कि (ए) विषय-अंतर का मामला निपटाने में सक्षम नहीं है

भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा; या

(ख) पुरस्कार का प्रवर्तन जनता के विपरीत होगा।

भारत की नीति।

(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या ((ii) यह भारत की मौलिक नीति का उल्लंघन है।

कानून; या((iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

स्पष्टीकरण 2. - संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करेगा।

34. विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 में समान सामग्री प्रावधानों का अर्थ लगाने वाले पहले निर्णयों में से एक रेनुसागर (उपरोक्त) में प्रसिद्ध निर्णय था। सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के हालिया फैसले में इस फैसले को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया था।

लिमिटेड वी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.) सिविल अपील

2019 का सं. 4779, जिसमें इस न्यायालय ने रेनुसागर (उपर्युक्त) को निम्नानुसार संदर्भित किया है:

" 33. रेनुसागर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 ["विदेशी पुरस्कार अधिनियम"] की धारा 7 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को चुनौती दी। विदेशी पुरस्कार अधिनियम को 1996 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हालाँकि, यह देखते हुए कि विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 में ऐसे आधार हैं जो विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 ["न्यूयॉर्क कन्वेंशन"] के अनुच्छेद V से उधार लिए गए थे, जो लगभग 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 48 के समान हैं, उक्त निर्णय न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है जब यह या तो विदेशी पुरस्कारों या अन्य मामलों की बात आती है।

भारत में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के. ए. आर. आई. ए. और ओ. आर. एस. के आधार हैं।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]धारा 34 और 48 के तहत प्रवर्तन को चुनौती/अस्वीकार करना,

दृश्य रूप से, एक ही होने के नाते। न्यूयॉर्क का उल्लेख करने के बाद

आविष्कार पर, इस न्यायालय ने आधारों की जांच के दायरे को चित्रित किया

धारा 34/48 (धारा 7 के तहत आधार के बराबर)

विदेशी पुरस्कार अधिनियम, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया था),

डी आयोजित:

“ 34. 1927 के जिनेवा समझौते के तहत, प्राप्त करने के लिए

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन,अनुच्छेद I के खंड (ए) से (ई) की आवश्यकताओं को पूरा करना था

और अनुच्छेद II में, यह निर्धारित किया गया था कि भले ही शर्तें

अनुच्छेद I में निर्धारित मान्यता और प्रवर्तन को पूरा किया गया था

यदि न्यायालय संतुष्ट होता तो पुरस्कार देने से इनकार कर दिया जाता।

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर लागू होने वाले सिद्धांत सार में सामान्य कानून में अंग्रेजी अदालतों द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों के समान हैं। (देखिए: डाइसी एंड मॉरिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, 11 वीं संस्करण। , खण्ड. आई, पी। 578) . लेकिन यह महसूस किया गया किजिनेवा समझौते में कुछ खामियां थीं जो

मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के त्वरित निपटान में बाधा।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन उक्त दोषों को दूर करने का प्रयास करता है

एक अधिक सरल और प्रभावी विधि प्रदान करके

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन प्राप्त करना।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत वह पार्टी जिसके खिलाफ

पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है तो मान्यता पर आपत्ति की जा सकती है और

उप में निर्धारित आधारों पर विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

अनुच्छेद 5 के खंड (1) के खंड (ए) से (ई) तक और न्यायालय,

अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, एक की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार करता है

उपखंडों में निर्धारित दो अतिरिक्त कारणों के लिए विदेशी पुरस्कार (अनुच्छेद 5 के खंड (2) के क) और (ख) खंड (1) के उपखंड (क) से (ङ) और अनुच्छेद 5 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) में उल्लिखित आधारों में से कोई भी निम्नलिखित को चुनौती नहीं देता है:

योग्यता के आधार पर पुरस्कार।

35. अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग अपने ग्रंथ द न्यूयॉर्क में

1958 का मध्यस्थता समझौता: एक वर्दी की ओरन्यायिक व्याख्या ने यह विचार व्यक्त किया है:

“ यह कन्वेंशन की आम तौर पर स्वीकृत व्याख्या है

कि वह न्यायालय जिसके समक्ष विदेशी का प्रवर्तन

पुरस्कार की मांग की जाती है तो पुरस्कार के गुणों की समीक्षा नहीं की जा सकती है।

मुख्य कारण यह है कि अनुच्छेद V में उल्लिखित प्रवर्तन से इनकार करने के आधारों की विस्तृत सूची में शामिल नहीं है -

वास्तव में गलती या मध्यस्थ द्वारा कानून। इसके अलावा, कन्वेंशन के तहत प्रवर्तन न्यायाधीश का कार्य सीमित है। उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण यह सत्यापित करने तक सीमित है कि क्या अनुच्छेद 5 (1) से इनकार करने के आधारों के आधार पर प्रतिवादी की आपत्ति उचित है और क्या पुरस्कार का प्रवर्तन उसकी कानून की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगा।

देश। इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के सिद्धांत के आलोक में देखा जाना चाहिए कि एक राष्ट्रीय न्यायालय

मध्यस्थता के सार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।" (पी। 269)

36. इसी तरह एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर ने कहा है:

" न्यूयॉर्क कन्वेंशन किसी भी समीक्षा की अनुमति नहीं देता है

एक पुरस्कार के गुण जिन पर कन्वेंशन लागू होता है और इस संबंध में, इसलिए, एक पुरस्कार की चुनौती को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय कानून की कुछ प्रणालियों के प्रावधानों से अलग है, जहां कानून के बिंदुओं पर अदालतों में अपील की अनुमति दी जा सकती है। (रेडफर्न एंड हंटर, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द्वितीय संस्करण।, पी। 461.)

37. इसलिए, हमारी राय में, विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने की कार्यवाही में, अदालत के समक्ष जांच का दायरा जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है और यह उक्त कार्यवाही में एक पक्ष को गुण-दोष के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग चलाने में सक्षम नहीं बनाता है।

XXX XXX XXX 65. इसका तात्पर्य यह होगा कि सार्वजनिक नीति की रक्षा, जो धारा 7 (1) (बी) (ii) के तहत अनुमेय है, को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि 1927 के जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम के अनुच्छेद I (e) के तहत मध्यस्थता के प्रवर्तन पर आपत्ति उठाने की अनुमति है।

पुरस्कार इस आधार पर दिया जाता है कि पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या उस देश के कानून के सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें उस पर भरोसा किया जाना चाहिए।

इसी प्रभाव के लिए 1837 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7 (1) में प्रावधान है जिसके लिए आवश्यक है कि प्रवर्तन केएआरआईए और ओआरएस।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विदेशी पुरस्कार सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए।

या भारत का कानून। चूँकि "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति में शामिल है

"और भारत का कानून" शब्दों द्वारा कवर नहीं किया गया क्षेत्र जोउक्त अभिव्यक्ति का पालन करें, केवल कानून का उल्लंघन नहीं होगा

सार्वजनिक नीति की सीमा को आकर्षित करना और उससे कुछ अधिक

कानून का उल्लंघन आवश्यक है।

66. 1958 के न्यूयॉर्क सम्मेलन का अनुच्छेद V (2) (b) और

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) अभिनिर्धारित नहीं करती है। किसी विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार

यह आधार कि यह देश के कानून के विपरीत है

प्रवर्तन और चुनौती का आधार सीमित है

मान्यता और प्रवर्तन सार्वजनिक नीति के विपरीत होना

जिस देश में पुरस्कार लागू किया जाना निर्धारित है। वहाँ

यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" में

न्यूयॉर्क कन्वेंशन और सेक्शन का अनुच्छेद V (2) (b)

7 (1) (ख) (ii) विदेशी पुरस्कार अधिनियम का उपयोग उसी में नहीं किया जाता है।

जिस अर्थ में इसका उपयोग जिनेवा के अनुच्छेद I (c) में किया गया था

1927 का सम्मेलन और प्रोटोकॉल की धारा 7 (1) और

1937 का अभिसमय अधिनियम। इसका मतलब यह होगा कि "सार्वजनिक नीति"

धारा 7 (1) (बी) (ii) का उपयोग संकीर्ण अर्थों में किया गया है और

सार्वजनिक नीति के प्रवर्तन की सीमा को आकर्षित करने का आदेश

भारत का कानून। चूँकि विदेशी पुरस्कार अधिनियम से संबंधित है विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन जो हैं -

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों द्वारा शासित,

विदेश मंत्रालय की धारा 7 (1) (बी) (ii) में "सार्वजनिक नीति" की अभिव्यक्ति पुरस्कार अधिनियम का अनिवार्य रूप से इस अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए कि

सार्वजनिक नीति का सिद्धांत निजी क्षेत्र में लागू किया जाता हैअंतर्राष्ट्रीय कानून। उक्त मानदंडों को लागू करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि

एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को अस्वीकार कर दिया जाएगा

(i) भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत होगा; या ((ii) भारत के हित; या (iii) न्याय या नैतिकता।"

(जोर दिया गया)

5. श्री लाल महल लिमिटेड का निर्णय v. प्रोजेटो ग्रानो

14) 2 एस. सी. सी. 433 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि

गार (सुप्रा) स्थिति उन मामलों पर लागू होती रहेगी जोधारा 48 (2) (बी) का व्यापक अर्थ "सार्वजनिक नीति [2020] 4 एस. सी. आर. को दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घरेलू क्षेत्र में लागू नहीं हो रहा है। ऐसा करते हुए

फुलचंद एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बनाम मामले में फैसला सुनाया। 0.0. 0 देशभक्त।) 10 एस. सी. सी. 300 इस प्रकार है:

" 28. हम प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं श्री रोहिंटन एफ. नरीमन ने कहा कि अभिव्यक्ति "की सार्वजनिक नीति"

धारा 48 (2) (बी) में भारत "विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) में" सार्वजनिक नीति "की तुलना में व्यापक महत्व की अभिव्यक्ति है। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि रेनुसागर [रेनुसागर]

पावर कं. लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी

644] 1996 की धारा 48 (2) (बी) के प्रयोजनों के लिए आवेदन करना होगा।

एक्ट करें। जहाँ तक किसी पुरस्कार को अलग रखने की कार्यवाही का संबंध है,

धारा 34 का संबंध सॉ में निर्धारित सिद्धांतों से है।

पाइप [ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705] ऐसी कार्यवाही के दायरे को नियंत्रित करेगा। 29. हम तदनुसार मानते हैं कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से

धारा 48 (2) (बी) के तहत केवल तभी इनकार किया जाएगा जब ऐसा प्रवर्तन (1) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (2) भारत के हितों; या (3) न्याय या नैतिकता के विपरीत होगा। सॉ पाइप्स [ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड. v. में धारा 34 (2) (बी) (ii) में आने वाली "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ दिया गया है। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705] लागू नहीं है जहां आपत्ति उठाई जाती है

धारा 48 (2) (बी) के तहत विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन। 30. यह सच है कि फुलचंद निर्यात में [फुलचंद निर्यात]

लिमिटेड वी. ओ. ओ. ओ. पैट्रियट (2011) 10 एस. सी. सी. 300: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 131] इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने हममें से एक (आर. एम. लोढ़ा, जे.) के माध्यम से बोलते हुए अपीलार्थी की ओर से की गई इस दलील को स्वीकार कर लिया कि अभिव्यक्ति को दिया गया अर्थ "सार्वजनिक" है।

1996 के अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) में आने वाली अभिव्यक्ति। हालाँकि, हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें यह माना जाना चाहिए कि रिपोर्ट के पैरा 16 में दिया गया बयान कि अभिव्यक्ति "भारत की सार्वजनिक नीति" है।धारा 48 (2) (बी) में उपयोग को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और

पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है, अगर यह स्पष्ट रूप से अवैध है

सही कानून बनाया और खारिज कर दिया गया।

XXX XXX XXX विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

45. इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 48 में विदेशी पुरस्कार पर "दूसरी बार गौर" करने का अवसर नहीं दिया गया है।

पुरस्कार प्रवर्तन चरण। धारा 48 के तहत जांच का दायरा योग्यता के आधार पर विदेशी पुरस्कार की समीक्षा की अनुमति नहीं देता है। विदेशी मध्यस्थता के दौरान प्रक्रियात्मक दोष (जैसे अस्वीकार्य साक्षय को ध्यान में रखना या साक्षय को नजरअंदाज करना/अस्वीकार करना जो बाध्यकारी प्रकृति का हो सकता है) सार्वजनिक नीति के आधार पर प्रवर्तन से किसी पुरस्कार को माफ करने के लिए आवश्यक नहीं हैं।

46. जिस पर हमने ऊपर चर्चा की है, भले ही यह माना जाए कि अपील बोर्ड ने क्रेपिन से खरीदारों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर भरोसा करने में गलती की है, जो उन शर्तों के साथ असंगत थी जिन पर पक्षों ने दिनांकित अनुबंध में अनुबंध किया था और अनुबंध एजेंसी की रिपोर्ट को गलत तरीके से खारिज कर दिया था, हमारे विचार में, ऐसी त्रुटियां अपील की प्रवर्तनीयता को बाधित नहीं करेंगी।

अपील बोर्ड द्वारा पारित पुरस्कार।"

36. एल. एम. जे. इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम स्लीपवेल इंडस्ट्रीज (2019) 5 एस. सी. सी. 303, एक पूर्व-पक्षीय पुरस्कार लंदन में पारित किया गया था जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में उत्तरदाताओं द्वारा निष्पादित करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्पादन मामलों में आवेदनों की रखरखाव के संबंध में की गई आपत्तियों को खारिज करते हुए एक सामान्य आदेश पारित किया। इसके खिलाफ, उच्च न्यायालय द्वारा एक समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी और इसी तरह इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थीं। इस न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया था वह यह था कि रखरखाव के आधार थे

जिसके परिणामस्वरूप धारा 48 के तहत आधार लिया गया है

मध्यस्थता अधिनियम पर वास्तव में एकल न्यायाधीश के समक्ष आपत्तियों के रूप में तर्क नहीं दिया गया था। अधिनियम की धारा 48 के उद्देश्य को देखते हुए अपीलार्थी की इस याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। चूँकि अपीलार्थी "कर सकता है और" करना चाहिए " विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इन आधारों को लेने के लिए

आधारों को रचनात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा वर्जित किया गया था

न्यायपालिका इस प्रकार है:

" 17. जो भी हो, निष्पादन मामले की स्थिरता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा पहले दौर में जिन आधारों पर आग्रह किया गया था, उन पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता था और विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के मुद्दे को अस्वीकार किया जा सकता था। क्योंकि, यह स्वाभाविक रूप से विषय विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता के सवाल से जुड़ा हुआ था। किसी भी मामले में, उस संबंध में याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध सभी दलीलों को विशेष रूप से उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था और यदि उठाया जाता, तो अदालत [2020] 4 एस. सी. आर. द्वारा जांच की जा सकती थी।

उस स्तर पर ही। हमारी यह सुविचारित राय है कि अधिनियम की धारा 48 की योजना में टुकड़ों में कटौती की परिकल्पना नहीं की गई है

विदेशी पुरस्कारों से संबंधित निष्पादन मामले की स्थिरता के मुद्दे पर विचार करना; और फिर उसकी प्रवर्तनीयता का मुद्दा। जबकि, मध्यस्थता कार्यवाही के त्वरित निपटान और अदालतों द्वारा सीमित हस्तक्षेप के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वह इन दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार करेगा। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के लिए लगातार और कई दौर की कार्यवाही को बढ़ावा मिलेगा। हम विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से निपटने के दौरान विशेष रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के घोषित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। के लिए, हस्तक्षेप का दायरा सचेत रूप से संकुचित किया गया है

विदेशी पुरस्कारों के निष्पादन के संबंध में विधायिका। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर विषय आवेदन योग्य है

अस्वीकार कर दिया गया, रचनात्मक न्यायपालिका द्वारा वर्जित किया गया, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में उचित रूप से देखा गया है।

XXX XXX XXX

20. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और भले ही उसने कोई त्रुटि की हो, लेकिन यह अपील के माध्यम से सुधार का विषय हो सकता है, जो अंग्रेजी कानून के तहत अनुज्ञेय आधारों पर की जा सकती है, जिसके द्वारा विषय मध्यस्थता कार्यवाही शासित होती है। हो सकता है कि हमने उन मुद्दों की शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं की हो।

37. इस स्तर पर मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "2015 संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा किए गए संशोधनों का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। "भारत के हित के विपरीत" के आधार को हटाने के लिए धारा 48 में संशोधन किया गया था। इसके अलावा, जो महत्वपूर्ण था वह था रेनुसागर (उपरोक्त) स्थिति को दोहराना, कि यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ कोई उल्लंघन है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं होगी (धारा 48 (2) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार)।

38. यह ध्यान दिया जाएगा कि घरेलू पुरस्कारों को चुनौती देने के संदर्भ में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के बीच अंतर है।भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और भारत में आयोजित अन्य मध्यस्थता। जहाँ तक "भारत की सार्वजनिक नीति" का संबंध है, विजय करिया और ओआरएस।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 34 और 48 दोनों अब समान हैं, ताकि भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, संबंधित चुनौती का आधार

"भारत की सार्वजनिक नीति" भारत में एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के आधार के समान होगी। 2015 के संशोधन अधिनियम की इस विशेषता का विज्ञापन करना क्यों महत्वपूर्ण है कि इससे संबंधित सभी आधार

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता भारत में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पुरस्कारों और विदेशी पुरस्कारों के साथ हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है जिनके प्रवर्तन का भारत में विरोध किया जाता है। इस संबंध में, सांगयोंग (ऊपर) के पैराग्राफ 30 और 43 में निम्नलिखित रूप में विज्ञापन देना महत्वपूर्ण है:

" 30. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक निर्णय जो विकृत है,

जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के पैराग्राफ 31 और 32 में समझा गया है, जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती का आधार नहीं है, निश्चित रूप से एक पेटेंट अवैधता के बराबर होगा।

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देना। इस प्रकार, बिना किसी साक्षय के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्षय की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके अलावा, के आधार पर एक निष्कर्ष

मध्यस्थ द्वारा पक्षों की पीठ के पीछे लिए गए दस्तावेज भी किसी भी साक्षय के आधार पर निर्णय के रूप में योग्य होंगे क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षों के नेतृत्व वाले साक्षय पर आधारित नहीं है, और इसलिए, इसे विकृत के रूप में भी चिह्नित करना होगा।

XXX XXX XXX

43. इसलिए हम उपरोक्त अधिकारियों का अनुसरण करते हुए मानते हैं कि अनुबंध की गलत व्याख्या और इसके परिणामस्वरूप "अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों" की आड़ में, यह कहना संभव नहीं है कि मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर होगा यदि अन्यथा उपरोक्त गलत व्याख्या (जिसमें अनुबंध की शर्तों से परे जाना शामिल होगा) को मध्यस्थता समझौते के भीतर "विवादों" के रूप में उचित रूप से समझा जा सकता था, या जिन्हें मध्यस्थों के निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था।

जैसा कि ऊपर के अधिकारियों द्वारा समझा गया है। यदि किसी मध्यस्थ पर अनुबंध से बाहर भटकने और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने का आरोप लगाया जाता है, तो यह एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होगी जिसे "पेटेंट अवैधता" के आधार पर ठीक किया जा सकता है, जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम के भाग II के तहत तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं पर लागू

नहीं होगी। 1996 के अधिनियम की धारा 28 (3) से संबंधित पिछले दरवाजे के आधार को [2020] 4 एस. सी. आर. में लाना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो मध्यस्थता समझौते से परे या उससे परे हैंमध्यस्थता न्यायाधिकरण का संदर्भ "।

कानून का यह कथन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 पर समान रूप से लागू होता है।

39. वास्तव में, इस दृष्टिकोण ने अन्य क्षेत्रों में अपनी सराहना की है।

अधिकार क्षेत्र भी। इस प्रकार, सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड बनाम। हबीबुल्लाह कोस्टल पावर कं. (2010) एस. जी. एच. सी. 62, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने आदर्श कानून की विधायी नीति निर्धारित करने के बाद कहा कि 'सार्वजनिक नीति' के अपवाद को संकीर्ण रूप से देखा जाना चाहिए और एक मध्यस्थता पुरस्कार जो केवल अंतरात्मा को झकझोर देता है, उसे दरकिनार कर दिया जाएगा:

" 48. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एस. एस. जी. सी. को सार्वजनिक नीति के तर्क पर सफल होने के लिए, उसे बहुत उच्च सीमा को पार करना पड़ा और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर परिस्थितियों का प्रदर्शन करना पड़ा।

रिश्वत या धोखाधड़ी, जो सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन करेगी

नैतिकता और न्याय। एस. एस. जी. सी. द्वारा इस तरह का कुछ भी अनुरोध या साबित नहीं किया गया था, और इसका अस्पष्ट तर्क है कि पुरस्कार था

" विकृत "या" तर्कहीन "अपने आप में सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं हो सकता है।प्रवर्तन और मान्यता के लिए सामान्य दृष्टिकोण

विदेशी पुरस्कार

40. संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क कन्वेंशन का देर से हस्ताक्षरकर्ता था, जिसने केवल 1970 में कन्वेंशन को स्वीकार किया। हालांकि, यू. एस. कोर्ट ऑफ अपील्स के शुरुआती फैसले में, दूसरा सर्किट, अर्थात् पार्सन्स और

व्हिटमोर ओवरसीज कं. वी. उद्योग जगत की सोसायटी

द पेपर 508 एफ. 2 डी 969 (1974) में, न्यायालय ने एक संक्षिप्त पैराग्राफ में 1927 के पुराने जिनेवा कन्वेंशन की तुलना में न्यूयॉर्क कन्वेंशन द्वारा किए गए परिवर्तन को इस प्रकार इंगित किया:

" 1958 में न्यूयॉर्क में आयोजित वाणिज्यिक मध्यस्थता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने वाले 45 राज्यों में से 26 ने इस समझौते को अपनाया था। हस्ताक्षरकर्ता राज्य के लिए, न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने 1927 के जिनेवा कन्वेंशन, 92 लीग ऑफ नेशंस ट्रीटी सेर को हटा दिया। 302. 1958 के समझौते का मूल जोर विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं को उदार बनाना था: जबकि जिनेवा कन्वेंशन ने सबूत ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. का भार रखा।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन की मांग करने वाले पक्ष पर और उन लोगों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की सीमा को सीमित नहीं किया

कन्वेंशन में उल्लिखित, 1958 कन्वेंशन ने स्पष्ट रूप से प्रवर्तन के खिलाफ बचाव करने वाले पक्ष पर सबूत का बोझ स्थानांतरित कर दिया और अपने बचाव को अनुच्छेद V में निर्धारित सात तक सीमित कर दिया। देखें कॉन्टिनी, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 8 Am.J.Comp। एल. 283,299

(1959) . मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन पर किसी भी पूर्व बहुपक्षीय समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरुआत में 1958 के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंततः 1970 में कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया, (1970) 3 यू. एस. टी. 2517, T.I.A.S. संख्या 6997, और 9 यू. एस. सी. 201-208 के साथ अपने परिग्रहण को लागू किया। 9 यू. एस. सी. 208 के तहत, मौजूदा संघीय मध्यस्थता अधिनियम, 9 यू. एस. सी. 1-14, विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन पर लागू होता है, सिवाय इसके कि बाद वाला उस सीमा तक कन्वेंशन के साथ संघर्ष कर सकता है। आम तौर पर, टिप्पणी, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और संशोधित संघीय मध्यस्थता क़ानून, 47 वॉश के तहत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता देखें। L.Rev। 441 (1972) . "

इसके बाद अदालत ने कहा:

" हालाँकि, शायद अधिक संभावित निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए।

समग्र रूप से सम्मेलन के इतिहास से। कन्वेंशन को सूचित करने और जिनेवा कन्वेंशन के इसके अधिक्रमण की व्याख्या करने वाला सामान्य प्रवर्तन समर्थक पूर्वाग्रह सार्वजनिक नीति रक्षा के संकीर्ण अध्ययन की ओर इशारा करता है। इस रक्षा का एक विस्तृत निर्माण प्रवर्तन के लिए पहले से मौजूद बाधाओं को दूर करने के लिए सम्मेलन के बुनियादी प्रयास को दूषित कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नई रणनीतियों में स्ट्रॉस, बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच विवादों का मध्यस्थता 114-15 (1971); अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद सम्मेलन की कार्यवाही का डाइजेस्ट, 14 अप्रैल, 1971, आईडी में देखें। 191 पर (प्रोफेसर डब्ल्यू. रीज़ की टिप्पणी)। इसके अतिरिक्त, पारस्परिकता संबंधी विचारों को व्यक्त मान्यता दी गई है

सावधानी के साथ बचाव ऐसा न हो कि विदेशी अदालतें अक्सर इसे स्वीकार करें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए रक्षा।

इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्मेलन की सार्वजनिक नीति की रक्षा को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। विदेशी प्रवर्तन [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता पुरस्कारों को केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है जहां

प्रवर्तन मंच राज्य की सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन करेगा।

नैतिकता और न्याय। XXX XXX XXX

हालांकि कन्वेंशन मानता है कि एक पुरस्कार नहीं हो सकता है

लागू किया जाता है जहाँ बाहर किसी विषय पर आधारित होता है मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र, यह दूसरी मंजूरी नहीं देता है-अनुमान लगाते हुए

इसके निर्णय लेने की शक्तियों पर इस सीमा को नजरअंदाज करें और अधिकार हड़प लेंमध्यस्थ की भूमिका। जिला अदालत ने अपने बारे में उचित दृष्टिकोण अपनाया

इस आधार पर राहत देने से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र।

(जोर दिया गया)

41. इस फैसले का पालन कॉम्पैग्नी डेस बॉक्साइट्स में किया गया था।

यूनी वी। हैमरमिल्स इंक. (1992) डब्ल्यू. एल. 122712 जहाँ अमेरिका

आई. सी. टी. कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने पार्सन्स (उपरोक्त) का अनुसरण निम्नानुसार किया:

" सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य और इसका कार्यान्वयन

कांग्रेस द्वारा "पहले से मौजूद बाधाओं को दूर करना थाविदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रवर्तन। पार्सन्स एंड

व्हिटमोर ओवरसीज कं. वी. सोसायटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री

डु पापियर, 508 एफ. 2 डी 969,973 (2 डी सिर। 1974)। इस नीति को सुगम बनाने के लिए,जो अंतर्राष्ट्रीय के क्षेत्र में विशेष बल के साथ लागू होता है

वाणिज्य, मित्सुबिशी मोटर्स कार्पोरेशन देखें। वी. सोलर क्रिसलर प्लाईमाउथ, इंक., 473 यू. एस. 614,625 (1985), अदालतों ने

एक "सामान्य प्रवर्तन समर्थक पूर्वाग्रह" विकसित किया, पार्सन्स और

व्हिटमोर ओवरसीज कं., 508 एफ. 2 डी 973 पर, जिसके तहत बोझ

सबूत का भार मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने वाले पक्ष पर है,

ड्वोर्किन कोसेल इंटरएयर कूरियर सर्व करता है। , इंक. वी. अब्राहम, 728

F.Supp। 156 , 158 (S.D.N.Y.1989); विदेशी निजी निवेश।

निगम। वी. एनाकोंडा कं., 418 F.Supp। 107 , 110 (D.D.C.1976),और मध्यस्थता पुरस्कारों को मान्यता देने से इनकार करने के आधार हैं

976-77 पर F. 2d। XXX XXX XXX

कन्वेंशन के इस प्रावधान को संबोधित करने के लिए कुछ अदालतों ने

यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रावधान "अनिवार्य रूप से आवेदन ए. वाई. करिया एंड ओ. आर. एस. को मंजूरी देता है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उचित प्रक्रिया के मंच राज्य के मानकों का "। पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी, 508 एफ. 2 डी 975 पर देखें; जियोटेक लिजेंज एजी

वी. एवरग्रीन सिस्टम्स, इंक., 697 F.Supp। 1248 , 1263

(E.D.N.Y.1988) (पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी का हवाला देते हुए)। उचित प्रक्रिया के लिए नोटिस की आवश्यकता होती है "उचित रूप से गणना की गई, सभी के तहत

परिस्थितियां, इच्छुक व्यक्तियों को विचाराधीनता से अवगत कराना

कार्रवाई करें और उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर दें

आपत्तियाँ "। मुलेन बनाम। सेंट्रल हनोवर बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी, 339 यू. एस. 306,314 (1950)।

42. लॉयड के लंदन बनाम में कुछ अंडरराइटर में। बी. सी. एस. इन्स.

39 F.Supp। 2 डी 812 (2003), यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एन. डी. इलिनोइस संदर्भित

ई संघीय मध्यस्थता अधिनियम और यह अभिनिर्धारित करने के लिए चला गया कि एक निर्णय की समीक्षा "बेहद संकीर्ण" है। (पैराग्राफ 2 और 3 देखें)।

43. कराहा बोदास कं., एल. एल. सी. बनाम। पेरुसाहान पेर्टाम्बगन

एक 364 एफ. 3डी 274 (2004), यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर एच सर्किट ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन का विश्लेषण इस प्रकार किया:

" न्यूयॉर्क कन्वेंशन एक सावधानीपूर्वक संरचित प्रदान करता है

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा और प्रवर्तन के लिए रूपरेखा। मध्यस्थता पुरस्कार पर प्राथमिक अधिकार क्षेत्र वाले देश में केवल एक अदालत ही उस पुरस्कार को रद्द कर सकती है। अन्य देशों में न्यायालयों के पास द्वितीयक अधिकार क्षेत्र है; किसी देश में एक अदालत जिसके पास द्वितीयक अधिकार क्षेत्र है।

अधिकार क्षेत्र यह तय करने तक सीमित है कि क्या पुरस्कार हो सकता है

कन्वेंशन के तहत, "वह देश जिसमें, या जिसके तहत ऐसा कहा जाता है कि मध्यस्थता कानून जिसका एक पुरस्कार दिया गया था, का मध्यस्थता पुरस्कार पर प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है। अन्य सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्य द्वितीयक क्षेत्राधिकार हैं, जिनमें पक्ष केवल यह चुनाव कर सकते हैं कि क्या उस राज्य को मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जिला न्यायालय का अधिकार क्षेत्र द्वितीयक था और उस पर विचार किया जाता था

केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरस्कार को लागू करना है या नहीं।

अनुच्छेद V विशिष्ट आधारों की गणना करता है जिन पर एक अदालत

द्वितीयक क्षेत्राधिकार प्रवर्तन से इनकार कर सकता है। माध्यस्थम अधिनिर्णय की समीक्षा करने के लिए माध्यमिक-क्षेत्राधिकार न्यायालयों के सीमित अधिकार के विपरीत, प्राथमिक क्षेत्राधिकार के न्यायालयों, आमतौर पर मध्यस्थता स्थिति वाले देश के न्यायालयों के पास [2020] 4 एस. सी. आर. के लिए बहुत व्यापक विवेकाधिकार होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पुरस्कार अलग रखें। जबकि एक प्राथमिक अधिकार क्षेत्र वाले देश की अदालतें

रद्द करने के अनुरोध का मूल्यांकन करने में अपने स्वयं के घरेलू कानून लागू कर सकते हैं

या एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करते हुए, माध्यमिक देशों में अदालतें

क्षेत्राधिकार केवल निर्दिष्ट आधारों पर प्रवर्तन से इनकार कर सकता है

अनुच्छेद V में।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन और कार्यान्वयन कानून,

संघीय मध्यस्थता अधिनियम ("एफ. ए. ए".) के अध्याय 2 में यह प्रावधान है कि

अभिसमय में निर्दिष्ट मान्यता या प्रवर्तन। अदालत ने केवल जमीन पर एक मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है

कि मध्यस्थ ने कानून या तथ्य की गलती की होगी। अनुपस्थित।असाधारण परिस्थितियों में, एक पुष्टि करने वाली अदालत को पुनर्विचार नहीं करना है

की मान्यता और प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौते। 9999

(जोर दिया गया)

44. इसी तरह, एडमार्ट एजी बनाम में। स्टीफन और मैरी बर्च

Dation Inc. 457 F. 3d302 (2006), यू. एस. कोर्ट ऑफ अपील्स, तीसरायह, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V को स्थापित करने के बाद, के रूप में आयोजित किया गया

बनाम ◌:

पुरस्कार, अदालतों ने अनुच्छेद V के बचाव को सख्ती से लागू किया है और आम तौर पर उन्हें संकीर्ण रूप से देखें। चाइना मिनमेटल्स, 334 एफ. 3 डी देखें।

283 पर। यूसुफ अहमद अलघनिम एंड संस में, डब्ल्यू. एल. एल. बनाम। खिलौने "आर"

यूएस, इंक., 126 एफ. 3 डी 15 (2 डी Cir.1997), अदालत ने जोर दिया

अधिक लचीलापन तब उपलब्ध था जब मध्यस्थता स्थल और पुष्टिकरण कार्यवाही का स्थल उसी के भीतर था

अधिकार क्षेत्र। आईडी. 22-23 पर। हालांकि, "[सी] आविष्कार समान रूप से है।

स्पष्ट करें कि जब प्रवर्तन के लिए कोई कार्रवाई विदेश में की जाती है

राज्य, राज्य केवल इस आधार पर पुरस्कार को लागू करने से इनकार कर सकता है

कन्वेंशन के अनुच्छेद V में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। आईडी. 23 पर।

XXX XXX XXX विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसी तरह, पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी, इंक. बनाम। सोसाइटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डु पापियर (आर. ए. के. टी. ए.), 508

एफ. 2 डी 969 (2 डी सिर। 1974), अपील न्यायालय ने कन्वेंशन में निहित इनकार के आधारों की समीक्षा की और कहा कि जनता

नीति रक्षा केवल वहाँ उपलब्ध है जहाँ प्रवर्तन फोरम राज्य की नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन करेगा। आईडी. 974 पर। इसी तरह, अदालत ने नोट किया कि एक पुरस्कार को कन्वेंशन के तहत लागू नहीं किया जा सकता है जहां यह "मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी विषय पर आधारित है", लेकिन कन्वेंशन "दूसरे को मंजूरी नहीं देता है-मध्यस्थ के निर्माण का अनुमान लगाते हुए। पार्टियों का समझौता। " आईडी. 977 पर। "

45. अमेरिकी मामलों से पता चलता है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के "प्रवर्तन समर्थक पूर्वाग्रह" को देखते हुए, जिसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन की धारा 48 में अपनाया गया है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996-मांग करने वाले पक्षों पर सबूत का बोझ

प्रवर्तन को अब प्रवर्तन पर आपत्ति करने वाले पक्षों पर रखा गया है

और दूसरी तरह से नहीं; शामिल देश की सार्वजनिक नीति की आड़ में, विदेशी पुरस्कारों को पक्षों के समझौते की मध्यस्थ की व्याख्या का दूसरा अनुमान लगाकर अलग नहीं किया जा सकता है; प्राथमिक क्षेत्राधिकार में चुनौती प्रक्रिया अदालतों को न्यूयॉर्क कन्वेंशन में निहित संकीर्ण प्रतिबंधात्मक आधारों की तुलना में एक पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए अधिक छूट देती है जब एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध किया जाता है।

विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए न्यायालय का विवेक

46. अब तक, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब पक्षकार

प्रवर्तन का विरोध करना न्यायालय को इस बात का प्रमाण देता है कि उल्लिखित आधारों में से कोई भी प्रवर्तन का विरोध करने के लिए बनाया गया है। उक्त मैदान जलरोधक हैं-धारा 48 के बाहर किसी भी मैदान को नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा, धारा 48 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मई" है। श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया है कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रवर्तन का विरोध करने के लिए एक या एक से अधिक आधार बनाए गए हो सकते हैं, इस तरह के पुरस्कार को लागू करने के लिए एक विदेशी पुरस्कार

को लागू करने वाले न्यायालय में "हो सकता है" विवेकाधिकार निहित होगा। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने भरोसा किया

धारा 45 से 47 तक, जिसमें "मई" शब्द के विपरीत "होगा" शब्द है। उन्होंने न्यूयॉर्क के अनुच्छेद V पर भी भरोसा किया।

सम्मेलन जो "मई" शब्द का भी उपयोग करता है।

47. गैरी बोर्न इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वॉल्यूम। II (2009) इसे इस प्रकार रखता है:

" न्यूयॉर्क समझौते के तहत इनकार करने की कोई बाध्यता नहीं है

पुरस्कारों की मान्यता [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यूयॉर्क कन्वेंशन में किसी भी बात के लिए एक संविदाकारी राज्य को कभी भी मध्यस्थता पुरस्कार को मान्यता देने से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। कन्वेंशन के लिए केवल यह आवश्यक है कि संविदाकारी राज्य निर्दिष्ट परिस्थितियों में पुरस्कारों (और मध्यस्थता समझौतों) को मान्यता दें। अनुच्छेद V में कुछ भी नहीं, न ही कन्वेंशन की मूल संरचना और उद्देश्य, किसी पुरस्कार (या मध्यस्थता समझौते) को मान्यता न देने के विपरीत दायित्व को लागू करता है।

कन्वेंशन के अनुच्छेद III में अनुबंध करने वाले राज्यों से आवश्यक है कि -

प्रावधान इसकी संरचना है, जो एक सकारात्मक व्यवस्था स्थापित करने के लिए हैमध्यस्थ पुरस्कारों को मान्यता देने का दायित्व, निर्दिष्ट अपवादों के अधीन-लेकिन मान्यता से इनकार करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व स्थापित करने के लिए नहीं। गंभीर रूप से, अनुच्छेद V (I) के अपवाद केवल ये हैं: सकारात्मक दायित्व के लिए अपवाद, और सकारात्मक नहीं

अपने अधिकार में दायित्व।

फ्रांसीसी पाठ अस्पष्ट है, यह मानते हुए कि अनुच्छेद V के अपवादों में से एक के भीतर आने वाले पुरस्कारों को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सकारात्मक रूप से इस परिणाम की आवश्यकता नहीं होगी। यह कन्वेंशन के अनुच्छेद VII के अनुरूप भी है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कन्वेंशन किसी भी इच्छुक पक्ष को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करेगा जो उसे मध्यस्थता पुरस्कार का लाभ उठाने के लिए हो सकता है।

ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. की कानून या संधियों द्वारा अनुमत तरीका और सीमा तक।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जो उन परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने के लिए था, न कि सीमित करने के लिए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कारों को मान्यता दी जा सकती थी। वास्तव में, वहाँ है संविदाकारी राज्यों को विदेशी पुरस्कारों को मान्यता देने से रोकने के किसी भी इरादे के कन्वेंशन के प्रारूपण इतिहास में कोई संकेत नहीं है

स्थानीय कानून के प्रावधानों के तहत जो अनुच्छेद V से अधिक उदार हैं।

48. रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, 6 वीं संस्करण। 5) कहते हैं:

"11.59 चौथा, भले ही किसी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार करने के आधार मौजूद साबित हो जाएं, प्रवर्तन अदालत प्रवर्तन से इनकार करने के लिए बाध्य नहीं है। कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) और (2) की शुरुआती पंक्तियों में कहा गया है कि प्रवर्तन को 'अस्वीकार' किया जा सकता है; वे यह नहीं कहते हैं कि इसे 'अस्वीकार' किया जाना चाहिए। भाषा अनुमेय है, अनिवार्य नहीं है। मॉडल कानून के बारे में भी यही सच है। 49. इसी तरह, अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग की द न्यूयॉर्क

1958 (1981) के राशन समझौते में कहा गया है:

" यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद V के पहले और दूसरे पैराग्राफ दोनों की शुरुआती पंक्तियाँ इसके बजाय अनुमति का उपयोग करती हैं।

अनिवार्य भाषा: प्रवर्तन "अस्वीकार" किया जा सकता है। पहले पैराग्राफ के लिए इसका मतलब है कि भले ही एक पक्ष जिसके खिलाफ पुरस्कार का आह्वान किया जाता है, प्रवर्तन से इनकार करने के लिए आधारों में से एक के अस्तित्व को साबित करता है, फिर भी अदालत के पास बचाव को रद्द करने और पुरस्कार को लागू करने का एक निश्चित विवेकाधिकार है। इस तरह का अतिनिर्णय उचित होगा, उदाहरण के लिए, उस मामले में जहां प्रत्यर्थी को आह्वान करने से वंचित माना जा सकता है

इनकार के लिए आधार "।

50. मध्यस्थता पर रसेल, स्वीट एंड मैक्सवेल (24 वां संस्करण, 2015)

:

" 8-033 न्यूयॉर्क संधि के प्रवर्तन का विरोध करनापुरस्कार

जैसा कि ऊपर कहा गया है, आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन अदालत के पास न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं है, जब तक कि प्रवर्तन का विरोध करने वाला पक्ष एस में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों को साबित नहीं करता है। 103 में से

मध्यस्थता अधिनियम 1996। इनकार करने के ये आधार संपूर्ण हैं, [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और यदि कोई भी आधार मौजूद नहीं है तो पुरस्कार लागू किया जाएगा। इन आधारों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग का विस्तृत विश्लेषण इस पुस्तक के दायरे से बाहर है, लेकिन इस अध्याय में उनका संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। की जिम्मेदारी

आधार के अस्तित्व को साबित करना विरोधी पक्ष पर निर्भर करता है प्रवर्तन, लेकिन यह मामले का अंत नहीं हो सकता है। पुरस्कारों के प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति है और

न्यायालयों को केवल एस के तहत एक पुरस्कार को लागू करने से इनकार करना चाहिए। 103 ए मेंस्पष्ट मामला।

XXX XXX XXX

8-035 विवेक अदालत के पास प्रवर्तन की अनुमति देने का भी विवेकाधिकार है

ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ एक या अधिक आधार बनाए जाते हैं। हालाँकि इस विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एस में "हो सकता है" शब्द है। 103 (2) न्यूयॉर्क कन्वेंशन में संबंधित शब्द को संदर्भित करने का इरादा है। किसी भी मामले में विवेकाधिकार है

बहुत संकीर्ण। यदि एस में एक या अधिक मैदान हैं। 103 (2) यह माना जाता है कि यह प्रबल धारणा है कि पुरस्कार लागू नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद लागू करने का विवेकाधिकार नहीं होगा

प्रयोग किया जाता है जहां विचाराधीन पुरस्कार एक के अधीन था

मौलिक या संरचनात्मक दोष। हालांकि विवेकाधिकार हो सकता है

कहाँ उपलब्ध है

" सूचीबद्ध परिस्थितियों में से एक या अधिक के मूल अस्तित्व के बावजूद, उन पर भरोसा करने का अधिकार खो गया था, उदाहरण के लिए, किसी अन्य समझौते या रोक से।

या जहाँ परिस्थितियाँ हैं

" जो कुछ मान्यता प्राप्त कानूनी सिद्धांतों पर मामलों में उत्पन्न होने वाले पुरस्कार को अलग रखने के प्रथम दृष्टया अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

एस में सूचीबद्ध। 103 (2) . ”

51. यू. के. सुप्रीम कोर्ट का एक दिलचस्प फैसला बताया गया है

अल्लाह रियल एस्टेट एंड टूरिज्म होल्डिंग कंपनी। मंत्रालय ने

योग्य मामले, पाकिस्तान सरकार (2010) यूकेएससी 46। में।यू. के. में एक विदेशी पुरस्कार के विरोध को देखते हुए-इस तरह के पुरस्कार को लागू करने के लिए एक अदालत का आदेश, भले ही डी का विरोध करने के लिए आधार बनाए गए हों, इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" लार्ड मैन्स के अनुसार: विवेक

67. डल्ला का एक तर्क है, जो नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों में भी विफल रहा है। यह वह एस है। 103 (2) 1996 के अधिनियम और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) में कहा गया है कि "मान्यता और

पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है "यदि व्यक्ति इसके खिलाफ है

जिसकी ऐसी मांग की जाती है, वह निर्दिष्ट मामलों में से एक को साबित करता है (या सबूत प्रस्तुत करता है)। इसलिए, मिस हेइलब्रोन प्रस्तुत करती हैं, यह एक अदालत के लिए खुला है जो पाता है कि मध्यस्थता करने के लिए कोई समझौता नहीं था कि गैर-अस्तित्व समझौते के कथित अनुसरण में दिए गए एक पुरस्कार को फिर भी लागू किया जाना चाहिए। दर्दना लिमिटेड बनाम

यूकोस ऑयल कंपनी [2002] 1 ऑल ई. आर. (कॉम) 819 मैंने सुझाव दिया कि "हो सकता है" शब्द में विशुद्ध रूप से विवेकाधीन बल नहीं हो सकता है और इस संदर्भ में अदालत को अन्य परिस्थितियों पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जो कुछ पहचानने योग्य कानूनी सिद्धांत पर प्रवर्तन या मान्यता से इनकार करने के प्रथम दृष्टया अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं (पैरा 8 और 18)। मैंने ऐसी परिस्थितियों के संभावित उदाहरणों के रूप में एक और समझौता या अवरोध का भी सुझाव दिया। 68. S.103 (2) और अनुच्छेद V वास्तव में प्रवर्तन या मान्यता के लिए संभावित आपत्तियों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को शामिल करते हैं, जिनमें से कुछ के संबंध में इस तरह के विवेकाधिकार का आह्वान करना आसान हो सकता है

"हो सकता है" शब्द में वह शामिल है जो किसी भी मामले में हो सकता है जहां आपत्ति यह है कि पुरस्कार के लिए पक्षों के बीच कभी भी कोई लागू मध्यस्थता समझौता नहीं था। अनुच्छेद II

सम्मेलन और एस. एस. 100 (2) और 1996 के अधिनियम की 102 (1) (किसी भी स्थिति में स्पष्ट रूप से मौलिक) आवश्यकता को रेखांकित करने का काम करती है कि एक वैध और मौजूदा मध्यस्थता समझौता होना चाहिए।

एक पुरस्कार के पीछे लागू या मान्यता प्राप्त करने की मांग की जाती है। कुछ नई परिस्थितियों की अनुपस्थिति जैसे कि कोई अन्य समझौता या तथापि, यह एक उल्लेखनीय स्थिति होगी यदि "हो सकता है" शब्द किसी न्यायालय को किसी ऐसे पुरस्कार को लागू करने या मान्यता देने में सक्षम बनाता है जो उसे अधिकार क्षेत्र के बिना दिया गया था, जो भी कानून के तहत उसे मान्यता दी जानी चाहिए और उस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

69. डल्ला द्वारा अपने सुझाव के समर्थन में जिन कारकों पर भरोसा किया गया था कि वर्तमान पुरस्कार को लागू करने के लिए विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए

अधिकांश भाग के लिए [2020] 4 एस. सी. आर. के लिए डल्ला के तर्कों की पुनरावृत्ति के लिए राशि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह कहते हुए कि सरकार के लिए एक बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता था, या कि एक अंग्रेजी अदालत को इस बात पर विचार करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए कि क्या कोई प्रशंसनीय या यथोचित समर्थन योग्य था।

उसके मामले के लिए या न्यायाधिकरण के निष्कर्ष के लिए कि उसके पास अधिकार क्षेत्र था। लेकिन डल्ला ऐसे अंकों पर हार गया है, और उन्हें यहां फिर से तैनात करना असंभव है। एस का अनुप्रयोग। 103 (2) और अनुच्छेद 5 (1) से इस आधार पर संपर्क किया जाना चाहिए कि सरकार के लिए कोई बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता नहीं था और न्यायाधिकरण ने कार्य किया।

अधिकार क्षेत्र के बिना। सामान्य शिकायतें कि सरकार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी भी ज्ञात कानूनी सिद्धांत से असंबंधित, समान रूप से हैंएक ऐसे संदर्भ में अपरिहार्य जहां सरकार ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी मध्यस्थता समझौते में पक्षकार नहीं थी। यहाँ प्रवर्तन को अस्वीकार करने के लिए किसी भी विवेक पर निर्भर होने की कोई गुंजाइश नहीं है जो शायद कुछ अन्य संदर्भों में "हो सकता है" शब्द प्रदान कर सकता है।

XXX XXX XXX

विदेशी मध्यस्थ पुरस्कार 1927 और न्यूयॉर्क सम्मेलन। जिनेवा कन्वेंशन ने (अनुच्छेद 1) प्रदान किया कि मान्यता या प्रवर्तन प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक था कि पुरस्कार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के अनुसरण में किया गया था जो इसके तहत वैध था।(2) मान्यता और प्रवर्तन से इनकार करने के लिए अनिवार्य आधार ("अस्वीकार किया जाएगा"), जिसमें यह आधार भी शामिल है कि इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं। लेख

न्यूयॉर्क कन्वेंशन (और 1996 अधिनियम की धारा 103 (2) (बी) के वी (1) (ए) में प्रावधान है: पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। "वैन डेन बर्ग, पृष्ठ 265; पॉलसन, मे या मस्ट अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी देखें। व्यायाम में

वाक्यविन्यास और भाषाविज्ञान (1998) 14 अरब इंट 227।

127. चूँकि धारा 103 (2) (बी) एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावी बनाती है, इसलिए विवेकाधिकार को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जो ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. देता है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कन्वेंशन के पीछे के सिद्धांतों का प्रभाव। वैन डेन बर्ग, ऑप सिट, पृष्ठ 265 द्वारा सुझाए गए एक उदाहरण में प्रवर्तन का विरोध करने वाली पार्टी को चुनौती से वंचित कर दिया गया है, जिसे मैन्स एलजे द्वारा दर्दाना लिमिटेड बनाम यूकोस ऑयल कंपनी [2002] 2 लॉयड के प्रतिनिधि 326, पैरा 8 में अपनाया गया था। लेकिन, जैसा कि मैन्स एलजे ने पैरा 18 में जोर दिया है, कोई मनमाना विवेकाधिकार नहीं है: "मई" शब्द का उपयोग अदालत को अन्य परिस्थितियों पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था, जो कुछ पहचानने योग्य कानूनी सिद्धांत पर धारा 103 (2) में सूचीबद्ध मामलों में उत्पन्न होने वाले पुरस्कार को अलग करने के प्रथम दृष्टया अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं। कनोरिया बनाम गिनीज [2006] 1 लॉयड्स रेप 701, पैरा 25 प्रति लॉर्ड फिलिप्स सी. जे. भी देखें। एक अन्य संभावित उदाहरण यह होगा कि प्रवर्तन का विरोध करने वाले पक्ष के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रहा है: चीन कृषि व्यवसाय विकास निगम बनाम बल्ली

ट्रेडिंग [1998] 2 लॉयड के प्रतिनिधि 76। लेकिन यह देखना आसान नहीं है कि यह उस मामले में कैसे लागू हो सकता है जहां एक पक्ष ने मध्यस्थता समझौते को स्वीकार नहीं किया था।

128. बेशक, सिद्धांत रूप में ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अंग्रेजी अदालत एक विदेशी कानून को लागू करने से इनकार कर देगी जो मध्यस्थता समझौता अमान्य है जहां विदेशी कानून न्याय या शालीनता की भावना को आहत करता है (स्कारमैन जे का वाक्यांश इन द एस्टेट में)

फुल्ड, डिक (संख्या 3) [1968] पी 675,698), उदाहरण के लिए जहां यह भेदभावपूर्ण या मनमाना है। में सार्वजनिक नीति का अनुप्रयोग

न्यूयॉर्क कन्वेंशन (अनुच्छेद V (2) (b)) और 1996 अधिनियम (धारा 103 (3)) विदेशी पुरस्कारों की गैर-मान्यता या प्रवर्तन तक सीमित है। लेकिन (ए) सार्वजनिक नीति के उपयोग का संयोजन

विदेशी कानून के अनुप्रयोग को मान्यता देने से इनकार करना और (बी) किसी पुरस्कार को मान्यता देने या लागू करने के विवेक का उपयोग किया जा सकता है, भले ही लागू कानून के तहत मध्यस्थता समझौता अमान्य हो।

एक विदेशी कानून के आवेदन से बचें जो अदालत की न्याय की भावना के विपरीत है।

XXX XXX XXX

130. संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों ने उन पुरस्कारों को लागू करने से इनकार कर दिया है जिन्हें उस राज्य में अलग कर दिया गया है जिसमें पुरस्कार दिया गया था, इस आधार पर कि पुरस्कार लागू करने के लिए मौजूद नहीं है यदि इसे उस राज्य में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से अलग कर दिया गया है: बेकर मरीन (नाइजीरिया) लिमिटेड बनाम शेवरॉन (नाइजीरिया) लिमिटेड, 191 एफ 3 डी 194 (2 डी सिर 1999); टर्मोरियो एसए ईएसपी बनाम इलेक्ट्रांटा एसपी, 487 एफ 3 डी 928 (डीसी सिर 2007)। लेकिन एक मिस्र का पुरस्कार जो [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मिस्र की अदालत द्वारा अलग रखे जाने को लागू किया गया था क्योंकि पक्ष इस बात पर सहमत थे कि पुरस्कार स्थानीय अदालतों का सहारा लेने का विषय नहीं होगा: क्रोमलॉय एयरोसर्विसेज बनाम अरब गणराज्य मिस्र, 939 एफ सप 907 (डीडीसी 1996)। वह निर्णय न्यूयॉर्क कन्वेंशन, अनुच्छेद V (1) में विवेकाधिकार और अनुच्छेद VII (1) के तहत शक्ति दोनों पर आधारित था (देखें कराहा बोदास को बनाम पेरूसाहान पर्टाम्बंगन मिन्याक डैन गैस बुमी)।

नेगारा, 335 एफ 3 डी 357,367 (5 वीं सी. आई. आर. 2003) और क्या यह सही ढंग से तय किया गया था, टर्मोरियो एस. ए. ई. एस. पी. बनाम इलेक्ट्रांटा में खुला छोड़ दिया गया था।

एस. पी., पूर्व, पृ. 937 पर।

131. इस बात के बावजूद कि पुरस्कार मूल देश में अलग रखा गया है, लागू करने की शक्ति, निश्चित रूप से, इस मामले में उत्पन्न नहीं होती है। डल्ला अपने पक्ष में विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए जो एकमात्र आधार सामने रखता है, वह है सरकार द्वारा पुरस्कार को रद्द करने के लिए फ्रांसीसी अदालत का सहारा लेने में विफलता। लेकिन मूरे-बिक एल. जे. का वर्तमान मामले में (पैरा 61 पर) यह कहना स्पष्ट रूप से सही था कि विरोध करने वाले पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को अदालतों में चुनौती देने के लिए कदम उठाने में विफलता शायद ही कभी, यदि कभी भी, अधिकार क्षेत्र के बिना दिए गए पुरस्कार को लागू करने में विवेक का प्रयोग करने का आधार होगी। निश्चित रूप से अभ्यास करने का कोई आधार नहीं है

इस मामले में विवेकाधिकार "।

52. क्रूज़ सिटी में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश 1 रिटियस होल्डिंग्स बनाम। यूनिटेक लिमिटेड (2017) 239 डीएलटी 649, विज्ञापित

मुद्दा और आयोजित:

" 28. यद्यपि यह न्यायालय इस तर्क को स्वीकार करता है कि अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में उपयोग किए गए "हो सकता है" शब्द का उपयोग न्यायालयों को पूर्ण विवेक प्रदान नहीं करता है, यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि "हो सकता है" शब्द को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और

अदालत प्रवर्तन से इनकार करने के लिए मजबूर है, यदि कोई भी आधार है

धारा 48 के तहत स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले, "मई" शब्द का सादा अर्थ "होगा" नहीं है; इसका उपयोग विवेक और विवेक को इंगित करने के लिए किया जाता है।

मजबूरी के विपरीत एक विकल्प को इंगित करें।

29. पुनः, निकोल्स बनाम। बेकर: 59 एल. जे. सीएच. 661, कॉटन एल. जे. ने कहा कि "मई" का अर्थ कभी भी आवश्यक नहीं हो सकता है, जब तक कि अंग्रेजी भाषा अपना अर्थ बरकरार रखे। लेकिन यह एक शक्ति देता है और फिर यह एक सवाल हो सकता है, किन मामलों में, जब कोई प्राधिकरण या निकाय ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस.।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसे 'मई' शब्द द्वारा दी गई शक्ति है, यह इसका कर्तव्य बन जाता है

उस शक्ति का प्रयोग करें "।

30. आधिकारिक परिसमापक v. धरती धन (पी) लिमिटेड : (1977) 2 एस. सी. सी. 166 सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कुछ मामलों में जहां कानूनी और तथ्यात्मक संदर्भ निर्दिष्ट किया गया है जिसमें विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना है, इसे उस तरीके से प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ भी जोड़ा गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है कि चूंकि अधिनियम की धारा 48 अदालत को कुछ आधारों पर विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने में सक्षम बनाती है, इसलिए इस अदालत को ऐसा करने की आवश्यकता होगी; हालाँकि, यदि कानून के तय किए गए सिद्धांतों पर आधारित अच्छे कारण हैं, तो अदालत को इसे अस्वीकार करने से नहीं रोका जा सकता है। अधिनियम की धारा 48 (1) और (2) में "हो सकता है" शब्द की व्याख्या इस अर्थ में की जानी चाहिए कि अदालतें किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के लिए बाधित न हों, भले ही धारा 48 में निर्धारित आधार स्थापित हों, बशर्ते कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण हो। एहि दृष्टिकोणसँ देखल जा सकैत अछि जे एहि न्यायालय आधारक परीक्षण करैत काल एहि पर विचार कऽ सकैत अछि।

जैसा कि धारा 48 (1) के तहत निर्धारित किया गया है (न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित) उस विचार से भौतिक रूप से अलग हो सकता है जिसे यह अदालत जांच करते समय वहन कर सकती है।

सार्वजनिक नीति (अधिनियम की धारा 48 (2)) के आधार पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन में गिरावट का मुद्दा। जबकि धारा 48 (1) के तहत निर्धारित आधार अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचनात्मक अखंडता और अंतर-पक्षीय अधिकारों से संबंधित हैं, इसलिए पक्षों के आचरण, संतुलन जैसे विचार।

अंतर अधिकारों आदि का भौतिक महत्व है लेकिन इस तरह के विचार इस बात पर विचार करने में कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिकता नहीं हो सकते हैं कि क्या पुरस्कार को लागू करना भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है।

31. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 48 न्यूयॉर्क समझौते के अनुच्छेद V की एक वैधानिक अभिव्यक्ति है।

और इसी तरह से लिखा जाता है। न्यूयॉर्क समझौते के अनुच्छेद 5 का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को निर्दिष्ट आधारों पर विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के विवेक को बनाए रखने में सक्षम बनाना है। और कोई अन्य नहीं; यह सदस्य राज्यों को विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन को अस्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करता है। इस प्रकार सम्मेलन का अनुच्छेद V सदस्य राज्यों के लिए विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करने के लिए उपलब्ध अधिकतम छूट निर्धारित करता है। इस दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया गया है [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों द्वारा। क्रोमलॉय एयरोसर्विसेज में। वी. मिस्र का अरब गणराज्य: 939 एफ. सप. 907 (डी. डी. सी. 1996), एक मिस्र का पुरस्कार, जिसे मिस्र की एक अदालत ने दरकिनार कर दिया था, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (e) के बावजूद लागू किया गया था।

32. यह सिद्धांत कि अदालतें एक विदेशी पुरस्कार को लागू कर सकती हैं, इसके बावजूद कि एक या अधिक निर्दिष्ट आधार स्थापित किए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी स्वीकार किया जाता है। (देखिए: चीन कृषि व्यवसाय विकास निगम बनाम। बल्ली व्यापार: [1998] 2 लॉयड के प्रतिनिधि 76)।

XXX XXX XXX 37. पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करने के लिए अधिनियम की धारा 48 में निर्धारित आधारों में अधिनियमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

और कारक जो व्यापक रूप से निर्धारित किए गए हैं। जबकि कुछ मामलों में, पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करना अनिवार्य हो सकता है, जबकि कुछ अन्य मामलों में, ऐसा करना स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण हो सकता है। धारा 48 है

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया, जो सदस्य राज्यों को अपने क्षेत्र में विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन पर कुछ संप्रभु नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यह आधार कि राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति के विरोध में एक पुरस्कार के प्रवर्तन को अस्वीकार कर दिया जाएगा, शायद एक संप्रभु के आरक्षण की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति प्रदान करता है कि इसकी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए नहीं किया जाएगा जो इसकी नीति के साथ संघर्ष में है। अन्य आधार मुख्य रूप से अंतर-पक्षीय अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया की संरचनात्मक अखंडता से संबंधित हैं।

38. अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, न्यायालय केवल तभी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार कर सकता है जब पक्षकार

प्रवर्तन का विरोध करना अधिनियम की धारा 48 (1) में निर्धारित आधारों को स्थापित करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है। हालाँकि, न्यायालय किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार कर सकता है, इसके बावजूद कि

प्रवर्तन का विरोध करने वाली पार्टी ने कोई/पर्याप्त प्रदान नहीं किया हैसार्वजनिक नीति के उल्लंघन का प्रमाण। ऐसे मामलों में, न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक नीति के प्रश्न की जांच करने से वंचित नहीं है और भारत की सार्वजनिक नीति को आहत करने वाले विदेशी निर्णय को लागू करने से इनकार कर देगा। विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करने की जांच करते समय अदालत का दृष्टिकोण भी स्थापित बचाव की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

39. यहाँ तक कि जहाँ सार्वजनिक नीति के विचारों को तौलना है, वहाँ भी ऐसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जहाँ दोनों अनुमति देते हैं

साथ ही प्रवर्तन में गिरावट सार्वजनिक नीति की अवहेलना होगी। इस प्रकार, उन मामलों में भी जहां यह पाया जाता है कि पुरस्कार का प्रवर्तन सार्वजनिक नीति के अनुरूप नहीं हो सकता है, अदालतें मूल्यांकन कर सकती हैं और एक संतुलन बना सकती हैं कि क्या विदेश पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करना सार्वजनिक नीति के लिए अधिक आक्रामक होगा-यह देखते हुए कि पक्षों को उनके द्वारा चुने गए मंच के निर्णय से बाध्य होना चाहिए और मुकदमेबाजी की अंतिमता है-या

उसी को लागू करना; क्या किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार करना न्याय के उद्देश्य के लिए इसे लागू करने की तुलना में अधिक कमजोर होगा। ऐसे मामलों में, न्यायालय शामिल सार्वजनिक नीति की प्रकृति, विस्तार और अन्य बारीकियों का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होगा और

एक ऐसा पाठ्यक्रम अपनाएँ जो कम हानिकारक हो।

XXX XXX XXX

43. इस प्रकार, जबकि किसी विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कोई पूर्ण या खुला विवेकाधिकार नहीं है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह पूरी तरह से अनुपस्थित है। विवेकाधिकार की चौड़ाई है

संकीर्ण और सीमित, लेकिन यदि पर्याप्त आधार स्थापित किए जाते हैं, तो न्यायालय अस्वीकार करने के अनुरोध को अस्वीकार करने से नहीं रोकता है।विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन "।

53. जब धारा 48 के तहत किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के आधार देखे जाते हैं, तो उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे आधार जो मध्यस्थता कार्यवाही के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं;

वे आधार जो केवल पक्ष के हित को प्रभावित करते हैं; और वे आधार जो भारत की सार्वजनिक नीति में जाते हैं, जैसा कि धारा 48 (2) के स्पष्टीकरण 1 में समझाया गया है। जहां प्रवर्तन का विरोध करने का कोई आधार बनाया जाता है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर सवाल उठाया जाता है-जैसे कि मध्यस्थता समझौता स्वयं उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है, या जहां मतभेद का विषय भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, यह स्पष्ट है कि इन मामलों में कोई विवेकाधिकार नहीं हो सकता है। अधिकारिता के बिना किए गए विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को संभवत: विवेकाधिकार के लिए तराजू में नहीं तौला जा सकता है

यदि तराजू इसके पक्ष में झुकता है तो इस तरह के पुरस्कार को लागू करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

54. दूसरी ओर, जहां विरोध करने के लिए आधार लिया गया था

प्रवर्तन को केवल पक्ष के हित से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है, उदाहरण के लिए, कि एक पक्ष मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ रहा है, और कौन सा आधार छूट या परित्याग करने में सक्षम है, या, आधार [2020] 4 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह देखते हुए कि इस तरह के आधार पर पक्ष के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया गया है, एक न्यायालय एक विदेशी पुरस्कार को अच्छी तरह से लागू कर सकता है, भले ही ऐसा आधार बनाया गया हो। जब "भारत की सार्वजनिक नीति" के आधार की बात आती है, तो फिर से, किसी ऐसे निर्णय को लागू करने में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा जो धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित हो, या जो भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करता हो, या नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में हो। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा 48 में "हो सकता है" अभिव्यक्ति का अर्थ,

संदर्भ के आधार पर, "होगा" या यह दर्शाता है कि एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए न्यायालय में एक अवशिष्ट विवेकाधिकार रहता है, इसके विरोध के लिए आधार बनाए जाने के बावजूद। जो बात स्पष्ट है वह यह है कि इस विवेकाधिकार का विस्तार ऊपर बताई गई परिस्थितियों तक सीमित है, इस मामले में न्यायालय द्वारा एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने के लिए एक संतुलनकारी कार्य किया जा सकता है।

धारा 48 के तहत प्राकृतिक न्याय का आधार

55. श्री सिब्बल ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) में आने वाली अभिव्यक्ति "या अन्यथा अपना मामला पेश करने में असमर्थ थी" को इससे पहले के शब्दों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इस तथ्य को देखते हुए कि प्रवर्तन के प्रतिरोध के आधार को अस्पष्टता के मामले में संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए, यह अभिव्यक्ति संभवतः मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई और निर्णय से परे नहीं जा सकती है।

मध्यस्थ द्वारा प्रदान किया गया। दूसरी ओर, श्री नकुल दीवान ने तर्क दिया कि "अपना मामला पेश करने में असमर्थ" अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के साथ सह-समाप्ति थी, जो न केवल मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई के लिए गई, बल्कि निर्णय के लिए भी गई, जिसमें, यदि मध्यस्थ को किसी भौतिक मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं देना था या किसी दावे या जवाबी दावे का फैसला नहीं करना था, तो यह प्राकृतिक न्याय के ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम की व्यापक आवश्यकताओं का उल्लंघन करेगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) द्वारा कवर किया जाएगा।

56. सांगयोंग (ऊपर) में इस न्यायालय ने धारा 48 के इस पहलू पर निम्नानुसार विचार किया है:

" 37. एक पक्ष के रूब्रिक के तहत अन्यथा प्रस्तुत करने में असमर्थ होना

इसके मामले में, इस विषय पर मानक पाठ्यपुस्तकों में कहा गया है कि जहां न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों की पीठ के पीछे सामग्री ली जाती है, जिस पर पक्षों को टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं मिला है, तो धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत आधार बनाया जाएगा। नए में

मान्यता और प्रवर्तन पर यॉर्क कन्वेंशन विदेशी मध्यस्थ पुरस्कार-टिप्पणी, डॉ. रेनमार द्वारा संपादित

वोल्फ (सी. एच. बेक, हार्ट, नोमोस पब्लिशिंग, 2012) ने कहा:

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 4. टिप्पणी करने का अधिकार

उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार, न्यायाधिकरण को पक्षों को उन सभी तथ्यात्मक और कानूनी परिस्थितियों पर टिप्पणी करने का अवसर देना चाहिए जो मध्यस्थों के निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं।

कौन से पक्ष एक दूसरे की प्रस्तुतियों और साक्षय का जवाब देते हैं, यह तर्क देते हुए कि "मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के कई तरीके थे"। तदनुसार, पक्षों द्वारा किसी भी विशिष्ट समझौते के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास पक्षकारों के टिप्पणी करने के अधिकार की व्यवस्था करने, नए दावों को पेश करने की अनुमति देने या हटाने और यह निर्धारित करने में व्यापक विवेकाधिकार है कि किस पक्ष के पास अंतिम शब्द हो सकता है। ख) न्यायाधिकरण [2020] 4 एस. सी. आर. द्वारा ज्ञात या निर्धारित साक्षय पर टिप्पणी करने का अधिकार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्षकारों का टिप्पणी करने का अधिकार उन तथ्यों तक भी फैला हुआ है जिन्हें पक्षकारों द्वारा कार्यवाही में पेश नहीं किया गया है, लेकिन यह कि न्यायाधिकरण ने स्वतः संज्ञान लिया है, बशर्ते वह ऐसा करने का हकदार हो। उदाहरण के लिए, यदि न्यायाधिकरण परिस्थितियों के बारे में "अदालत की जानकारी से बाहर" प्राप्त करता है (उदाहरण के लिए, अपनी जांच के माध्यम से), तो वह केवल उन परिस्थितियों पर अपना निर्णय दे सकता है यदि वह दोनों पक्षों को पहले से सूचित करता है और उन्हें उस पर टिप्पणी करने का अवसर देता है। यही नियम उन मामलों पर लागू होता है जहां एक मध्यस्थ अपने स्वयं के विशेषज्ञ ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने का इरादा रखता है, जब तक कि मध्यस्थ को उसकी विशेष विशेषज्ञता या विशेषज्ञता के लिए नियुक्त नहीं किया गया था।

ज्ञान (उदाहरण के लिए, गुणवत्ता मध्यस्थता में)। इसी तरह, एक न्यायाधिकरण को करना चाहिए

पक्षकारों को सामान्य ज्ञान के तथ्यों पर टिप्पणी करने का अवसर दें यदि वे उन तथ्यों पर अपना निर्णय लेने का इरादा रखते हैं, जब तक कि पक्षों को यह पता न हो कि वे तथ्य अंतिम निर्णय के लिए निर्णायक हो सकते हैं। (मूल में जोर)

इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 1999) ["फौचार्ड"] पर फौचार्ड, गेलार्ड, गोल्डमैन में कहा गया है:

" कुछ दुर्लभ मामलों में, किसी पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन को उचित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है। एक उदाहरण एक गुणवत्ता मध्यस्थता में दिया गया पुरस्कार है जिसमें प्रतिवादी को विवाद की सुनवाई करने वाले मध्यस्थों की पहचान के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था [डेनिश खरीदार बनाम जर्मन (एफ. आर.) विक्रेता, IV वाई. बी. कॉम। अरब। 258 (1979) (ओबरलैंडेसगेरिच्ट कोलोन)]। यह एक ऐसे मामले में भी हुआ जहां एक पक्ष द्वारा मध्यस्थता

न्यायाधिकरण को विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन दूसरे पक्ष [जी. डब्ल्यू. आई. केर्स्टन एंड कंपनी को नहीं। बी. वी. वी. सोसाइटी कमर्शियल राउल डुवल एट कंपनी, XIX Y. B. कॉम। अरब। 708 (एम्स्टर्डम कोर्ट ऑफ अपील्स) (1992)], एक अन्य मामले में जहां प्रतिवादी को विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का अवसर नहीं दिया गया था

न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त [पाकलिटो इनव। लिमिटेड वी. क्लॉक्नर ईस्ट

एशिया लिमिटेड, XIX Y. B. कॉम. अरब। 664 , 671 (हांगकांग का सर्वोच्च न्यायालय) (1994)], और फिर जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने साक्षय प्रस्तुत करने के तरीके को नियोजित करने के लिए एक पक्ष की आलोचना कीजिसे न्यायाधिकरण ने स्वयं सुझाव दिया था [ईरान एयरक्राफ्ट इंडस। वी एवको कार्पोरेशन। , 980 एफ. 2 डी 141 (दूसरा सिर। 1992)] "। (पी पर। 987)

गैरी बोर्न (ऊपर) कहते हैं:

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" जर्मन अदालतों ने इसी तरह के तर्क को अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि सुनवाई के अधिकार में अधिकारों के दो संबंधित समूह शामिल हैं: (क) एक पक्ष को तथ्य और कानून के विवादित मुद्दों पर अपनी स्थिति प्रस्तुत करने, अन्य पक्षों की स्थिति के बारे में सूचित करने और पक्षों को ज्ञात साक्षय या सामग्री के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है [देखें, उदाहरण के लिए, 5 जुलाई 2011 का निर्णय, 34 एससीएच 09/11, II (5) (सी) (बीबी) (ओबरलैंडेसगेरिच्ट मुंचेन)]; और (ख) एक पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्णय का हकदार है जो अपनी स्थिति को यथासंभव प्रासंगिक रूप से ध्यान में रखता है [देखें, उदाहरण के लिए, 5 अक्टूबर 2009 का निर्णय, 34 एससीएच 12/09 (ओबरलैंडेसगेरिच्ट मुन्चेन)]। अन्य अधिकारी सुनवाई के अधिकार की सामग्री के तुलनीय सूत्रीकरण प्रदान करते हैं [देखें, उदाहरण के लिए, स्लेनी बनाम। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फाउंडेशन, 244 एफ. 3 डी 580,592 (7 वां सर। 2001) (पृ. 3225)

इसी तरह, रेडफर्न और हंटर में (ऊपर):

“11.73 . इस प्रकार प्रवर्तन के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका सीमित है। इसका कार्य यह तय करना नहीं है कि तथ्य और कानून के मामले में पुरस्कार सही है या नहीं। इसका कार्य केवल यह तय करना है कि क्या निष्पक्ष सुनवाई हुई है। कार्यवाही के दौरान एक गलती अदालत को नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त हो सकती है निष्कर्ष निकालें कि न्याय से इनकार किया गया था। उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले में जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, एक अमेरिकी निगम, जिसे बताया गया था कि विस्तृत चालान जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, के दावे को ईरान-अमेरिकी दावा न्यायाधिकरण ने विस्तृत चालान जमा करने में विफलता के लिए खारिज कर दिया था! अमेरिकी अदालत ने, ठीक ही यह सुझाव दिया गया है, अमेरिकी कंपनी के खिलाफ पुरस्कार लागू करने से इनकार कर दिया

[ईरान एयरक्राफ्ट इंड बनाम एवको कॉर्प। 980 एफ. 2 डी. 141 (2 एन. डी. सर। 1992)]। अलग-अलग परिस्थितियों में, एक जर्मन अदालत ने माना कि एक पुरस्कार

यह उन दलीलों से प्रेरित था जो मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्षों या न्यायाधिकरण द्वारा नहीं उठाए गए थे, और इस प्रकार जिन पर पक्षों को टिप्पणी करने का अवसर नहीं मिला था, उचित प्रक्रिया और सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया था।

स्टटगार्ट कोर्ट ऑफ अपील दिनांक 6 अक्टूबर 2001 को लिब्सर, द हेल्दी अवार्ड, चैलेंज इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 2003), 406 में संदर्भित किया गया है। इसी तरह, कनोरिया बनाम गिनीज में, [2006] ईडब्ल्यूसीए सिविल। 222 , इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला किया कि प्रतिवादी को गंभीर कानूनी स्थिति में अपना मामला पेश करने का मौका नहीं दिया गया था

सुनवाई में दावेदार द्वारा दलीलें दी गईं, जो [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाता गंभीर बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सके। में

परिस्थितियों में, अदालत ने फैसला किया कि 'यह संभावित अन्याय का एक चरम मामला है' और मध्यस्थता पुरस्कार को लागू नहीं करने का संकल्प लिया।

11.74 . हालाँकि, प्रवर्तन के लिए असफल 'उचित प्रक्रिया' बचाव के उदाहरण अधिक संख्या में हैं। मिनमेटल्स जर्मनी बनाम फर्को स्टील, [1999] सी. एल. सी. 647 में, चीन में एक मध्यस्थता में हारने वाले प्रतिवादी ने इस आधार पर इंग्लैंड में प्रवर्तन का विरोध किया कि पुरस्कार इस सबूत पर स्थापित किया गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपनी जांच के माध्यम से प्राप्त किया था। एक अंग्रेज़ी

अदालत ने इस बचाव को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी को अंततः साक्षय का खुलासा करने के लिए कहने का अवसर दिया गया था

इस मुद्दे पर और इस पर टिप्पणी करें, लेकिन ऐसा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि प्रवर्तन के लिए उचित प्रक्रिया बचाव का उद्देश्य नहीं था

उन परिस्थितियों को समायोजित करें जिनमें कोई पक्ष उसे विधिवत दिए गए अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा हो।

57. सोहन लाल गुप्ता बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। आशा देवी सी. ए. (2003) 7 एस. सी. सी. 492, एक निष्पक्ष सुनवाई के अवयवों को इस प्रकार प्रस्तुत करती है -

बनाम ◌ः

" 23. एक उचित अवसर के गठन के लिए, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक हैः

1. प्रत्येक पक्ष को नोटिस होना चाहिए कि सुनवाई होनी है।

2. प्रत्येक पक्ष को अपने सलाहकारों और गवाहों के साथ सुनवाई में उपस्थित होने का उचित अवसर मिलना चाहिए।

3. प्रत्येक पक्ष को पूरे समय उपस्थित रहने का अवसर मिलना चाहिए।

सुनवाई।

4. प्रत्येक पक्ष को अपने मामले के समर्थन में साक्षय और तर्क प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलना चाहिए। 5. प्रत्येक पक्ष को अपने गवाहों से जिरह करके, पेश करके अपने प्रतिद्वंद्वी के मामले का परीक्षण करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।

साक्षय का खंडन करना और मौखिक तर्क को संबोधित करना।

6. सुनवाई, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से सहमत न हो जाए, वह अवसर होना चाहिए जिस पर पक्षकार अपने पूरे साक्षय और तर्क प्रस्तुत करते हैं।

58. ग्लेनकोर इंटरनेशनल में दिल्ली उच्च न्यायालय का हालिया फैसला। डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 8932

टी इस प्रकारः

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 25. अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) के तहत विचार किए गए मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थता (जो कि अधिनियम के अनुच्छेद वी (आई) (बी) के समान है)।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन) ऐसा होना चाहिए ताकि

उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली कार्यवाही। यह प्राथमिक है कि एक निष्पक्ष निर्णय के लिए प्रत्येक पक्ष को यह करना चाहिए कि

अपने-अपने मामलों को प्रस्तुत करने का पूर्ण और समान अवसर है

और इसमें कार्यवाही की उचित सूचना शामिल है। एक पार्टी में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करना प्रस्तुत करने में सक्षम है

मध्यस्थता कार्यवाहियों में ऐसी दुर्बलता का पर्याप्त प्रमाण,अदालतें विदेशी पुरस्कार को लागू करने से इनकार कर सकती हैं।

26. ऐसे मामलों के बीच एक स्पष्ट अंतर करने की आवश्यकता है जहां कोई पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ है, जिससे मध्यस्थता पुरस्कार को उचित प्रक्रिया/प्राकृतिक न्याय के न्यूनतम मानकों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है और ऐसे मामले जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण

किसी पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने की मांग वाले मामले को स्वीकार नहीं करता है। बाद वाला मामला, जाहिर है, अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) में उल्लिखित आधार को जन्म नहीं देता है, भले ही मध्यस्थ का निर्णय हो।

न्यायाधिकरण गलत है "।

59. अंग्रेजी निर्णय एक व्यक्ति के परीक्षण को लागू करने की वकालत करते हैं जो उसके नियंत्रण से बाहर के मामलों द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने से रोकता है।

मिनिमेटल्स जर्मनी जी. एम. बी. एच. वी. में किया गया था। फर्को स्टील लिमिटेड 9) सी. एल. सी. 647 निम्नानुसार है:

" मेरे निर्णय में, एस के भीतर मध्यस्थों के सामने मामला पेश करने में असमर्थता। 103 (2) (ग) कम से कम इस बात पर विचार करता है कि प्रवर्तक को उसके नियंत्रण से बाहर के मामलों द्वारा अपना मामला पेश करने से रोका गया है।

यह आम तौर पर उस मामले को शामिल करेगा जहां प्रक्रिया अपनाई गई थी।

प्राकृतिक नियमों के विपरीत तरीके से संचालित किया गया है

न्याय। हालाँकि, जहाँ प्रवर्तक ने अपने नियंत्रण में मामलों के कारण, अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए उसे दिए गए अवसर का लाभ उठाने के साधन प्रदान नहीं किए हैं, वह मेरे निर्णय में, प्रवर्तन के लिए खुद को उस अपवाद के भीतर नहीं लाता है।

समझौते के तहत। वर्तमान मामले में यह है कि हुआ "

60. इसी तरह, अजय कनोरिया बनाम। टोनी गिनीज (2006) ई. डब्ल्यू. सी. ए. 22 इंग्लैंड में अपील न्यायालय ने मिनमेटल्स (ऊपर) अनुमोदन को निम्नानुसार संदर्भित किया:

" 23. 1996 के अधिनियम की धारा 103 (2) (सी) के अर्थ पर अधिक अधिकार नहीं है। मिनमेटल्स जर्मनी जी. एम. बी. एच. बनाम फर्को स्टील लिमिटेड [1999] 1 में ऑल ई. आर. (कॉम) 325,326, जे. कोलमैन ने कहा:

" मेरे निर्णय में, धारा 103 (2) (सी) के भीतर मध्यस्थों के समक्ष मामला पेश करने में असमर्थता कम से कम इस बात पर विचार करती है कि प्रवर्तक को उसके नियंत्रण से बाहर के मामलों द्वारा अपना मामला पेश करने से रोका गया है। यह आम तौर पर उस मामले को शामिल करेगा जहां अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक नियमों के विपरीत तरीके से संचालित की गई है।

न्याय "। 9999 " "

61. इस परीक्षण का एक अनुप्रयोग जोर्फ लासफर एनर्जी में पाया जाता है।

को. वी. एएमसीआई निर्यात निगम। 2008 डब्ल्यू. एल. 1228930, जहाँ अमेरिकी जिला न्यायालय, डब्ल्यू. डी. पेंसिल्वेनिया ने निर्णय दिया कि यदि कोई पक्ष मध्यस्थ द्वारा दिए गए प्रक्रियात्मक आदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। यदि साक्षय को हटा दिया जाता है क्योंकि इसे एक प्रक्रियात्मक आदेश के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो एक पक्ष उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रक्रिया संबंधी निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकता है।निर्णय लेने वाला निकाय और फिर सफलतापूर्वक दावा करता है कि प्रक्रियाएं अनुचित थीं या उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करती थीं। इसी तरह, डोंगवू में

मान + हम्मेल कं. लिमिटेड बनाम। मान + हम्मेल जीएमबीएच (2008) एसजीएचसी 275, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 145. खोज आदेश का पालन करने से जानबूझकर इनकार करना अपने आप में सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं है क्योंकि

मध्यस्थता में प्रक्रिया उस पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की संभावित मंजूरी को स्वीकार करती है जो एक आदेश के अनुपालन में विचाराधीन दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करता है। न्यायाधिकरण निश्चित रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगा, और न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलें यह तय करती हैं कि गैर-पेश करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना है या नहीं। डोंगवू को आई. ए. ए. की धारा 13 और 14 के तहत दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने की भी स्वतंत्रता थी, यदि वह केवल बहस करने से संतुष्ट नहीं था।

प्रतिकूल निष्कर्ष का प्रश्न और यदि उसे अपने निरीक्षण के लिए उन दस्तावेजों के एम + एच द्वारा प्रस्तुत करने की सख्त आवश्यकता है ताकि वह एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने पर सही ढंग से तर्क दे सके। हालाँकि, डोंगवू ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया।

146. इसके अलावा, वर्तमान मामला ऐसा नहीं था जहां एक पक्ष हानिकारक दस्तावेज़ के अस्तित्व को भी छुपाता है और फिर बेईमानी से इसके अस्तित्व से इनकार करता है ताकि विरोधी पक्ष को यह प्रस्तुत करने का मौका भी न मिले कि एक प्रतिकूल निष्कर्ष ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. होना चाहिए।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

गैर-उत्पादन के लिए खींचा गया। एम + एच ने वास्तव में दस्तावेजों के अस्तित्व का खुलासा किया लेकिन कारण बताए कि वह उनका खुलासा क्यों नहीं कर सका। यहां, डोंगवू के पास यह प्रस्तुत करने का पूरा अवसर था कि एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, लेकिन यह न्यायाधिकरण को प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए मनाने में विफल रहा। न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष अन्य साक्षयों की जांच की, पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार किया और प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालने के लिए अपनी तथ्य निष्कर्षण और निर्णय लेने की शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग किया क्योंकि वह ऐसा करने का हकदार था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण यह निर्धारित करने के लिए अपनी सामान्य तथ्य खोजने की शक्तियों का प्रयोग करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था कि क्या या

कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। ”

62. अन्य अंग्रेजी निर्णय केवल सुनवाई में प्राकृतिक न्याय के एक पहलू के उल्लंघन के रूप में "अपने मामले में असमर्थ" अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। इस प्रकार, ग्बांगबोला बनाम। स्मिथ और शेरिफ 1998 3 ऑल ईआर

न्यायालय ने कहा:

" एक न्यायाधिकरण निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करता है यदि यह किसी पक्ष को उन तर्कों से निपटने का अवसर नहीं देता है जिनके पास नहीं है किसी भी पक्ष द्वारा आगे बढ़ाया गया। दावेदार ठेकेदार द्वारा यह सुझाव नहीं दिया गया है कि मध्यस्थ के पत्र में उल्लिखित दो बिंदुओं में से किसी को भी मध्यस्थता में समग्र बोझ और लागत के निर्धारण पर प्रभावशाली होने के रूप में उठाया गया था। जब तक कि ऐसा न हो

अवसर दिया जाता है वहाँ खतरा है कि अंतिम परिणाम नहीं होगा

उस पक्ष के खिलाफ निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया गया जिसे लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा। वास्तव में पहली और दूसरी दोनों के संबंध में यही स्थिति है।

दूसरे अंक "।

इसी तरह, बहमन इरवानी बनाम। अली इरवानी 1999 डब्ल्यू. एल. 1142456 ने पाया कि:

" 181. ..... न ही यह संतोषजनक था कि श्री अमीन के प्रश्नों का उत्तर केवल पुरस्कार के साथ दिया गया था, बजाय इसके कि पुरस्कार से पहले निपटा जाए ताकि टिप्पणी आगे बढ़ाई जा सके।

63. "अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ" का एक अन्य पहलू डेर गीसेन-डी-नूर्ड शिपबिल्डिंग डिवीजन बी. वी. वी. में कहा गया था। इमटेकइन एंड ऑफशोर बी. वी. (2008) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2904 (कॉम)। ब्रिटेन का न्यायालय

" उन परिस्थितियों में इसने पक्षों की इस सहमत स्थिति की अनदेखी करके निष्पक्षता के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है कि इस शीर्ष के तहत एक दावे में एचवीएसी उपकरण के लिए केबलिंग शामिल नहीं होनी चाहिए।

[2020] 4 एस. सी. आर. में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" डबल-काउंटिंग "इस संबंध में, ट्रिब्यूनल ने इमटेक को सम्मानित किया है

उससे अधिक जो उसने माँगा था, या यथोचित रूप से मांग सकता था। जी. एन. प्रस्तुत करता है कि दोहरी गिनती संभवतः दिए गए आई. डी. 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस आधार पर कि न्यायाधिकरण ने पहले एच. वी. ए. सी. दावे (दावा 1, वी. टी. सी. 1) के तहत एक बड़ी राशि का फैसला किया था। दोहरी गिनती का आकार चाहे जो भी हो, इसके न्यूनतम होने की संभावना नहीं है। मुझे संतोष है कि जी. एन. को, पुरस्कार के बावजूद, उससे अधिक भुगतान करने के कारण काफी अन्याय हुआ है।

अतिरिक्त काम के लिए इमटेक जाना चाहिए। "

यह निष्कर्ष मध्यस्थता 1996 (यू. के.) की धारा 68 के अनुसार दिया गया था जिसके द्वारा एक "गंभीर अनियमितता" के कारण डी को अलग कर दिया जाएगा या प्रेषित किया जाएगा या घोषित किया जाएगा कि इसका कोई प्रभाव नहीं है।

ई या आंशिक रूप से।

64. मैलिकॉर्प लिमिटेड बनाम। अरब गणराज्य की सरकार

टी (2015) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 361 (कॉम), यू. के. न्यायालय ने माना कि

मिस्र की सरकार ने इस बात की कोई चेतावनी नहीं दी थी कि पुरस्कार किस तरह से दिया जाता है। न्यायालय ने कहाः

" 41. इन परिस्थितियों में मुझे कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 142 के तहत हर्जाने का अधिनिर्णय मिस्र के लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला रहा होगा। इसलिए भी, वह आधार रहा होगा जिसके आधार पर इस तरह का पुरस्कार दिया गया था-प्रासंगिक गलती के लिए गणराज्य को 10 प्रतिशत जिम्मेदारी बांटना, और पुरस्कार के प्रमुख हिस्से के रूप में लाभ के नुकसान के लिए पर्याप्त राशि की

अनुमति देना। यह आश्चर्यजनक होता, अगर कोई सुझाव होता कि यह विचार में था, कि मिस्र इस बात का विरोध करने में विफल रहता कि न्यायाधिकरण को धोखाधड़ी पर अपने मामले पर एक निष्कर्ष निकालना चाहिए, बजाय इसके कि मैलिकॉर्प की ओर से एक अच्छी गलती के आधार पर जिम्मेदारी आवंटित की जाए। यह भी इसी तरह आश्चर्यजनक होता, अगर

वहाँ कोई सुझाव था कि के स्थान पर नुकसान

बहाली पर विचार किया गया था, कि मिस्र इस बात का विरोध करने में विफल रहेगा कि इस तरह के नुकसान में लाभ के नुकसान के लिए एक तत्व को ठीक से शामिल नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह मिस्र के लिए अन्य बातों के साथ-साथ इन मामलों में आगे बढ़ने के लिए मजबूत तर्क थे। यह धारणा कि इन मामलों के किसी भी उल्लेख के अभाव में, मिस्र काहिरा पुरस्कार में अपनाई गई कार्यवाही के आधार का अनुमान लगा सकता था और उसे करना चाहिए था, मेरे दिमाग में स्पष्ट रूप से प्राथमिक सिद्धांतों के विपरीत है।

निष्पक्षता।

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

42. न्यायाधिकरण की यह सुनिश्चित करने में विफलता कि मिस्र के पास चेतावनी थी

इन मामलों में से केवल प्राकृतिक कानून का गंभीर उल्लंघन हो सकता है।

न्याय। जहाँ तक मेरे पास पुरस्कार को लागू करने का कोई विवेक है

उस उल्लंघन के बावजूद, मैं ऐसा करने से इनकार करता हूं: उल्लंघन बहुत गंभीर है,

और मिस्र के लिए परिणाम बहुत गंभीर हैं। यह सुझाव दिया जाता है

कि सुनवाई फिर से बुलाई जाए ताकि श्री सोलीमन दे सकें

साक्षय और प्रतिपरीक्षा की जाए। मैं यह कोर्स करने से इनकार करता हूं: के लिए

ऊपर दिए गए कारणों से, श्री सोलीमन का बयान मदद नहीं कर सकता है

मैलिकॉर्प "।

65. सिंगापुर के न्यायालयों के निर्णय भी शिक्षाप्रद हैं।

एच बेंग टी एंड कंपनी वी. फेयरमाउंट डेवलपमेंट पीटीई लिमिटेड (2007)

ए 28, न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 2002 की धारा 48 (1) (ए) (vii) के अप्रस्तावों के लिए "निष्पक्ष सुनवाई" का अर्थ निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया:

" 59. इन मामलों को वर्तमान न्यायिक माहौल के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो यह निर्धारित करता है कि अदालतों को बिना किसी कारण के नहीं होना चाहिए

अंतर्राष्ट्रीय। यह निर्विवाद है कि अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास नेअब मौलिक रूप से सम्मान और संरक्षण के पक्ष में स्थानांतरित हो गया

पहले की प्रथा के विपरीत मध्यस्थता प्रक्रिया की स्वायत्तता उत्साही क्यूरियल हस्तक्षेप: उदाहरण के लिए, मध्यस्थता देखें।

अंग्रेजी स्थिति पर पृष्ठ 1 पर अधिनियम 1996 ([27] ऊपर); और रॉबर्ट

मॉर्गन, हांगकांग का मध्यस्थता अध्यादेश: ए.

हांग में स्थिति पर टिप्पणी (बटरवर्थ एशिया, 1997) कांग, जो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी अभ्यास को भी दर्शाता है। जैसा कि वेल्डन प्लांट लिमिटेड बनाम द कमीशन फॉर द न्यू में सही देखा गया है।

कस्बों [2001] 1 सभी ई. आर. (कम) 264 ("वेल्डन") पर [22], "[ए] एन पुरस्कार को समर्थन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। [और] एक रीडिंग दी जानी चाहिए जो

इसे नष्ट करने के बजाय इसे बनाए रखने की संभावना है "। इसी तरह, वी नेटवर्क्स लिमिटेड बनाम इकोनेट वायरलेस इंटरनेशनल लिमिटेड [2005] 1 लॉयड्स

प्रतिनिधि 192, अदालत ने, [90] में अभिनिर्धारित किया:

इन सबसे ऊपर यह आम तौर पर अदालत के लिए उचित नहीं है कि वह यह पता लगाने के लिए कि क्या पर्याप्त अन्याय हुआ है, भौतिक मुद्दा

का कारण बना है। ऐसा करना पूरी तरह से अनुचित होगा

मध्यस्थ प्रक्रिया की स्वायत्तता में प्रवेश।

65. केस लॉ और सिद्धांतों के पूर्वगामी सर्वेक्षण को आगे निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों में संक्षिप्त किया जा सकता है:

(क) मध्यस्थता के लिए पक्षों को, सामान्य रूप से, प्रत्येक मुद्दे पर प्रभावी ढंग से सुने जाने का अधिकार है जो संकल्प के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

एक विवाद। प्रमुख चिंता, जैसा कि गोफ एलजे ने द विमेइरा ([45] ऊपर) में उल्लेख किया है, निष्पक्षता है। अपनाने के लिए सबसे अच्छा नियम यह है कि पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें उचित व्यवहार करने दिया जाए

अपने मामलों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ जवाब देने का अवसर। अ.

मध्यस्थ को अपने निर्णय को उन मामलों पर आधारित नहीं करना चाहिए जो उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या बहस नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में, एक मध्यस्थ को बिना पुआल के ईंटें नहीं बनानी चाहिए। पक्षकारों की भागीदारी के बिना अनुचित पहल करने वाले मध्यस्थ गंभीर और स्थायी चुनौतियों को आकर्षित कर सकते हैं। (ख) निष्पक्षता, हालांकि, एक बहुआयामी अवधारणा है और यह सफल पार्टी के लिए भी अनुचित होगा यदि वह एक असंतुष्ट पार्टी के कारण अपने श्रम के फल से वंचित हो जाता है।

एक मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद कई शुष्क तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अदालतें एक ऐसा चरण नहीं हैं जहां एक असंतुष्ट पक्ष को चेरी का दूसरा दंश हो सकता है।(ग) वास्तव में, निष्पक्षता की बाद की अवधारणा न्यूनतम आकस्मिक हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मामले में आम हो गई है। विस्तार से, न्यूनतम क्यूरियल हस्तक्षेप को दो प्रमुख विचारों द्वारा रेखांकित किया जाता है। सबसे पहले, मध्यस्थता प्रक्रिया की स्वायत्तता को मान्यता देने की आवश्यकता है

अंतिमता को प्रोत्साहित करना, ताकि एक कुशल विकल्प के रूप में इसका लाभ हो

विवाद समाधान प्रक्रिया को कमजोर नहीं किया जाता है। दूसरा, मध्यस्थता का विकल्प चुनने के बाद, पक्षों को यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने अदालतों का सहारा लेने का केवल एक बहुत ही सीमित अधिकार होने के परिचर जोखिमों को स्वीकार और स्वीकार किया है। यह न तो उचित होगा और न हीएक असंतुष्ट पक्ष के लिए इस आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए अदालत की सहायता लेने के लिए कि अदालत एक अपीलीय कार्य का निर्वहन कर रही है, बहुत सीमित परिस्थितियों को छोड़कर जिन्हें सांविधिक रूप से माफ कर दिया गया है। आम तौर पर, एक अदालत केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि उसने खेल में विभिन्न विवादों को अलग-अलग तरीके से हल किया होगा।

(घ) मध्यस्थता प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन कि मध्यस्थता प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया जाता है, ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. द्वारा सख्ती से संरक्षित किया जाता है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने के लिए केवल संकीर्ण दायरे और आधार का पालन करना जिसे स्पष्ट रूप से इसके तहत स्वीकार किया गया है

अधिनियम और आई. ए. ए. जहाँ तक सुनवाई के अधिकार का संबंध है, मध्यस्थ द्वारा निर्णय के लिए प्रत्येक बिंदु को पक्षकारों को प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित करने में विफलता निश्चित रूप से चुनौती के लिए एक वैध आधार नहीं है। केवल ऐसे उदाहरणों में जहां विवादित निर्णय प्रस्तुतियों से एक नाटकीय विचलन का खुलासा करता है, या जिसमें एक मध्यस्थ बाहरी साक्षय प्राप्त करता है, या पक्षों द्वारा प्रस्तुत स्थापित साक्षय के साथ पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है, या एक निष्कर्ष पर पहुंचता है जिसे पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह तुच्छ या अप्रासंगिक है, क्या अदालत के लिए हस्तक्षेप करना उचित हो सकता है। संक्षेप में, यह आरोप लगाने का एक वास्तविक आधार होना चाहिए कि मध्यस्थ ने मध्यस्थता प्रक्रिया को या तो तर्कहीन या मनमौजी तरीके से संचालित किया है। रोटोइरा ([55] ऊपर) में प्रयुक्त भाषा को प्रतिध्वनित करने के लिए, आवेदक पर सबसे बड़ा बोझ यह दिखाना है कि अपने जूते में एक उचित वादी पुरस्कार में प्रकट प्रकार के तर्क की संभावना का अनुमान नहीं लगा सकता था। इन बहुत ही सीमित परिस्थितियों में ही मध्यस्थ के निर्णय को अनुचित माना जा सकता है।

(ई) यह लगभग हमेशा मामला है कि पक्षकार किसी विवाद को हल करने के लिए बिल्कुल विपरीत समाधान का प्रस्ताव देते हैं। वे उम्मीद कर सकते हैं कि

इन वैकल्पिक पदों में से किसी एक का चयन करने के लिए मध्यस्थ। हालाँकि, मध्यस्थ किसी भी/या दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। वह एक बीच का रास्ता अपनाने का पूरी तरह से हकदार है (यहां तक कि पक्षों को अवगत कराए बिना भी)।उसकी अस्थायी सोच या विश्लेषण) जब तक कि वह उसके सामने मौजूद साक्षय पर आधारित हो। इसी तरह, एक मध्यस्थ को अपने समक्ष रखे गए प्राथमिक तथ्यों से अपने स्वयं के निष्कर्ष या निष्कर्ष पर आने का अधिकार है-वास्तव में, यह उसका दायित्व है। इसमें

संदर्भ में, उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे पक्षों द्वारा उनसे आग्रह किए जा रहे निष्कर्षों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करें। न ही उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सोच को अंतिम रूप देने से पहले अपनी विचार प्रक्रिया पर पक्षों से परामर्श करेंगे। पुरस्कार तब तक दिया जाता है जब तक कि इसमें उसे जो प्रदान किया गया है उससे नाटकीय विचलन शामिल न हो।

(च) प्रत्येक मामले का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के भीतर किया जाना चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई दोष या दोष था या नहीं, यह निर्धारित करने के प्रयास में सूक्ष्म रूप से एक मध्यस्थता पुरस्कार की जांच करे; बल्कि, एक पुरस्कार को उदारता से पढ़ा जाना चाहिए जैसे [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का केवल सार्थक उल्लंघन है कि

वास्तव में पूर्वाग्रह का कारण बने हैं जो अंततः ठीक हो जाते हैं।

(जोर दिया गया)

66. जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। एग्रीट्रेड इंटरनेशनल

पी. टी. ई. लिमिटेड (2016) एस. जी. एच. सी. 126, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम (सिंगापुर) की धारा 24 (बी) में निहित प्राकृतिक न्याय प्रावधान का उल्लंघन तब किया गया जब मध्यस्थ द्वारा नए बिंदुओं पर विचार किया जाता है, यानी किसी भी पक्ष द्वारा तर्क नहीं दिए गए बिंदु, जो पुरस्कार का आधार बने। तब से इन नए बिंदुओं को पक्षों के सामने नहीं रखा गया था, उस मामले के तथ्यों में स्वाभाविक न्याय का उल्लंघन कहा गया था। इसी तरह, जी. डी. माइडिया एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट कंपनी वी. टोरनैडो कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड

(2017) एस. जी. एच. सी. 193, अदालत ने पाया कि:

" 65. एक पक्ष जो कला के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने की मांग कर रहा है

34 (2) (क) आदर्श कानून की धारा 24 (ख) या आई. ए. ए. की धारा 24 (ख) को स्थापित करना चाहिए।

(क) प्राकृतिक न्याय के किस नियम का उल्लंघन किया गया था; (ख) वह नियम कैसेउल्लंघन किया गया था; (सी) उल्लंघन किस तरह से संबंधित था

अधिकार: सोह बेंग टी एंड कंपनी पीटीई लिमिटेड बनाम फेयरमाउंट डेवलपमेंट पीटीई लिमिटेड [2007] 3 एसएलआर (आर) 86 ("सोह बेंग टी") [29] पर।

66. माइडिया के मामले का सार यह था कि न्यायाधिकरण का निष्कर्षसी. एल. 4.2 ने निष्पक्ष सुनवाई के नियम का उल्लंघन किया क्योंकि माइडिया को एक

अपना मामला पेश करने का पूरा अवसर। जैसा कि पहले कहा गया है (देखें [62] ऊपर), सी. एल. 4.2 के उल्लंघन का मुद्दा इसमें उत्पन्न नहीं हुआ

मध्यस्थता; न्यायाधिकरण ने बिना दिए धारा 4.2 पर अपना निष्कर्ष निकाला।

पक्षों को सूचित करें। न्यायाधिकरण का उल्लंघन स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ था

पुरस्कार के निर्माण के लिए क्योंकि सी. एल. 4.2 पर इसका निष्कर्ष आधार था

जिस पर पुरस्कार में आक्षेपित निष्कर्ष (जिसमें

यह पाते हुए कि Midea MBA को समाप्त करने का हकदार नहीं था)

बनाया गया। 4. 2 पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष पर मैं माइडिया से सहमत हूँ।

प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन था।

67. एक हांगकांग निर्णय हेबेई आयात और निर्यात के रूप में रिपोर्ट किया गया

केवल एक पक्ष से संचार, दूसरे की अनुपस्थिति में, दूसरे पक्ष को अंधेरे में रखा जा रहा है कि वे संचार क्या हैंथे। इस बिंदु पर, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गयाः

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" दूसरी ओर, हम सोचते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिवादी को यह सुनने का अवसर नहीं मिला कि वादी के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मुख्य मध्यस्थ को क्या प्रस्तुत किया गया था

और इसलिए विशेषज्ञों द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले मामले का अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था। विशेषज्ञों की रिपोर्ट की एक प्रति के प्रावधान और उस पर टिप्पणी करने के अवसर से यह कुछ हद तक कम हो गया था। लेकिन न तो न्यायाधिकरण के जवाब या रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि ब्रीफिंग सत्र के दौरान क्या हुआ। इस मामले की विचित्र परिस्थितियों में, हम सोचते हैं कि न्यायाधिकरण को निरीक्षण और विशेषज्ञों की रिपोर्ट से उत्पन्न मामलों के संबंध में आगे की सुनवाई करनी चाहिए थी। ऐसा कोई अनुरोध या सहमति नहीं थी कि मौखिक सुनवाई को छोड़ा जा सके। हमारे विचार में, प्रतिवादी की एक वैध शिकायत है

कि मध्यस्थता नियमों के अनुच्छेद 32 और पी. आर. सी. मध्यस्थता कानून के अनुच्छेद 45 का उल्लंघन हुआ था। यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी के पास न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने का उचित अवसर नहीं था

निरीक्षण और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के संकलन के बाद।

68. हालाँकि, श्री नकुल दीवान ने कई निर्णयों पर भरोसा किया जो उनके इस कथन पर निर्भर करते हैं कि भौतिक मुद्दों से निपटने में विफलता होगी।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) के तहत, जिसके परिणामस्वरूप एक जीएन पुरस्कार लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने एस्कॉट जिंसों का हवाला दिया

. ओलाम इंटरनेशनल लिमिटेड 2001 डब्ल्यू. एल. 1560709, इस प्रस्ताव के लिए। मध्यस्थता की धारा 68 को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया गया था।

1996 (यू. के.), जो निम्नानुसार कहता हैः

" 68. पुरस्कार को चुनौती देना: गंभीर अनियमितता।

(1) मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक पक्ष (अन्य पक्षों और न्यायाधिकरण को नोटिस देने पर) गंभीर अनियमितता को प्रभावित करने के आधार पर कार्यवाही में एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। न्यायाधिकरण, कार्यवाही या पुरस्कार।

एक पक्ष आपत्ति करने का अधिकार खो सकता है (धारा 73 देखें) और आवेदन करने का अधिकार धारा 70 (2) और (3) में प्रतिबंधों के अधीन है।(2) गंभीर अनियमितता का अर्थ है निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रकार की अनियमितता जो अदालत मानती है कि इसके कारण हुई है या होगी।

आवेदक के साथ भारी अन्याय करना

XXX XXX [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(घ) न्यायाधिकरण द्वारा रखे गए सभी मुद्दों से निपटने में विफलता

उसके लिए; "इस संदर्भ में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" क्या बोर्ड ने सभी आवश्यक मुद्दों से निपटा है? जीएएफटीए के निष्कर्ष आदतन संक्षिप्त होते हैं। कई लोग इसे एक सद्गुण मानेंगे। यह निश्चित रूप से कोई अनियमितता नहीं है। न ही मध्यस्थों पर यह दायित्व है कि वे उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर प्रत्येक तर्क से निपटें। लेकिन एक पुरस्कार

सभी आवश्यक मुद्दों से संक्षिप्त रूप से निपटना चाहिए। धारा 68 (2) (डी) में मान्यता प्राप्त गंभीर अनियमितताओं के प्रमुखों में से एक है "न्यायाधिकरण द्वारा उन सभी मुद्दों से निपटने में विफलता जिन्हें सामने रखा गया था।

यह "। एस्कॉट द्वारा अपनी अपील पर उठाया गया केंद्रीय बिंदु यह था कि यदि लदान के बिलों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था, जैसा कि अक्टूबर 1998 के अनुबंध के सामने दिखाई देता है, तो ओलम के नुकसान से संपर्क नहीं किया जाना था।

जैसे कि वे माल के लाभकारी मालिक थे। इस मुद्दे को सम्मान के साथ संबोधित नहीं किया गया है। चूंकि मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया मुद्दे पर बिंदुओं को निर्धारित करने के एक तरीके के रूप में अभिप्रेत है, इसलिए यह गंभीर अनियमितता का विषय होने की अधिक संभावना है यदि किसी केंद्रीय मामले पर एक निष्कर्ष ऐसे आधार पर किया जाता है जो उस मामले को प्रतिबिंबित नहीं करता है जिसे शिकायत करने वाले पक्ष ने उचित रूप से सोचा था कि वह बैठक कर रहा था, या एक निष्कर्ष अस्पष्ट है, या एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है, अगर शिकायतें केवल प्रक्रियात्मक मामलों पर जाती हैं।

श्री यंग ने प्रस्तुत किया कि एस्कॉट की वास्तविक शिकायत यह है कि उसके तर्कों को स्वीकार नहीं किया गया था और यह एक अनियमितता नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपील करने की अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि बोर्ड के निष्कर्षों की संक्षिप्तता

एस्कॉट के लिए आगे के कारणों का अनुरोध करना वैध बना दिया,

वे उनसे मांग सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।पुरस्कार को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर मुझे ऐसा लगता है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायाधिकरण ने एस्कॉट द्वारा तर्क दिए गए केंद्रीय मुद्दे के लिए खुद को निर्देशित किया है और खारिज कर दिया है, लेकिन वास्तव में, यह चूक गया है। लेकिन अगर कोई पुरस्कार, जैसा कि दिया गया है, किसी केंद्रीय मुद्दे पर कोई निष्कर्ष रखने में विफल रहता है, तो किसी ऐसी चीज के लिए कारण पूछना अजीब होगा जो वहां नहीं है।

69. इसी तरह, जेब्रा इंडस्ट्रीज बनाम। वाह टोंग पेपर प्रोडक्ट्स पी. लिमिटेड (2012) एच. के. सी. यू. 1308, हांगकांग क़ानून, अर्थात्, पुराने मध्यस्थता अध्यादेश (कैप 391) की धारा, ने कानून की त्रुटि के आधार पर एक पुरस्कार को आदर्श बनाने में सक्षम बनाया। इस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था:

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 44. ज़ेबरा की उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, कानून का सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या मध्यस्थ नुकसान के लिए ज़ेबरा के दावे का निर्धारण करने में वेंचर कैपिटल क्लॉज को ध्यान में रखने में विफल रहने में कानूनी रूप से गलत था।

XXX XXX XXX

47. मेरे विचार में, उचित रूप से देखा गया, उद्यम के आधार पर और उसके संदर्भ में समझौते के उल्लंघन के लिए नुकसान पर दावा।

एस. डी. में जेब्रा द्वारा कैपिटल क्लॉज सामने रखे गए थे।

XXX XXX XXX 49. इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि मध्यस्थ ने जेब्रा के दावे के इस हिस्से पर विचार करने और उसे संबोधित करने में विफल रहने में कानून की त्रुटि की है, परिणामी नुकसान के लिए, यदि कोई हो, एक उद्यम पूंजी निधि निवेश को सुरक्षित करने में अवसर के नुकसान के लिए और सूचीबद्ध करने के लिए

कंपनी।

50. इसलिए मैं निर्णय के इस हिस्से को भी मध्यस्थ को उसके पुनर्विचार के लिए भेज दूंगा। पुनर्विचार के लिए ये मुद्दे संबंधित भागों के मूल्यांकन के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं अवसर के कथित नुकसान पर

साक्षय, यदि कोई हो, और मध्यस्थ द्वारा सबसे अच्छा निपटा जाना चाहिए। ऐसा करने में, मध्यस्थ को उपरोक्त पैराग्राफ 42 में उल्लिखित परिणामी नुकसान के लिए जेब्रा के दावे के इस हिस्से पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए उद्यम पूंजी खंडों को ध्यान में रखना चाहिए।

70. ए वी में। बी (2015) 3 एच. के. एल. आर. डी. 586, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 33. यह निष्पक्षता, उचित प्रक्रिया और न्याय की अवधारणाओं के लिए मौलिक है, जैसा कि हांगकांग में मान्यता प्राप्त है, कि प्रमुख और भौतिक मुद्दे हैं।

न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण के लिए उठाए गए निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से निपटा जाना चाहिए। एक पुरस्कार को तर्क दिया जाना चाहिए, इस हद तक कि पक्षकारों द्वारा उचित रूप से पर्याप्त और समझने योग्य हो (यानी आर वी एफ [2012] 5 एच. के. एल. आर. डी. 278 में निर्धारित सीमाओं के भीतर)। आदर्श कानून के अनुच्छेद 33 (2) के तहत, पुरस्कार में उन कारणों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर यह आधारित है। पुरस्कार पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मुझे इस बात से सहमत होना होगा कि पक्षों को यह सवाल करने का अधिकार है कि क्या सीमा बचाव था

मध्यस्थ द्वारा बिल्कुल भी विचार किया गया, और यदि मध्यस्थ द्वारा उचित विचार के बाद अस्वीकार कर दिया गया, तो इसे क्यों अस्वीकार कर दिया गया। की प्रक्रिया मध्यस्थता का उद्देश्य विवादों और बिंदुओं [2020] 4 एस. सी. आर. को निर्धारित करने का एक तरीका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मुद्दे पर, और मैं एस्कॉट कमोडिटीज एनवी बनाम ओलाम इंटरनेशनल लिमिटेड [2002] सीएलसी में अदालत द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं। 277 और वैन डेर गीसेन-डी नूर्ड शिपबिल्डिंग डिवीजन बीवी बनाम इमटेक मरीन एंड ऑफशोर बीवी [2009] 1 लॉयड के प्रतिनिधि 273 में कहा गया है कि यह एक गंभीर अनियमितता है और उचित प्रक्रिया से इनकार है।

जो पक्षों के लिए पर्याप्त अन्याय और अन्याय का कारण बनता है, यदि एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसे संबोधित करने की पार्टियों को उम्मीद है, वास्तव में संबोधित नहीं किया जाता है।34. भले ही मध्यस्थ ए की अक्षमता और अनुपालन में उत्पादों को वितरित करने में विफलता के अपने सभी दावों पर बी के पक्ष में पाए

प्रासंगिक मानक और संविदात्मक के अनुरूप विनिर्देश, और अपने संविदात्मक दायित्वों के अनुसार उत्पादों को विकसित करने में ए की विफलता, ए के खिलाफ बी की कार्रवाई और मध्यस्थता में उपचार के लिए उसके दावे विफल हो जाएंगे, अगर सीमा रक्षा सफल होती है। सीमा बचाव एक भौतिक बिंदु और मुद्दा है जो पुरस्कार को भौतिक रूप से अलग कर सकता था, और इस पर विचार करने में विफलता, या

सीमा बचाव को खारिज करने की व्याख्या करने में विफलता, ए के साथ अन्याय के साथ-साथ अन्याय और पूर्वाग्रह का वास्तविक जोखिम पैदा करता है। पुरस्कार के कारणों और न्यायाधिकरण के समक्ष सामग्री में जो निर्धारित किया गया था, उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह स्पष्ट और स्पष्ट है, या किसी भी संदेह से परे है कि पुरस्कार समान होता, अगर सीमा बचाव पक्ष होता।

विचार किया गया (ब्रंसविक बॉलिंग एंड बिलियर्ड्स कॉर्प बनाम

शंघाई झोंगलू औद्योगिक कंपनी लिमिटेड [2011] 1 एच. के. एल. आर. डी. 707;

पाकलिटो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम कोल्कनर ईस्ट एशिया लिमिटेड [1993] 2 एच. के. एल. आर. 49)। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अलग-अलग बचाव किए जाते हैं, जिनमें से किसी एक ने किए गए दावों को इस तरह पराजित किया होगा कि किसी अन्य बचाव से निपटने में विफलता से पुरस्कार पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

35. उपरोक्त कारणों से, मेरा मानना है कि अपने वर्तमान रूप में पुरस्कार से पर्याप्त अन्याय उत्पन्न हो रहा है, जिसे न्यायालय की अंतरात्मा द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है, और

यह पुरस्कार न्याय के बारे में हमारी धारणाओं को आहत करेगा।

यह निष्कर्ष UNCITRAL के अनुच्छेद 34 (2) (b) के तहत दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर कानून, 1985 जो निम्नता बताता है:

विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" अनुच्छेद 34। अनन्य के रूप में अलग रखने के लिए आवेदन

मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ सहारा लेना

2. एक मध्यस्थता पुरस्कार में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अलग रखा जा सकता है

(ख) न्यायालय ने पाया कि: ((i) विवाद का विषय-मामला निपटाने में सक्षम नहीं है।

इस राज्य के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा; या((ii) यह पुरस्कार इस राज्य की सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

71. श्री दीवान ने इस प्रस्ताव के समर्थन में सिंगापुर के निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया कि भौतिक मुद्दों पर विचार न करना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा और इसलिए, धारा 48 (1) (बी) में उल्लिखित आधार के भीतर फिट होगा। अग्रिम पंक्ति निवेश होल्डिंग्स बनाम। डेमलर दक्षिण पूर्व एशिया (2010) एस. जी. एच. सी. 80, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि क्या पुरस्कार देने के संबंध

में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ था, जिसके द्वारा मध्यस्थता की धारा 48 (1) (ए) (vii) के तहत किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। अधिनियम, 2002 (सिंगापुर)। इसने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का उल्लेख किया यदि किसी पुरस्कार को पक्षकारों द्वारा उठाए गए या विचार नहीं किए गए आधार पर अलग रखा गया था क्योंकि प्रभावित पक्ष सुनवाई के अपने अवसर से वंचित होता। इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसका परिणाम यह होगा कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में होगा यदि पहुँचने के क्रम में

इसने अपने निर्णय के गुण-दोष पर विचार किए बिना मुद्दों पर पक्षों द्वारा की गई दलीलों और दलीलों की अवहेलना की। इसके लिए, यह तीन ऑस्ट्रेलियाई मामलों और एक पूर्व निर्णय पर निर्भर था जो

इन तीन मामलों पर विचार किया। अदालत ने तब निष्कर्ष निकाला:

" 53. जैसा कि मैंने पहले निष्कर्ष निकाला है, एक मध्यस्थ की भौतिक तर्कों या प्रस्तुतियों पर विचार करने में विफलता प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। वर्तमान मामले में मध्यस्थ ने अग्रिम पंक्ति की याचिका खारिज कर दी थी।

अपने प्रतिदावे के आधारों पर पूरी तरह से विचार किए बिना प्रतिदावे क्योंकि वह इस गलतफहमी में था कि फ्रंट रो ने प्रतिनिधित्व पर अपनी निर्भरता को छोड़ दिया था। यदि वह गलत नहीं होते, तो उन्हें यह तय करना पड़ता कि अभ्यावेदन गलत था या नहीं। एक निर्णय कि एक था

इसके संबंध में गलत निरूपण के परिणामस्वरूप अग्रिम पंक्ति के पक्ष में एक पुरस्कार होता, जिसके लिए अन्य सामग्री मान ली जाती एक सफल दावा (अर्थात, "निर्भरता" और "हानि") को संतुष्ट किया गया।

यह मेरे लिए इस सवाल में आगे बढ़ना नहीं था कि क्या प्रतिनिधित्व पर अग्रिम पंक्ति की निर्भरता सफल हुई होगी, बल्कि मध्यस्थ की गलत प्रस्तुति के लिए था। यह पर्याप्त था कि मध्यस्थ इस तरह के भौतिक आधार पर विचार करने में विफल रहा। केवल इतना ही।

अग्रिम पंक्ति के प्रति पर्याप्त पूर्वाग्रह था।

54. परिणामस्वरूप, मैंने अग्रिम पंक्ति के आवेदन को अनुमति दी और आदेश दिया कि अग्रिम पंक्ति के प्रतिवाद और मध्यस्थता की लागत से संबंधित पुरस्कार के हिस्से को समग्र रूप से अलग रखा जाए। मैंने आगे आदेश दिया कि इस तरह से अलग रखे गए पुरस्कार के हिस्से पर एक नव नियुक्त मध्यस्थ द्वारा नए सिरे से विचार किया जाए। अंत में, मैंने यह भी आदेश दिया कि लागत

डेमलर द्वारा अग्रिम पंक्ति के आवेदन का और आनुषंगिक भुगतान किया जाए

सामने की पंक्ति "।

72. टी. एम. एम. प्रभाग में समुद्री एस. ए. v. पैसिफिक रिचफील्ड

मरीन पीटीई लिमिटेड (2013) एसजीएचसी 186, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम (सिंगापुर) की धारा 24 (बी) को संदर्भित किया, जिसमें प्राकृतिक न्याय के नियमों को रद्द करने के लिए एक पुरस्कार की आवश्यकता होती है।

तोड़ दिया। शीर्षक के तहत अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में "जनरल

क्यूरियल स्क्रूटनी के सिद्धांत ", अदालत ने कहा," हालांकि, यह पालन नहीं करता है, और न ही मैं स्वीकार करता हूं, कि इस प्रक्रिया में हमेशा एक महीन कंघी के साथ मध्यस्थता कार्यवाही के पूरे रिकॉर्ड की जांच की जाती है। " (पैराग्राफ 42 देखें)। न्यायालय ने यह भी कहा, "न्यायालय को निर्णय नहीं लेना चाहिए। अशुद्धियों की अपेक्षा की जानी चाहिए और आम तौर पर किसी भी चुनौती के गुणों के लिए अप्रासंगिक हैं "(पैराग्राफ 45 देखें)। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायपालिका द्वारा आवश्यक ठोस कारणों के उच्च मानक को मध्यस्थता पुरस्कारों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए (पैराग्राफ 102 देखें)। न्यायालय ने तब रेखांकित किया कि मध्यस्थता पुरस्कारों पर निम्नलिखित मानकों को लागू किया जा सकता है:

" 103. थोंग आह फैट बनाम लोक अभियोजक [2012] 1 एस. एल. आर. 676 ("थोंग आह फैट") में सिंगापुर अपील न्यायालय का निर्णय जो अदालत के कर्तव्य के दायरे और सामग्री को निर्धारित करता है

कारण, मेरे विचार में, एक शिक्षाप्रद समानांतर प्रदान करते हैं। मैं पासिंग में ध्यान देता हूं कि प्रोफेसर जेफरी वेन्सीमर का सुझाव है कि यह अनुपयोगी हैन्यायिक मानकों के संदर्भ में कारण देने के लिए मध्यस्थों के कर्तव्य की सामग्री को परिभाषित करना: पैरा 16.9 पर वेन्सीमर। 3 . अपने विचार के समर्थन में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया

वेस्टपोर्ट बीमा निगम और ओआरएस बनाम गोर्डियन रनऑफ़

लिमिटेड [2011] एच. सी. ए. 37 जहाँ किफेल जे. ने कहा ([168] [169] पर) कि प्रासंगिक ऑस्ट्रेलियाई कानून, ए. वाई. करिया एंड ओ. आर. एस. में कुछ भी नहीं है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वाणिज्यिक मध्यस्थता अधिनियम 1984, जो यह निर्धारित करता है कि मध्यस्थता में कारण देने का मानक न्यायिक मानक के समान होना चाहिए। आई. ए. ए. के बारे में भी यही सच है, लेकिन जैसा कि थोंग आह फाट में अदालत ने (ए. टी. [19]) अभिनिर्धारित किया है, अपने निर्णय की व्याख्या करने के लिए एक न्यायिक निकाय का सामान्य कर्तव्य निर्विवाद रूप से "उचित प्रक्रिया का एक कार्य" है। और

इसलिए न्याय का "। जबकि एक अदालत और एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच संरचनात्मक मतभेद हैं, यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थता उचित प्रक्रिया के समान आदर्शों के अधीन हैं और

न्याय। यह उल्लेखनीय है कि जे. कीफेल ने निष्कर्ष निकाला कि एक तर्कपूर्ण पुरस्कार देने की आवश्यकता सामग्री से रहित नहीं हो सकती है।

और इस कारण से, वह ब्रेमर में डोनाल्डसन एलजे के बयान को अपनाने के लिए संतुष्ट थे (ऊपर [101] देखें)।104. इसलिए, मेरे विचार में, न्यायाधीशों पर लागू मानक मध्यस्थों के लिए सहायक संकेत हैं। जबकि प्राकृतिक न्याय के नियमों को मध्यस्थता में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि वे अदालत में हैं।

मुकदमेबाजी, मध्यस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की व्यावहारिक वास्तविकताएँ जैसे कि शीघ्रता और कीमत भी महत्वपूर्ण हैं (देखें सोह बेंग टी एट

[63]) . इस नोट पर, थोंग आह फाट से निम्नलिखित स्पष्ट हैं:

(क) प्रत्येक मामले में आवश्यक स्पष्टीकरण का मानक आवश्यक है। मामले की आवश्यकताओं के अनुरूप। किस हद तक कारणों और स्पष्टीकरणों को विस्तार से निर्धारित किया जाना है, यह निर्धारित करते समय लागत और देरी प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए: [29]-[30] पर।

(ख) विशिष्ट और सीधे तथ्यात्मक या कानूनी मुद्दों के साथ "बहुत स्पष्ट मामलों" में, अदालत कारणों के साथ भी छूट दे सकती है। इसका निष्कर्ष पर्याप्त होगा क्योंकि निष्कर्ष के पीछे के कारण आवश्यक निष्कर्ष का विषय हैं: [32] पर।

(घ) सभी प्रमुख प्रासंगिक साक्षयों का सारांश होना चाहिए लेकिन सभी विस्तृत साक्षयों को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है: [34] पर। (ङ) पक्षों के विरोधी रुख और भौतिक मुद्दों पर न्यायाधीश के तथ्य के निष्कर्षों को निर्धारित किया जाना चाहिए। हालाँकि, न्यायाधीश को प्रत्येक तथ्यात्मक पर स्पष्ट निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

मुद्दा: [35] [36] पर।

(च) निर्णय संबंधित की एक परीक्षा का प्रदर्शन करना चाहिएसाक्षय और अंतिम को समझाने की दृष्टि से पाए गए तथ्य

प्रत्येक भौतिक मुद्दे पर परिणाम: [36] "पर।

73. ए. के. एन. और ए. एन. आर. में वी. ए. एल. सी. और अन्य। (2015) एसजीसीए 18, द

उच्च न्यायालय ने फिर से प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता पर विचार किया

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम (सिंगापुर) की धारा 24 (बी) में निहित,

इस प्रकार है:

" 38. विशेष रूप से, मध्यस्थता पुरस्कारों से अपील का कोई अधिकार नहीं है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतें कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। हालांकि,

क्यूरियल हस्तक्षेप के लिए आधार संकीर्ण रूप से सीमित हैं,

और आम तौर पर प्रक्रिया की विफलताओं की चिंता करते हैं जो अनुचित और पूर्वाग्रहपूर्ण हैं

पक्षकार या उदाहरण जहाँ मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक

निर्णय जो मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर हो। यह.

इस प्रकार, न्यायालयों के दृष्टिकोण से, पक्षकार एक

मध्यस्थता को "सही" निर्णय का अधिकार नहीं है

माध्यस्थम न्यायाधिकरण जिसे अदालतों द्वारा सही ठहराया जा सकता है। इसके बजाय, वे

केवल एक निर्णय का अधिकार है जो उनके दायरे में है उनके विवाद को मध्यस्थता करने के लिए सहमति, और उस पर पहुंचा जाता है

एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना।

(जोर दिया गया)

इसके बाद इसने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने में विफलता से निपटा:

" 46. निवेदन किए गए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने में विफल रहना

एक मध्यस्थता में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है क्योंकि इस तरह के एक

मामले में, मध्यस्थ ने अपने दिमाग को सहन करने के लिए नहीं लाया होगा

उसके सामने विवाद का महत्वपूर्ण पहलू। इस पर विचार

निवेदन किए गए मुद्दे प्राकृतिक न्याय के शासन की एक अनिवार्य विशेषता है

जो लैटिन कहावत, ऑडी अल्टरम पार्टेम में समाहित है।

(सोह बेंग टी एंड कंपनी पीटीई लिमिटेड बनाम फेयरमाउंट डेवलपमेंट भी देखें।

पीटीई लिमिटेड [2007] 3 एसएलआर (आर) 86 ("सोह बेंग टी") पर [43], उद्धृत करते हुए

गैस एंड फ्यूल कॉर्पोरेशन ऑफ विक्टोरिया बनाम वुड हॉल लिमिटेड

लियोनार्ड पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड [1978] 386 पर वीआर 385)। सामने

पंक्ति इस हद तक उपयोगी है कि यह दर्शाती है कि क्या दिखाया जाना चाहिए

प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन इस आधार पर करें कि मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण निवेदन किए गए मुद्दे पर विचार करने में विफल रहे। यह आमतौर पर एक होगा

स्पष्ट संकेत के बजाय अनुमान की बात है कि

मध्यस्थ ने एक या अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी तरह से छोड़ दिया।

हालाँकि, निष्कर्ष-कि मध्यस्थ वास्तव में ए. ए. के. ए. आर. ए. एंड ओ. आर. एस. में विफल रहा।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक महत्वपूर्ण निवेदन किए गए मुद्दे पर विचार करें-यदि इसे बिल्कुल भी तैयार किया जाना है, तो इसे स्पष्ट और लगभग अपरिहार्य दिखाया जाना चाहिए। यदि तथ्य भी मध्यस्थ के केवल पीड़ित पक्ष के मामले को गलत समझने, या कानून के रूप में गलत होने, या पीड़ित पक्ष द्वारा अनुरोध किए गए एक बिंदु पर विचार नहीं करने का विकल्प चुनने के अनुरूप हैं क्योंकि वह इसे अनावश्यक समझता है (इसके बावजूद कि यह दृष्टिकोण पीड़ित पक्ष के मामले की गलतफहमी के आधार पर बनाया गया हो सकता है), तो यह निष्कर्ष कि मध्यस्थ ने अपने सामने विवाद (या उस विवाद के एक महत्वपूर्ण पहलू पर) पर अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया और इसलिए प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

47. अग्रिम पंक्ति पर हाल ही में ए. क्यू. यू बनाम ए. क्यू. वी. [2015] में विचार किया गया था।

एस. जी. एच. सी. 26 ("ए. क्यू. यू".), जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उन सिद्धांतों को आसुत किया जिन्हें हमने अभी-अभी ऊपर प्रतिपादित किया है (देखें ए. क्यू. यू.

[30] [35]) . एक्यूयू के न्यायाधीश ने टी. एम. एम. डिवीजन मारिटिमा एस. ए. डी. सी. वी. बनाम प्रशांत के उच्च न्यायालय के फैसले पर भी विचार किया।

रिचफील्ड मरीन पीटीई लिमिटेड [2013] 4 एसएलआर 972 ("टी. एम. एम".), और इस प्रस्ताव को दोहराया कि मध्यस्थता के किसी भी पक्ष को मध्यस्थता न्यायाधिकरण से उसकी दलीलों को स्वीकार करने की उम्मीद करने का अधिकार नहीं है।

हाथ में, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का एक तर्क को अस्वीकार करने का निर्णय (चाहे निहित रूप से या अन्यथा, चाहे सही हो या गलत, और क्या तर्क को समझने में विफलता के परिणामस्वरूप और इसलिए इसके गुणों की सराहना करने के लिए), और, दूसरी ओर, मध्यस्थ उस तर्क पर विचार करने में भी न्यायाधिकरण की विफलता। केवल बाद वाला प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के बराबर है; पहला कानून की त्रुटि है, न कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन।

एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने का आधार नहीं है; यहां तक कि एककिसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों की गलतफहमी ऐसा आधार नहीं है। जैसा कि इस अदालत ने बी. एल. सी. में [86] उल्लेख किया है, अदालत को "अति-आलोचनात्मक या अत्यधिक वाक्य रचना करने की आवश्यकता नहीं है।

इस बात का विश्लेषण कि मध्यस्थ ने क्या लिखा है "जब विचार किया जाए

क्या एक मध्यस्थ पुरस्कार को प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के लिए अलग रखा जाना चाहिए। न ही इसे [2020] 4 एस. सी. आर. के साथ एक मध्यस्थता पुरस्कार से संपर्क करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" छेद, विसंगतियों को चुनने के लिए सावधानीपूर्वक कानूनी नज़र रखने का प्रयास

और दोष. परेशान करने या निराश करने के उद्देश्य से

मध्यस्थता की प्रक्रिया "(इसी तरह बी. एल. सी. के [86] में)। इन्हें लें

परिसमापक का प्राथमिक तर्क। तदनुसार, हम जवाब देते हैं अपील मुद्दा 1 सकारात्मक रूप से "।

(जोर दिया गया)

74. बाज वी में। बीबीए और ओआरएस। (2018) एसजीएचसी 275, फिर से

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम (सिंगापुर) की धारा 24 (बी),

और्ट ने प्राकृतिक न्याय के मुद्दे पर इस प्रकार दृष्टिकोण रखा:

" 133. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि के तहत एक दावे में सफल होने के लिए

एस. 24 (ख) आई. ए. ए. के अनुसार, दावेदार को निम्नलिखित स्थापित करने की आवश्यकता है -

चार तत्व (देखें सोह बेंग टी पर [29]; एकेएन बनाम एएलसी 2015 पर

[48]) : (क) प्राकृतिक न्याय के किस नियम का उल्लंघन किया गया था; (ख) यह कैसे हुआ

उल्लंघन किया गया था; (सी) उल्लंघन किस तरह से संबंधित थापुरस्कार देना; और (घ) उल्लंघन ने अपने अधिकारों को कैसे प्रभावित किया।

134. एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने में विफलता जो किया गया है

मध्यस्थता में निवेदन प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है क्योंकि

इस तरह के मामले में, मध्यस्थ ने अपना दिमाग नहीं लाया होगा उसके सामने विवाद के एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें (ए. के. एन. वी.

एएलसी 2015 पर [46])। यह आमतौर पर अनुमान का विषय होगा

स्पष्ट संकेत की तुलना में कि मध्यस्थ पूरी तरह से चूक गया या

अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का अनुरोध किया गया। हालाँकि, यह अनुमान होना चाहिए

"स्पष्ट और वस्तुतः अपरिहार्य" दिखाया गया (ए. के. एन. बनाम ए. एल. सी. 2015)

[46]) पर। अपील न्यायालय ने कपड़े पहने तर्कों के खिलाफ आगाह किया

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के रूप में प्रकट होने के लिए: अगर तथ्य भी हैं

मध्यस्थ के अनुरूप बस गलत समझा गया है पीड़ित पक्ष का मामला, या कानून के रूप में गलत समझा गया है, या

पीड़ित द्वारा अनुरोध किए गए बिंदु से निपटने के लिए नहीं चुना गया है

मध्यस्थ ने अपने सामने हुए विवाद पर अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया या उस विवाद के एक महत्वपूर्ण पहलू के लिए और इस प्रकार के उल्लंघन में कार्य किया

प्राकृतिक न्याय प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।XXX XXX XXX

141. हालाँकि बहुमत ने कानूनी आधार पर टिप्पणी नहीं की

छूट दर के लागू होने का मतलब यह नहीं है कि यह ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. नहीं था।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मुद्दे पर विचार करें। एक न्यायाधिकरण को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है

सभी प्रस्तुतियाँ (एस. ई. एफ. कंस्ट्रक्शन पीटीई लिमिटेड बनाम स्कॉय)

कनेक्टेड पीटीई लिमिटेड [2010] 1 एसएलआर 733 पर [60])।

XXX XXX XXX

159. पुरस्कारों को लागू करने और अलग रखने से संबंधित कानूनी क्षेत्र क़ानून, अर्थात् मध्यस्थता अधिनियम (कैप 10,2002 रेव एड) और आई. ए. ए. द्वारा शासित होता है। इस तरह, वैचारिक ढांचा

यू. के. एम. में उल्लिखित सार्वजनिक नीति के संचालन में सहायक हो सकता है।

मध्यस्थता में विचार, भले ही विषय वस्तु

मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 (2) (बी) (ii) और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 (2) (बी) के तहत सार्वजनिक नीतियों को उठाया जा सकता है। इसमें सामाजिक-आर्थिक नीतियाँ और कानूनी नीतियाँ दोनों शामिल हैं। जब ए.

सार्वजनिक नीति के आधार पर चुनौती लाई जाती है, रूपरेखा

यह पहचानने के लिए कि क्या कथित सार्वजनिक नीति मौजूद है, एक फोरेंसिक अभ्यास आयोजित करने के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है और यू. के. एम. में बताए गए पहचान को प्रभावित करने वाले मानदंड लागू होते हैं।

मध्यस्थता के संदर्भ में संतुलन अभ्यास के बीच है

मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने की नीति-जैसा कि इसमें निहित है

एस. 19 आई. ए. ए. का बी (1) जिसमें कहा गया है कि पुरस्कार "अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी" हैं और न्यूनतम आकस्मिक हस्तक्षेप की न्यायिक नीति है।

- और कथित सार्वजनिक नीति जो पुरस्कार कथित रूप से

उल्लंघन करता है। यह संतुलन आम तौर पर नीति के पक्ष में है

मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करना, और केवल पक्ष में झुकना

सार्वजनिक नीति का विरोध करना जहां उस नीति का उल्लंघन "विवेक को झटका" देगा या "नैतिकता और न्याय की मंच की सबसे बुनियादी धारणा" के विपरीत होगा। यह निर्धारित करने में कि क्या संतुलन प्रतिकूल सार्वजनिक नीति की ओर झुकता है, सार्वजनिक नीति की विषय प्रकृति, उस सार्वजनिक नीति के उल्लंघन की डिग्री और इसके परिणामों दोनों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उल्लंघन "।

75. कैम्पोस ब्रदर्स फ़ार्म्स बनाम. मातृ भूमि आपूर्ति श्रृंखला

लिमिटेड (2019) 261 डीएलटी 201, दिल्ली उच्च न्यायालय को एक विदेशी पुरस्कार के सीमेंट पर विचार करना पड़ा। उपरोक्त मामले में मध्यस्थ ने मध्यस्थता कार्यवाही की स्थिरता पर कोई निष्कर्ष निकाला,उसके सामने बहस की गई। इस तथ्य की स्थिति में, दिल्ली उच्च

आयोजित:

" 55. किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी सं। 1 और 2 ने भी बनाया थामध्यस्थ के समक्ष योग्यता पर प्रस्तुतियाँ। हालांकि विद्वान [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें मध्यस्थ द्वारा विचार से उचित रूप से बाहर रखा गया था क्योंकि मध्यस्थ ने कभी भी इसके लिए नहीं कहा था, पुरस्कार मध्यस्थ द्वारा उन्हें विचार से बाहर रखने के लिए दिए गए किसी भी कारण को नहीं दर्शाता है। मध्यस्थ इस निष्कर्ष को दर्ज नहीं करता है कि उसने जानबूझकर ऐसी प्रस्तुतियों को नजरअंदाज किया है क्योंकि वे देर से या अनुमति से परे दायर किए गए थे। वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मध्यस्थ के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा 13.06.2016 द्वारा कोई प्रस्तुति दायर नहीं की गई थी, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

56. अधिनियम की धारा 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलों पर विचार नहीं कर सकता है। 1 और 2 योग्यता के आधार पर दिनांकित 13.06.2016 के अपने ई-मेल में जैसे कि यह मूल क्षेत्राधिकार का न्यायालय है और यह पता लगाएं कि क्या ऐसा प्रस्तुत करना

उत्तरदाता संख्या। 1 और 2 में कोई योग्यता थी या नहीं। एक बार जब यह पाया जाता है कि मध्यस्थ ने एक पक्ष की प्रस्तुतियों को समग्र रूप से नजरअंदाज कर दिया है, तो प्रस्तुतियों की योग्यता जो भी हो, मेरी राय में, इस तरह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए और अधिनियम की धारा 48 के स्पष्टीकरण 1 (iii) के साथ पठित उप-धारा 2 (बी) में बताए गए भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होने के कारण पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच सं। 1 , याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ दावे का समेकित बयान दायर करने का अधिकार देगा।उत्तरदाता संख्या। 1 और 2 या नहीं, मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एक मुद्दा था और इस तरह के निर्धारण के कारण पुरस्कार में दिए जाने थे। पुरस्कार के पढ़ने से ऐसा लगता है कि मध्यस्थ न तो इस मुद्दे पर जीवित था कि क्या विभिन्न अनुबंधों के खिलाफ ऐसे दावों को एक के रूप में समेकित किया जा सकता है, न ही विजय करिया और ओआरएस।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वह इस तथ्य के प्रति जीवित है कि प्रतिवादी संख्या पर संयुक्त और कई दायित्व निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। 1 और 2 कॉर्पोरेट पर्दा उठाए बिना और उसी के कारण बताए बिना। विचाराधीन पुरस्कार स्पष्ट रूप से योग्य है

एक गैर-भाषी पुरस्कार के रूप में।XXX XXX XXX

81. किसी भी मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि मध्यस्थ ने इस मुद्दे पर कारण बताते हुए विचार किया था, तो इस न्यायालय को अधिनियम की धारा 48 के तहत ऐसे कारणों की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति नहीं हो सकती है, हालांकि, वर्तमान मामला वह मामला है जहां मध्यस्थ ने न केवल अपने निष्कर्ष के लिए कोई कारण नहीं दिया है, बल्कि वास्तव में,

पुरस्कार इंगित करता है कि मध्यस्थ इस तरह के मुद्दे के लिए जीवित भी नहीं है।

कार्यवाही कबूतर थी-धारा 48 (1) (बी) के तहत नहीं, बल्कि "भारत की सार्वजनिक नीति" के आधार के तहत, जिसमें कहा गया था कि ऐसी चीज का उल्लंघन होगा।न्याय की सबसे बुनियादी धारणा।

76. इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 48 का उद्देश्य कुछ अच्छी तरह से परिभाषित संकीर्ण अपवादों के अधीन विदेशी पुरस्कारों को लागू करना है, अभिव्यक्ति

" धारा 48 (1) (बी) में आने वाले अपने मामले को प्रस्तुत करने में अन्यथा असमर्थ था, जिसका विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है और इसे उक्त वाक्यांश से पहले के शब्दों के संदर्भ और रंग में पढ़ना होगा। संक्षेप में, यह अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय का एक पहलू होगी, जिसका उल्लंघन केवल तभी होगा जब मध्यस्थ द्वारा पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी जाएगी। धारा 48 (1) (बी) के पहले भाग के साथ पढ़ें, यह स्पष्ट है कि यह अभिव्यक्ति सुनवाई के चरण में लागू होगी, न कि पुरस्कार दिए जाने के बाद।वितरित किया गया, जैसा कि सांगयोंग (सुप्रा) में आयोजित किया गया है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ रहा है, एक अच्छी कामकाजी परीक्षा यह देखने के लिए है कि क्या पक्ष के नियंत्रण से बाहर के कारकों ने पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के लिए संयुक्त किया है। इस प्रकार, जहां किसी ऐसे तर्क से निपटने का कोई अवसर नहीं दिया गया था जो मामले की जड़ तक जाता है या साक्षय के आधार पर निष्कर्ष जो पक्ष के पीछे जाता है और

जिसके परिणामस्वरूप पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए न्याय से इनकार किया जाता है; या अतिरिक्त या नया साक्षय लिया जाता है जो पुरस्कार का आधार बनता है जिसे किसी पक्ष को खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, किसी दिए गए मामले के कृत्यों पर, एक विदेशी पुरस्कार को इस आधार पर अप्रवर्तनीय बना देगा कि कोई पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ रहा है।

यह, निश्चित रूप से, इस चेतावनी के साथ होना चाहिए कि इस तरह के उल्लंघन को किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए, और धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप को देखते हुए, पुरस्कारों को हमेशा नष्ट करने के बजाय बनाए रखने के झुकाव के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

77. श्री नकुल दीवान द्वारा उद्धृत सभी मामले विशेष क़ानून की भाषा पर आधारित निर्णय हैं जो उनमें से प्रत्येक में परिलक्षित होते हैं-क्योंकि

उदाहरण के लिए, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 (यू. के.) की धारा 68, हांगकांग पुराने मध्यस्थता अध्यादेश (कैप 391) की धारा 23 (2), अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम (सिंगापुर) की धारा 24 (बी) और धारा 48 (1) (ए) (vii)

मध्यस्थता अधिनियम, 2002 (सिंगापुर), जो सभी अलग-अलग हैं

धारा 48 (1) (बी) से शब्दबद्ध। इनमें से प्रत्येक क़ानून प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से संबंधित है जो, जैसा कि हमने देखा है, "अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ" अभिव्यक्ति की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार, यह मानना संभव नहीं है कि किसी भौतिक मुद्दे पर विचार करने में विफलता धारा 48 (1) (बी) के दायरे में आएगी।

निहितार्थ का अर्थ होगा कि उठाए गए अन्य मुद्दों या मुद्दों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, दोनों पक्ष आरोप लगा सकते हैं कि' Sssangyong (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने आगाह किया कि यह आधार केवल निम्नलिखित चेतावनी के साथ आकर्षित होगा:

" 48. हालाँकि, जब "न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" पर आधारित भारत की सार्वजनिक नीति के तर्क की बात आती है, तो यह स्पष्ट है कि यह आधार केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में आकर्षित किया जा सकता है जब न्यायालय की अंतरात्मा मौलिक धारणाओं या न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से हैरान हो जाती है। हालाँकि, हम दोहराते हैं कि यह आधार केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में उपलब्ध है, जैसे कि वर्तमान मामले में तथ्य की स्थिति। किसी भी परिस्थिति में कोई भी न्यायालय इस आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि न्यायालय की राय में न्याय नहीं किया गया है। यह विवाद के गुण-दोष में प्रवेश होगा जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के लोकाचार के विपरीत है, जैसा कि इस निर्णय में पहले उल्लेख किया गया है। विजय करिया और ओआरएस।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दूसरा उल्लंघन में है। यह निष्कर्ष कि एक पक्ष उल्लंघन कर रहा है, यह स्पष्ट रूप से बताए बिना कि दूसरा पक्ष उल्लंघन नहीं कर रहा है, दावा और जवाबी दावा दोनों पर निर्णय के बराबर होगा, कि कौन सा

पक्ष उल्लंघन कर रहा है। इसी तरह, पक्षों को सुनने के बाद, एक निश्चित राशि को हर्जाने के रूप में दिया जा सकता है और ब्याज के मुद्दे का जवाब बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। यह

फिर से, किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर, ब्याज के दावे की निहित अस्वीकृति हो सकती है। विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी पुरस्कार को समग्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी निट-पिकिंग के पढ़ा जाना चाहिए। यदि समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो उक्त पुरस्कार ने पक्षों द्वारा उठाए गए बुनियादी मुद्दों को संबोधित किया है और वास्तव में, पक्षों के दावों और जवाबी दावों का फैसला किया है, प्रवर्तन का पालन करना चाहिए।

फेमा नियमों का उल्लंघन

79. गैर-ऋण लिखत नियमों के आधार पर अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एक विदेशी पुरस्कार जिसके द्वारा शेयर दिए जाने चाहिए। रियायती मूल्य पर खरीदा गया, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करेगा, और इसलिए, भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन होगा। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान मामले में निर्णय भारत में लागू करने योग्य नहीं होगा।

80. उपरोक्त नियमों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" 2. परिभाषाएँ:

XXX XXX XXX

((क) "निवेश" का अर्थ है भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी प्रतिभूति या इकाई की अभिदान, अधिग्रहण, धारण या हस्तांतरण करना;

व्याख्या:

(i) निवेश में भारत के बाहर जारी डिपॉजिटरी रसीदें प्राप्त करना, रखना या हस्तांतरित करना शामिल होगा, जिसमें अंतर्निहित भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिभूति है। ((ii) एल. एल. पी. के उद्देश्य के लिए निवेश का अर्थ पूंजी होगा।

लाभ शेयरों का योगदान या अधिग्रहण या हस्तांतरण;

3. भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा निवेश पर प्रतिबंध भारत के बाहर। - अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।

भारत में कोई भी निवेश करें:

बशर्ते कि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार किया गया निवेश और इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को आयोजित किया गया निवेश इन नियमों के तहत किया गया माना जाएगा और तदनुसार इन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

नियम:

बशर्ते कि रिजर्व बैंक, एक आवेदन पर

इसे बनाया गया और पर्याप्त कारणों से और केंद्र सरकार के परामर्श से, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन भारत में कोई भी निवेश करने की अनुमति दें जो आवश्यक मानी जाएं।

XXX XXX XXX 9. भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा या उसे भारतीय कंपनी के इक्विटी उपकरणों का हस्तांतरण।

इन नियमों के अनुसार किसी भारतीय कंपनी या इकाइयों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रखने वाला भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति या भारत में रहने वाला व्यक्ति, इन नियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, और इसके तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उनके द्वारा रखे गए ऐसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या इकाइयों को हस्तांतरित कर सकता है:

XXX XXX XXX21. मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश -

(1) इन नियमों में निर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश नहीं होंगे -

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के अनुसार की गई बिक्री के माध्यम से किसी भी हस्तांतरण के लिए लागू जहांमूल्य निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(2) जब तक इन नियमों में अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया है, इक्विटी की कीमत

एक भारतीय कंपनी के उपकरण -

XXX XXX XXX

(ख) भारत में रहने वाले व्यक्ति से भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया राशि निम्न से कम नहीं होगी -XXX XXX XXX

((iii) किसी के अनुसार किए गए इक्विटी साधनों का मूल्यांकन।

प्रतिभूति और विनिमय के साथ पंजीकृत व्यापारी बैंकरभारतीय बोर्ड या एक अभ्यास लागत लेखाकार, एक मामले में

गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी "।

81. उपरोक्त नियमों के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि करियों से शेयरों का हस्तांतरण, जो करियों में रहने वाले व्यक्ति हैं।

भारत, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए, जो भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति है, ऐसे शेयरों के मूल्यांकन से कम नहीं हो सकता है जैसा कि विधिवत प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर या कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा किया गया है, और क्योंकि 10 प्रतिशत की छूट पर ऐसे शेयरों की बिक्री नियम 21 (2) (बी) (iii) का उल्लंघन करेगी, जो उपरोक्त नियमों में निहित भारतीय कानून की मौलिक नीति है।

उल्लङ्घन किया जाएगा; जिसके परिणामस्वरूप पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है।

82. इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, क्रूज़ (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। विद्वान।

एकल न्यायाधीश को फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विदेशी पुरस्कार की समान समस्या का सामना करना पड़ा। एक विस्तृत विश्लेषण में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रेनुसागर (ऊपर) का उल्लेख किया और फिर निर्णय दिया:

" 97.यह उपरोक्त से स्पष्ट रूप से अनुसरण करता है कि एक का उल्लंघन

कानून का प्रावधान जनता की रक्षा के लिए अपर्याप्त है नीति जब किसी विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन की बात आती है।

किसी अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पर्यायवाची नहीं है।

भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करना। द.भारतीय कानून की मौलिक नीति उन सिद्धांतों और विधायी नीति को संदर्भित करती है जिन पर भारतीय क़ानून और कानून स्थापित किए गए हैं। "मौलिक नीति" अभिव्यक्ति का अर्थ है -

और आधारभूत तर्क, मूल्य और सिद्धांत जो बनाते हैं

हमारे देश में कानूनों का आधार।

98. यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक विदेशी पुरस्कार विदेशी कानून पर आधारित हो सकता है, जो एक के साथ भिन्न हो सकता हैसंबंधित भारतीय क़ानून। और, यदि अभिव्यक्ति "भारतीय कानून की मौलिक नीति" को भारतीय प्रतिमा के प्रावधान के संदर्भ के रूप में माना जाता है, जैसा कि यूनिटेक की ओर से तर्क दिया जाना चाहिए, तो विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रमुख में से एक

न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उद्देश्य पुरस्कारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना है, इसके बावजूद कि पुरस्कार राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नहीं दिए जाते हैं। इस प्रकार, सार्वजनिक नीति के आधार पर प्रवर्तन पर आपत्तियां ऐसी होनी चाहिए जो किसी सदस्य राज्य की राष्ट्रीय नीति के मूल मूल्यों को आहत करती हैं और जिनसे समझौता करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। "कानून की मौलिक नीति" अभिव्यक्ति की व्याख्या उस परिप्रेक्षय में की जानी चाहिए और इसका अर्थ केवल मौलिक और मूलभूत विधायी नीति होना चाहिए, न कि एक प्रावधान।

किसी भी अधिनियम से। XXX XXX XXX

102. हालाँकि, यह तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन यह ध्यान में रखने में विफल रहता है कि एफ. ई. आर. ए. के तहत अधिनियमित और अब एफ. ई. एम. ए. के तहत विचार की गई विनिमय नियंत्रण की मौलिक नीति में एक भौतिक परिवर्तन हुआ है। एफ. ई. आर. ए. को उस समय लागू किया गया था जब भारत की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी और विदेशी मुद्रा में लेनदेन को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करके विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना था जब तक कि अनुमति न हो। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन बीमा निगम में बताया है

भारत का वी। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड (ऊपर), एफ. ई. आर. ए. का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्र के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा का नुकसान न हो।राष्ट्र का आर्थिक अस्तित्व। उदारीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ यह महसूस किया गया कि एफ. ई. आर. ए. को निरस्त किया जाना चाहिए। एफ. ई. आर. ए. को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था जिसे मूल रूप से एक अस्थायी उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था। एफ. ई. आर. ए. के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से संकेत मिलता है कि एफ. ई. आर. ए. को लागू किया गया था जैसा कि आर. बी. आई. ने सुझाव दिया था और सरकार ने किया था

अन्य मामलों के अलावा, शाखाओं के रूप में विदेशी पूंजी के प्रवेश को विनियमित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की

उनमें पर्याप्त गैर-निवासी हित, भारत में विदेशियों का रोजगार आदि।

XXX XXX XXX विजय करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

110. यह तर्क कि यूनिटेक के खिलाफ पुरस्कार के प्रवर्तन को इस आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए कि यह फेमा के किसी एक या दूसरे प्रावधान का उल्लंघन करता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है; लेकिन, कोई भी

पुरस्कार के प्रवर्तन में यूनिटेक से बरामद धन के प्रेषण के लिए अनिवार्य रूप से नियामक के अनुपालन की आवश्यकता होगी प्रावधान और/या अनुमतियाँ।

83. यह तर्क हमारे लिए स्वयं की प्रशंसा करता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, फेमा-फेरा के विपरीत-विदेश प्रबंधन की राष्ट्र की नीति को संदर्भित करता है।

विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के बजाय, पुलिसकर्मी एफ. ई. आर. ए. के तहत भारतीय रिजर्व बैंक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि FERA की धारा 47 अब FEMA में मौजूद नहीं है, ताकि FEMA का उल्लंघन करने वाले लेनदेन को अमान्य नहीं ठहराया जा सके। इसके अलावा, यदि कोई विशेष कार्य फेमा के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति कार्योत्तर प्राप्त की जा सकती है यदि इस तरह के उल्लंघन को माफ किया जा सकता है। इसलिए न तो पुरस्कार और न ही पुरस्कार द्वारा लागू किए जा रहे समझौते को कानून में कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता है। यह मामला होने के कारण, फेमा के तहत एक सुधार योग्य उल्लंघन को कभी भी उचित नहीं माना जा सकता है।

भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन। यह मानते हुए भी कि गैर-ऋण लिखत नियमों के नियम 21 में कहा गया है कि भारत के निवासी द्वारा शेयरों को एक गैर-निवासी को ऐसी राशि पर बेचा जाना चाहिए जो शेयरों के बाजार मूल्य से कम नहीं होगी, और एक विदेशी पुरस्कार निर्देश देता है कि ऐसे शेयरों को बाजार मूल्य से कम राशि पर बेचा जाए, भारतीय रिजर्व बैंक कदम उठाने और निर्देश देने का विकल्प चुन सकता है कि उपरोक्त शेयरों को केवल बाजार मूल्य पर बेचा जाए, न कि रियायती मूल्य पर, या इस तरह के उल्लंघन को माफ करने का विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा, भले ही भारतीय रिजर्व बैंक को फेमा के तहत कार्रवाई करनी हो, लेकिन फेमा विनियमन या नियम के उल्लंघन के आधार पर विदेशी पुरस्कार को लागू न करना उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि उस हिसाब से पुरस्कार अमान्य नहीं हो जाता है। भारतीय कानून की मौलिक नीति, जैसा कि रेनुसागर (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, किसी ऐसे कानूनी सिद्धांत या विधान का उल्लंघन होना चाहिए जो भारतीय कानून के लिए इतना बुनियादी है कि इससे समझौता होने की संभावना नहीं है।

" मौलिक नीति "एक राष्ट्र के रूप में भारत की सार्वजनिक नीति के मूल मूल्यों को संदर्भित करती है, जो न केवल कानूनों में अभिव्यक्ति पा सकते हैं, बल्कि समय पर सम्मानित, पवित्र सिद्धांत भी पा सकते हैं जिनका न्यायालय पालन करते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि इस आधार पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध नहीं किया जा सकता है।

84. हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने द्रौपदी देवी बनाम में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया। भारत संघ (2012) 7 एस. सी. सी. 499।

उस मामले में, एक [2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

की धारा 3 की संवैधानिक वैधता के लिए बनाया गया था

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी की रोकथाम

आई. टी. आई. एस. अधिनियम, 1974 (इसके बाद "कोफेपोसा" के रूप में संदर्भित), फेमा में व्यक्त नई कानूनी व्यवस्था के कारण,एफ. ई. आर. ए. का सीमेंट, उक्त प्रावधान खराब स्थिति में असंवैधानिक हो गया है। इस निवेदन को इस न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था:

और विदेशी मुद्रा में लेनदेन की अनुमति केवल अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दी जाती है। जबकि इसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है, विदेशी मुद्रा के मामलों में सरकार का नियंत्रण कम नहीं हुआ है। विदेशी मुद्राओं का संरक्षण और संवर्धनविनिमय उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है जितना कि एफ. ई. आर. ए. के तहत था। विदेशी मुद्रा में लेन-देन पर प्रतिबंध फेमा में उतने ही कठोर बने हुए हैं जितना कि वे एफ. ई. आर. ए. में थे और

विदेशी मुद्रा पर सरकार पूरी तरह से बनी हुई है

और भरा हुआ जैसा कि यह FERA में था। 67. में विदेशी मुद्रा का महत्व

किसी देश के विकास पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। फेमा

विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करता है। संरक्षण

और विदेशी मुद्रा में वृद्धि जारी हैइसका महत्वपूर्ण विषय बनें। यद्यपि इसका उल्लंघन

इसके प्रावधानों को आपराधिक अपराध नहीं माना जाता है।

फिर भी यह एक अवैध गतिविधि है जो बहुत ही खतरे में डालती है

देश का आर्थिक ढांचा। के उल्लंघन के लिए

और इसके गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप नागरिक कारावास होता हैचूककर्ता से। पूरा इरादा और विचार

कोफेपोसा के पीछे विदेशी उल्लंघन को रोकने के लिए है

विनियमों या तस्करी गतिविधियों का आदान-प्रदान जो विजय करिया और ओआरएस करते हैं।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर और हानिकारक प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था "।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय ने माना कि फेमा में, फेरा के विपरीत, अभियोजन और सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि

जो एफ. ई. आर. ए. की धारा 56 में निहित है। जहाँ तक फेमा का संबंध है, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और/या वृद्धि के बारे में टिप्पणियां विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की निवारक हिरासत के संदर्भ में की गई थीं। अदालत ने ध्यान रखा कि

ध्यान दें कि कोई भी अवैध गतिविधि जो देश के आर्थिक ताने-बाने को खतरे में डालती है, जिसमें विदेशी मुद्रा से संबंधित तस्करी गतिविधियाँ शामिल हैं, राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा है और इससे निपटा जा सकता है

प्रभावी रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ, निवारक निरोध के तंत्र के माध्यम से। इससे यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी फेमा नियम का कोई भी उल्लंघन इस तरह के उल्लंघन को अवैध गतिविधि नहीं बनाता है। वास्तव में, भले ही इस निर्णय में निहित तर्क को इसके विशिष्ट संदर्भ से फाड़ दिया गया हो और इस मामले में लागू किया गया हो, लेकिन ऐसी कोई कथित तस्करी गतिविधि नहीं है जिसमें विदेशी मुद्रा में कमी शामिल हो, जबकि किसी भारतीय कंपनी में शेयरों की बिक्री के परिणामस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा आती हो।

एक विदेशी कंपनी के लिए, यह इस बात का पालन नहीं करता है कि इस तरह का उल्लंघन, भले ही साबित हो जाए, भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करेगा।

इस मामले में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को चुनौती

तथ्यों पर

85. डॉ. सिंघवी और श्री दीवान ने अपीलकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए चौदह प्रस्तुतियाँ की हैं, जिनमें से सभी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) के स्पष्टीकरण 1 (2) और (3) के साथ पठित धारा 48 (2) (बी) के तहत आती हैं, जिन्हें या तो आपत्ति के आधार के रूप में या अलग से लिया जाता है।जमीन की प्रकृति पर तर्क दिया। अब हम इन आधारों में से प्रत्येक से निपटते हैं।

I. न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के काउंटर से निपटने में विफल रहा

86. अपीलार्थियों के अनुसार, आपत्ति का यह आधार - अर्थात। जगुआर के निगमन-उनके द्वारा एक "गुप्त उल्लंघन" के रूप में अनुरोध किया गया था, जो उन्हें मध्यस्थता कार्यवाही के बहुत बाद के चरण में ही पता चला। न्यायाधिकरण द्वारा प्रथम आंशिक अंतिम निर्णय में विशेष रूप से निर्णय दिए जाने के बावजूद

कि एक गैर-चूक करने वाला पक्ष "गुप्त उल्लंघन" पर भरोसा कर सकता है और इसे खंड 23.4 [2020] 4 एस. सी. आर. के तहत चूक की एक सुधार न की गई घटना के रूप में मान सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. वी. ए. के अनुसार, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। इसका प्रतिवाद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह कहते हुए किया गया था कि कोई "गुप्त उल्लंघन" बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके।

05.10.2012 , अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से अनुरोध किया था कि वह दस्तावेज़ प्रस्तुत करे जिसमें ग्राहकों, कर्मचारियों की सूची और जगुआर की व्यावसायिक गतिविधियों का खुलासा शामिल है। इन दस्तावेजों को अपीलार्थी के मामले को पुष्ट करने के लिए बुलाया गया था कि प्रत्यर्थी

जे. वी. ए. के खंड 21.1 का उल्लंघन किया गया था, और यह पता लगाने के लिए कि क्या जगुआर के कर्मचारी रेविन की गोपनीय जानकारी दे रहे थे

जगुआर के लिए। इस अनुरोध के जवाब में, 12.10.2012 पर, प्रत्यर्थी ने कहा कि जेवीए के खंड 21.1 के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है; कि जगुआर का केबल बनाने का कोई व्यवसाय नहीं है; और यह कि इसे कार्यालय परिसर को किराए पर लेने के एकमात्र उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। अपीलार्थियों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ जगुआर भी सौंपा गया। जिस बात पर जोर दिया गया वह यह है कि आई. डी. 1 के बाद किसी भी समय अपीलकर्ताओं ने अपने जवाबी दावे में संशोधन करने के लिए न्यायाधिकरण की अनुमति नहीं ली।

87. यह याद रखना चाहिए कि पहला आंशिक अंतिम पुरस्कार केवल 15.02.2013 पर दिया गया था। जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपना मौखिक बयान दिया

प्रस्तुतियाँ और 19.07.2013 पर लिखित समापन प्रस्तुतियाँ दायर की गईं, अपीलकर्ताओं ने जगुआर के कारण उल्लंघन के किसी भी मामले का अनुरोध नहीं किया। यह केवल अंतिम छोर पर था, यानी 20.08.2013 पर दायर अपीलार्थियों के उत्तरदायी समापन प्रस्तुतियों में, कि न्यायाधिकरण को इस उल्लंघन पर निर्णय देने के लिए आमंत्रित किया गया था। जाहिर है, इस समय तक, प्रत्यर्थी के पास अपीलार्थियों द्वारा पहली बार रखे गए इस मामले को पलटने का कोई अवसर नहीं था। चूंकि इस मामले को पहली बार कार्यवाही के अंतिम छोर पर रखा गया था, इसलिए दिनांक 19.12.2013 के दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार को पारित करने से पहले, मध्यस्थ को इस मामले से निपटने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। द्वितीय आंशिक अंतिम निर्णय में, न्यायाधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि खंड 21 पर अपीलार्थियों का मामला ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण और भारत में प्रत्यक्ष बिक्री तक सीमित था। कार्यवाही के अंतिम चरण में अपीलार्थी का यह तर्क कि चूंकि प्रत्यर्थी के पास जगुआर के 99.99% शेयर

थे, जो कि रेविन के समान केबल व्यवसाय में है, जैसा कि जगुआर के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित किया गया है, एक ऐसा मामला है जो

कभी शिकायत नहीं की गई। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ अपने अधिकार क्षेत्र में था कि वह इस तथाकथित प्रति-दावे से बिल्कुल भी न निपटे। अतः यह आपत्ति धारा 48 में उल्लिखित किसी भी आधार के अंतर्गत नहीं आती है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

ऐ करिया और ओआरएस। वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

II.The न्यायाधिकरण इस पर निर्णय लेने में विफल रहा

लैंट्स का प्रतिवाद-अपीलार्थियों के निष्कासन के संबंध में दावा

88. अपीलार्थियों के अनुसार, न्यायाधिकरण एक बनाने में विफल रहा

अपीलार्थियों के काउंटर पर खनन-दावा है कि प्रत्यर्थी का अपीलार्थी संख्या 1 और उसके परिवार को रेविन से बाहर करना एक

जे. वी. ए. का एच. इस निवेदन के उत्तर में, न्यायाधिकरण ने

एन. डी. आंशिक अंतिम पुरस्कार, स्पष्ट रूप से निम्नलिखित निर्धारित करता है:

" 6. इसके अलावा, दोनों पक्ष जे. वी. ए. संबंध के टूटने के लिए अलग-अलग उत्प्रेरक की पहचान करते हैं। संक्षेप में, उत्तरदाताओं

प्रस्तुत किया कि, जहाँ तक उनका संबंध है, श्री सरोगनी के कार्यकाल के दौरान दावेदार के साथ उनके संबंध अच्छे थे और

रविन को और बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे थे। सफल कंपनी। स्विंग प्वाइंट आया और परेशानी तब शुरू हुई जब सुश्री फरीस को मामलों का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया।

रविन को नियंत्रण में लेने और करिया को बाहर करने के लिए एकल एजेंडे के साथ रविन। इसलिए प्रत्यर्थियों का समग्र मामला सिद्धांत ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण और दावेदार के एक ऐसी स्थिति पैदा करने के प्रबल इरादे के साथ व्यक्तित्वों के टकराव पर केंद्रित है जहां कार्यिया उल्लंघन में प्रतीत होते हैं ताकि दावेदार कर सके।

उत्तरदाताओं को कम कीमत पर खरीदें।

7. दावेदार ने कहा कि हालांकि जे. वी. ए. के समय से संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन 15 सितंबर 2011 के बाद जब एकीकरण अवधि समाप्त हुई तो मामले बदतर हो गए। दावेदार का तर्क है कि इस बिंदु तक श्री

करिया कंपनी पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम थे, दोनों एकीकरण अवधि में व्यवस्थाओं और इस तथ्य के कारण कि श्री सरोगनी लंबे समय से भारत से अनुपस्थित थे। एकीकरण अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद सी. ई. ओ. का परिवर्तन हुआ। 1 नवंबर 2011 के बोर्ड प्रस्ताव के अनुसार, सुश्री फरीस को रेविन (एच 16/3381) का सी. ई. ओ. नियुक्त किया गया था और वे वास्तव में रेविन के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन को संभालने के वैध इरादे से भारत आई थीं। वास्तव में, दावेदार इस तथ्य से कतराता नहीं है कि इस घटना और उद्देश्य की उत्तरदाताओं की अपनी विशेष व्याख्या के बावजूद, सुश्री फरीस ने रेविन का नियंत्रण लेने का इरादा किया था। दावेदार का

इसलिए समग्र मामले का सिद्धांत व्यक्तित्वों के किसी भी टकराव पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि उस तारीख को जब जे. वी. ए. की शर्तों के तहत शक्ति और नियंत्रण निर्णायक रूप से उससे दूर जाना था। श्री करिया। यह दावेदार का मामला है कि श्री करिया केवल [2020] 4 एस. सी. आर. नहीं थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के प्रावधानों का पालन करने के लिए तैयार हैं और रेविन के दिन-प्रतिदिन के नियंत्रण में रहने और दावेदार को इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग करने से रोकने की इच्छा रखते हैं। दूसरे शब्दों में, दलों की प्रतिद्वंद्वी स्थिति के बीच एक सीधा विभाजन होता है। किसी भी पक्ष ने यह सुझाव नहीं दिया कि दोनों संस्करण सार में सही हो सकते हैं। इसलिए न्यायाधिकरण को निष्कर्ष निकालना होगा कि सबूत कहां है और कौन सा संस्करण तथ्यों के अनुरूप है।

इस मामले का बहुत विस्तार से जवाब दिया गया था, यह पाते हुए कि यह प्रत्यर्थी नंबर 1 नहीं बल्कि लैंट थे जिन्होंने भौतिक रूप से इस स्थिति का उल्लंघन किया था, इस स्थिति को देखते हुए, न्यायाधिकरण ने अंततः निर्णय दिया:

" 291. न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार के भौतिक उल्लंघन के आरोपों के पक्ष में किए गए निष्कर्षों को देखते हुए यह स्वाभाविक रूप से इस प्रकार है कि

उत्तरदाता इन आरोपों में सफल नहीं होते हैंकुप्रबंधन

292. श्री ढल्ल द्वारा सुश्री माथुरे की नियुक्ति और तथाकथित प्राधिकरण प्रपत्र के आसपास के पूरे आचरण के संबंध में उत्तरदाता स्वयं भौतिक उल्लंघन में थे। श्री ढल को निलंबित करने में दावेदार भौतिक उल्लंघन में नहीं था। उससे बहुत दूर। हालाँकि, उत्तरदाता इस निलंबन पर अपनी प्रतिक्रिया के कारण स्पष्ट रूप से भौतिक उल्लंघन में थे, जिसके परिणामस्वरूप एक दिन का प्रतिबंध लगा।

हड़ताल करें।

293. आकृति कार्यालय में दावेदार नामितों की उपस्थिति का सवाल उस गाथा का एक और अध्याय है जिसमें

उत्तरदाता गंभीर आलोचना के बिना सामने नहीं आते हैं। जैसा कि इस पुरस्कार से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जनवरी 2012 में अक्रुति में (यहां तक कि इसकी आग से ग्रसित स्थिति में भी) और इस आधार पर ऐसी स्थिति थी कि दावेदार उम्मीदवारों के लिए अपनी सुरक्षा के डर के बिना उपस्थित होना वास्तव में संभव नहीं था।

294. अंत में, सी. ई. ओ. और सी. एफ. ओ. की नियुक्ति के आसपास की परिस्थितियाँ दावेदार की ओर से किसी भी संभावित सामग्री उल्लंघन को जन्म नहीं देती हैं। दावेदार एक सी. एफ. ओ. और सी. ई. ओ. को नामित करने का हकदार था। उन्होंने ऐसा ही किया। उत्तरदाताओं ने सुश्री फरीस की नियुक्ति का विरोध नहीं किया। फिर भी उन्होंने किया

एक बार जब उसे नियुक्त किया जाता है तो हर मोड़ पर उसे बाधित करें क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि वह जे. वी. ए. के अनुसार रेविन का दिन-प्रतिदिन नियंत्रण लेना चाहती थी और उत्तरदाता नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। श्री ब्रुनेटी, सी. एफ. ओ., उत्तरदाता विजय करिया और ओ. आर. एस. के संबंध में।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उनकी नियुक्ति को वीटो कर दिया। यह उनकी ओर से कोई भौतिक उल्लंघन नहीं था क्योंकि जे. वी. ए. की अनुसूची IX के तहत ऐसा करना उनका अधिकार था। फिर भी इसे भौतिक उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है

दावेदार। यह असहनीय है।

निष्कर्ष

295. प्रतिवादी दावेदार द्वारा किए गए जे. वी. ए. के किसी भी भौतिक उल्लंघन को स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं।

89. यह मामला होने के कारण, यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के जवाबी दावे पर एक निर्धारण करने में विफल रहा है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 और उसके परिवार को हटाने के प्रयास जे. वी. ए. का उल्लंघन है। अपीलार्थियों के मामले और प्रत्यर्थी के प्रति-मामले पर विचार करते समय, न्यायाधिकरण ने अभिवचनों, साक्षयों को स्वीकार किया है और इस बारे में विस्तृत निष्कर्ष दिए हैं कि अपीलार्थी जे. वी. ए. के भौतिक उल्लंघन में क्यों हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी को जे. वी. ए. के भौतिक उल्लंघन में नहीं कहा जा सकता है। यह मामला होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस भौतिक मुद्दे का उत्तर द्वितीय आंशिक अंतिम पुरस्कार द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए, यह जमीन भी धारा 48 के तहत बताए गए किसी भी कबूतर-छेद के भीतर नहीं आती है।

III.The न्यायाधिकरण इस पर निर्णय लेने में विफल रहा

अपीलार्थियों का प्रतिवाद-रेविन ट्रेडमार्क के पंजीकरण से संबंधित दावा

90. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि न्यायाधिकरण अपीलार्थियों के प्रतिवाद पर कोई निर्णय लेने में विफल रहा-यह दावा करते हुए कि प्रतिवादी

नंबर 1 का रेविन ट्रेडमार्क को अपने नाम से पंजीकृत करने का गुप्त प्रयास जे. वी. ए. का भौतिक उल्लंघन था। जब प्रथम आंशिक अंतिम निर्णय पर विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यस्थ के समक्ष जो तर्क दिया गया था, और इसलिए मध्यस्थ द्वारा जवाब दिया गया था, वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण को ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौते में जाने का अधिकार क्षेत्र था। प्रथम आंशिक अंतिम पुरस्कार रिकॉर्ड:

“ IX. न्यायक्षेत्र पर न्यायाधिकरण का निर्णय

134. अंत में, न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के दायरे पर तीन छोटे बिंदु थे

जे. वी. ए में समझौता।135. समझदारी से, पक्षों ने इन बिंदुओं पर केवल बहुत संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दीं। एक बिंदु पर, ऐसा लगता था कि प्रत्यर्थियों ने स्वीकार किया कि न्यायाधिकरण के पास वह अधिकार क्षेत्र नहीं है जो उसके पास [2020] 4 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेकिन इसके बजाय विभिन्न समझौतों के तहत कार्यवाही की बहुलता की किसी भी संभावना से बचने के लिए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर सहमत होने के लिए दावेदार को आमंत्रित कर रहा था।136. हालाँकि, अंत में, प्रत्यर्थियों के वकील ने न्यायाधिकरण को इन छोटे बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित किया। तीन अंक इस प्रकार थे:

1) क्या जे. वी. ए. के खंड 27.1 के तहत न्यायाधिकरण को यह तय करने का अधिकार क्षेत्र है कि राविन को पंजीकृत करने का अधिकार किसे है

ट्रेडमार्क।

2) क्या न्यायाधिकरण के पास ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौते के कथित उल्लंघनों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

3) क्या न्यायाधिकरण के पास कथित निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है

तकनीकी सहायता समझौते का उल्लंघन।

137. न्यायाधिकरण का निष्कर्ष है कि इन तीनों मामलों में से किसी के संबंध में उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।

140. इससे न्यायाधिकरण के लिए ऐसे विवादों की मध्यस्थता के दिलचस्प और कठिन प्रश्नों पर आगे विचार करना अनावश्यक हो जाता है, भले ही वे न्यायाधिकरण के दायरे में आते हों।मध्यस्थता समझौता। न्यायाधिकरण इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है, यह तर्क नहीं दिया गया है, लेकिन यह देखता है कि यह किसी भी तरह से एक पूर्व निष्कर्ष नहीं है कि इस तरह के विवाद अंग्रेजी कानून के तहत मध्यस्थता योग्य होंगे।

141. इसके अलावा, ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौते (अनुसूची 5 के रूप में) और तकनीकी विजय करिया और ओआरएस के तहत क्रमशः विवाद।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सहायता समझौता (अनुसूची 6 के रूप में)

न्यायाधिकरण की अधिकारिता।

142. यह सामान्य आधार है कि दोनों पक्षों ने अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के रूप में तकनीकी सहायता समझौते के रूप में एक ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौता किया था।

समाधान प्रावधान। ट्रेडमार्क लाइसेंस समझौते और तकनीकी सहायता समझौते के तहत या उससे संबंधित विवादों को विवाद समाधान प्रावधानों के अनुसार हल किया जाना है। उन समझौतों के तहत। न्यायाधिकरण ने कहा कि यदि जे. वी. ए. के खंड 9 के तहत कोई विवाद हुआ था कि क्या वास्तव में उन दो और समझौतों में प्रवेश करने के लिए वाचा का पालन किया गया था, तो यह जे. वी. ए. के तहत एक विवाद होगा।

समझौता। फिर भी, यह मामला आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है

प्रत्यर्थियों ने अपने अनुरोधित मामले में "।

91. हमने मध्यस्थ के समक्ष 12 और 13 दिसंबर, 2012 दोनों को सुनवाई की प्रतिलिपि देखी है जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा कभी भी कोई तर्क नहीं दिया गया था कि प्रत्यर्थी ने गुप्त रूप से रेविन ट्रेडमार्क को अपने नाम पर पंजीकृत करने का प्रयास किया था, और इसलिए इसका उल्लंघन किया गया था

जे. वी. ए. के प्रतिस्पर्धा खंड। इस प्रकार हम संतुष्ट हैं कि यह तर्क फिर से एक विचार के बाद प्रतीत होता है जिसका कोई आधार नहीं है

विद्वान मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुतियाँ। यह निवेदन फिर से धारा 48 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार के भीतर नहीं आता है।

IV. न्यायाधिकरण ने पक्षों के विशेषज्ञ के विपरीत काम किया

ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण के संबंध में गवाहों और महत्वपूर्ण साक्षयों की अनदेखी की गई

92. डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने पक्षों के विशेषज्ञ गवाहों के प्रवेश के विपरीत काम किया और एसीपीएल के अधिग्रहण के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षय की अनदेखी की। इसके अलावा, चूंकि प्रतिवादी ए. सी. पी. एल. द्वारा किए गए प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए एक प्रतिकूल निष्कर्ष [2020] 4 एस. सी. आर. निकाला जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध, जो अपीलकर्ताओं का आरोप है कि विद्वान मध्यस्थ ऐसा करने में विफल रहा।

93. विद्वान मध्यस्थ ने द्वितीय आंशिक अंतिम पुरस्कार में अपने दृष्टिकोण का संकेत इस प्रकार दिया:

" 23. इसलिए पक्षकारों की विस्तृत प्रस्तुतियों ने न्यायाधिकरण के निर्णयों के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं और कथित भौतिक उल्लंघन के व्यक्तिगत विवरणों पर अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में न्यायाधिकरण की सहायता की है, लेकिन यह संभव नहीं है और न ही न्यायाधिकरण के लिए प्रत्येक उप-तर्क और निर्दिष्ट साक्षय के प्रत्येक टुकड़े का विस्तृत विश्लेषण करना वांछनीय है।

सिद्धांत।24. प्रतिद्वंद्वी सिद्धांतों के संबंध में, न्यायाधिकरण ने व्यापक मामले के सिद्धांतों की दृष्टि नहीं खोई है जो विवादित घटनाओं और आरोपों को तैयार करते हैं। नवंबर 2011 और मार्च 2012 के बीच महत्वपूर्ण अवधि से उत्पन्न व्यक्तिगत और सामूहिक आरोपों की सत्यता का परीक्षण पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी सिद्धांतों के संदर्भ में किया जा सकता है और वास्तव में किया जाना चाहिए और जरूरी नहीं कि इसे अलग किया जाए और इसकी जांच की जाए।

सार में "।

94. न्यायाधिकरण ने तब दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार के अनुच्छेद 216 से 244 तक कुछ विस्तार से ए. सी. पी. एल. के अधिग्रहण पर गौर किया और कहा कि द्राका के अधिग्रहण पर श्री करिया की समकालीन प्रतिक्रिया, जिसके कारण 60 सहायक कंपनियों का अप्रत्यक्ष अधिग्रहण हुआ, जिनमें से एक ए. सी. पी. एल. थी, वह बहुत खुश थे कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने व्यवसाय का इतना विस्तार किया था। कई बधाई ईमेल मध्यस्थ द्वारा संदर्भित किए जाते हैं। इसके अलावा, मध्यस्थ ने पाया कि श्री करिया का

जिरह में दिए गए बयानों से पता चला कि उन्हें नवंबर 2010 में इस अधिग्रहण के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी जे. वी. ए. के भौतिक उल्लंघन की शिकायत नहीं की। मध्यस्थ ने गंभीर वास्तविक नुकसान या हानि के रूप में साक्षय की भी जांच की, दोनों कंपनियों के एक ही व्यवसाय के लिए निविदा देने के सामयिक उदाहरणों को छोड़कर, ऐसा कोई विश्वसनीय साक्षय नहीं मिला। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि रेविन के व्यवसाय में विजय करिया और ओआरएस थे।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

'द्राका अधिग्रहण' के बाद खो गया था या राविन से ए. सी. पी. एल. या इसके विपरीत व्यवसाय का कोई मोड़ था। मध्यस्थ ने तब अभिनिर्धारित किया कि ए. सी. पी. एल. एक छोटा विशेषज्ञ केबल व्यवसाय है और मुख्य रूप से इसमें संचालित होता है।इंस्ट्रूमेंटेशन केबल का क्षेत्र, जो वह क्षेत्र नहीं है जिसमें रेविन काम करता है। विद्वान मध्यस्थ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में विशेषज्ञ गवाहों के साक्षय को भी स्वीकार किया। इसमें श्री कारिया की जिरह का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्री कारिया स्वयं

ए. सी. पी. एल. को अपने छोटे व्यवसाय को देखते हुए 50वां या 60वां प्रतियोगी माना जाता है। इसलिए, निष्कर्ष यह था कि ए. सी. पी. एल. का अधिग्रहण किसी भी तरह से जे. वी. ए. का गंभीर भौतिक उल्लंघन नहीं था। 95. जहाँ तक अपनी सहायक ए. सी. पी. एल. के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफलता का संबंध है, यह होना चाहिए

उन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालयों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह मध्यस्थ की शक्ति के भीतर नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दे जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। किसी भी स्तर पर अपीलकर्ताओं ने इस प्रक्रियात्मक आदेश के अनुपालन में कार्य नहीं किया और ए. सी. पी. एल. को अपने कब्जे में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए एक अंग्रेजी अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसा होने के कारण, जैसा कि यहाँ ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, कोई पक्ष प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है जब वह ऐसे पक्ष के नियंत्रण में था कि वह यू. के. न्यायालय का दरवाजा खटखटाएऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए। ऐसा न किए जाने पर, यह स्पष्ट है कि जैसा कि तर्क दिया गया है, विद्वान मध्यस्थ द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए यह आधार भी धारा 48 के तहत हमारे सामने तर्क दिए गए किसी भी आधार के भीतर नहीं आता है।

V. जे. वी. ए. की विकृत व्याख्या

96. डॉ. सिंघवी के अनुसार, जे. वी. ए. के खंड 21 की न्यायाधिकरण की व्याख्या विकृत है। जैसा कि आयोजित किया गया है, कुछ का उल्लेख करते हुए

ऊपर उद्धृत निर्णय, विशेष रूप से श्री लाल महल (उपरोक्त), एक मध्यस्थ द्वारा एक समझौते की व्याख्या विकृत होने का कोई आधार नहीं है जो इसमें निहित किसी भी आधार के तहत बनाया जा सकता है।

धारा 48 (1) (बी)। इसलिए यह जाने बिना कि क्या न्यायाधिकरण की व्याख्या संतुलित, सही या यहां तक कि प्रशंसनीय है, इस आधार को खारिज कर दिया जाता है।

[2020] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

VI. न्यायाधिकरण ने इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्षय की अनदेखी की -

एजेंसी समझौतों और प्रत्यक्ष बिक्री का मुद्दा

97. डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने स्वीकारोक्ति की अनदेखी की

एजेंसी समझौतों और प्रत्यक्ष बिक्री के मुद्दे के संबंध में प्रतिवादी और अन्य महत्वपूर्ण साक्षय। दूसरा आंशिक अंतिम पुरस्कार इस मुद्दे और एजेंटों के साथ समझौतों के बारे में बहुत विस्तार से बताता है।पैरा 245 से पैरा 279 तक। सबूतों की जांच करने के बाद, इस दलील को खारिज करने के लिए कम से कम पांच कारण दिए गए हैं कि एजेंसी या वितरण समझौते जे. वी. ए. का उल्लंघन करते हुए किए गए थे। इसके अलावा,

जहाँ तक भारत में प्रत्यक्ष बिक्री का संबंध है, अभिवचनों और साक्षय पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने अपने मामले को अपने अभिवचन मामले से बदल दिया और अब एक मामला आगे बढ़ाया कि प्रत्यक्ष बिक्री का तथ्य जे. वी. ए. के खंड 8 और 20 का भौतिक उल्लंघन है, जो उनके निर्धारण नोटिस में कहा गया था। यहाँ तक कि

अन्यथा, न्यायाधिकरण ने पाया कि निम्नलिखित कारणों से कोई भौतिक उल्लंघन नहीं हुआ था:

" 277. हालाँकि, वे बिक्री सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी।

केबल, नेटवर्क और घटक और सेवाएँ। रेविन ने नहीं किया उन प्रकार के तारों का निर्माण करें। वास्तव में बिक्री का 85 प्रतिशत से अधिक

दूरसंचार केबलों का निर्माण करने वाले दो सहयोगियों से आया था, जो

रेविन ने निर्माण नहीं किया था और न ही उसे बेचने का कोई अनुभव था। वास्तव में न्यायाधिकरण सुश्री फरीस के साक्षय को स्वीकार करता है और

इस मुद्दे पर श्री कोच और श्री कर्वे (देखें, अन्य बातों के साथ-साथ, §§ 5-8, E (I) /

10 / 56-57 , §23 , ई (आई)/26/206, §23, ई (आई)/26/207, §§ 18 - 32. ई (आई)/23 /

184-186 , 11 दिसंबर 2012 सुनवाई, पीपी। 134-140 , §46 , ई (आई)/17 /

92 , दिन 2, पीपी। 83-86 , §18 का, ई (1)/24/189)। यह सब कुछ प्रस्तुत करता है

के आधार पर बिक्री के मोड़ या सद्भावना के उल्लंघन का तर्क

ये प्रत्यक्ष बिक्री कुछ हद तक अकादमिक हैं।

278. वास्तव में ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदाताओं ने ऐसा क्यों किया

उनके तर्क पर इतना जोर दिया कि केवल तथ्य

बिक्री एक उल्लंघन था चाहे कुछ भी हो। एक बार ऐसा हुआ था

श्री साल्वे एस. सी. ने अपने मौखिक समापन तर्क में इसे कैसे रखा

(दिन 10, पृ. 183-185) हालाँकि, न्यायाधिकरण ने इसके खिलाफ पाया है

इस बिंदु पर उत्तरदाता "।

98. इस ओर से पुरस्कार का अवलोकन करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि

न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्ष बिक्री के मुद्दे के संबंध में किसी भी तरह से स्वीकार या अन्य महत्वपूर्ण साक्षय की अनदेखी की है। किसी भी मामले में, यदि बिल्कुल भी हो, तो यह मैदान विजय करिया और ओआरएस है।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पुरस्कार की कथित विकृति के लिए जाता है, जो हमारे द्वारा आयोजित किया गया है ऊपर, धारा 48 के दायरे से बाहर है।

VII. न्यायाधिकरण ने अलग-अलग सीमाओं को अपनाया

सामग्री उल्लंघन का निर्धारण करना

99. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी और अपीलार्थी के बीच भौतिक उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए अलग-अलग सीमाएं अपनाई हैं।

उत्तरदाता। एक बार फिर, इस आधार के तहत लगाए गए सभी आरोप पुरस्कार की विकृति में जाते हैं, जो धारा 48 के दायरे से बाहर है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार के पैराग्राफ

104 से 106 में इंगित करता है कि सामग्री उल्लंघन का निर्धारण करने में कोई अलग-अलग सीमा निम्नानुसार नहीं अपनाई गई थी:

" (3) चूक की घटनाओं पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष निर्भर थे

दावेदार द्वारा

104. न्यायाधिकरण ने सामग्री उल्लंघन की स्थापना के लिए परीक्षण को ध्यान में रखा है जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ 37-47 में पहचाना गया है। दावेदार ने नवंबर से समय सीमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरदाताओं के आचरण के कई अलग-अलग पहलुओं को विशिष्ट किया है।

2011 फरवरी 2012 तक। दावेदार और उत्तरदाताओं में से प्रत्येक के पास इनमें से प्रत्येक विवरण पर उन्नत विस्तृत साक्षय और प्रस्तुतियाँ हैं जैसा कि ऊपर संबोधित किया गया है। फिर भी उल्लंघनों का पूर्ण अलगाव में इलाज नहीं किया जा सकता है। कई उदाहरणों में उल्लंघनों को कथित आचरण के एक पैटर्न के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है जिसमें समान गवाह और प्रतिद्वंद्वी साक्षय और प्रतिद्वंद्वी "मामले के सिद्धांतों" के संबंध में उनकी विश्वसनीयता के सवाल शामिल हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी आरोप एक साथ खड़े हैं या गिरते हैं, लेकिन एक आरोप के संबंध में एक या दूसरे पक्ष द्वारा दी गई कहानी की विश्वसनीयता के संबंध में एक निष्कर्ष कहानी के अन्य हिस्सों की विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है।

105. इसलिए व्यक्तिगत आरोपों की ओर रुख करने से पहले प्रत्येक पर मुख्य गवाहों के बारे में कुछ कहना आवश्यक है। पक्ष और उनकी विश्वसनीयता और व्यवहार, एक बार फिर से आगे बढ़े साक्षय की समीक्षा और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद।

106. न्यायाधिकरण को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि दावेदार द्वारा बुलाए गए मुख्य गवाह सच्चे, ईमानदार और भारत में एक कठिन और तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे थे

के अनुसार मामलों को हल करने की कोशिश जारी रखी

जे. वी. ए. के प्रावधान। "[2020] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

VIII. न्यायाधिकरण का चयनात्मक विचार

समकालीन साक्षय

100. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि समकालीन आचरण का न्यायाधिकरण का विश्लेषण चयनात्मक और विकृत है। इस आधार पर किसी भी अधिक विवरण में गए बिना, इस तर्क को हाथ से खारिज कर दिया

जाना चाहिए, क्योंकि यह धारा 48 के मापदंडों के भीतर नहीं आता है। समान रूप से, प्रमुख गवाहों के चयनात्मक और विकृत होने के साक्षय पर न्यायाधिकरण के विचार को उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

IX. न्यायाधिकरण ने एक परस्पर विरोधी मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया

101. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने एक परस्पर विरोधी मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया, जिसने अपीलकर्ताओं को मूल्यांकन अभ्यास में भाग लेने से रोक दिया। विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिनांकित अंतिम पुरस्कार 11.04.2017 में इस पर निम्नानुसार विचार किया गया है:

" II. डेलॉयट मूल्यांकन रिपोर्ट और उत्तरदाता '

डेलॉयट के लिए चुनौती

4. इस स्तर पर एक विशिष्ट मामले को यहाँ दर्ज करना महत्वपूर्ण है जिसे दावेदार की प्रस्तुतियों में संदर्भित और निर्धारित किया गया है (पृष्ठों 170-172 पर पैराग्राफ 24 और अनुलग्नक E देखें) और उत्तरदाताओं द्वारा अपनी प्रस्तुतियों में इसका खंडन नहीं किया गया है। 14 अक्टूबर 2014 को (अनुलग्नक ई पी। 171), श्री करिया ने उत्तरदाताओं की ओर से दावेदार के 14 अक्टूबर 2014 (अनुलग्नक ई p.170) के अनुरोध के जवाब में दावेदार को एक ईमेल भेजा कि उत्तरदाता कंपनी को समय पर डेलॉयट के लिए सगाई पत्र को निष्पादित करने के लिए प्रेरित करते हैं। 14 अक्टूबर 2014 को (अनुलग्नक ई p.171), उत्तरदाताओं के लिए श्री करिया ने डेलॉयट की सगाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने के कारण विवादित थे। यह एक उल्लेखनीय रुख था। 30 अप्रैल 2013 को उत्तरदाताओं ने अपने वकीलों द्वारा भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से पुष्टि की थी कि उत्तरदाता डेलॉयट के लिए सहमत थे।

या के. पी. एम. जी. जे. वी. ए. के तहत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। न्यायाधिकरण ने प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 12 की प्रस्तावना में इसे नोट किया और दर्ज किया, हालांकि तारीख को 30 अप्रैल 2014 के रूप में संदर्भित किया। स्थिति के इस परिवर्तन को सही ठहराने के लिए अप्रैल 2013 या प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 12 के बाद से परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ था। न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थियों ने यह स्थिति मूल्यांकन अभ्यास और शेयरों के परिणामी हस्तांतरण में बाधा डालने, देरी करने और हतोत्साहित करने के प्रयास में ली। उत्तरदाताओं ने ए. वाई. करिया और ओ. आर. एस. की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाया।

वी. प्रियस्मियन कैव ई सिस्टेमी एस. आर. एल. और ओ. आर. एस. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उनके ईमेल में बिंदु। प्रत्येक का उत्तर दावेदार के वकीलों के 15 अक्टूबर 2014 के ईमेल में दिया गया था (अनुलग्नक ई पी देखें। 170 दावेदार की प्रस्तुतियों के लिए)। संक्षेप में, उत्तरदाता था

प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 12 के बाद की स्थिति में नहीं है और डेलॉयट के साथ इसके पूर्व समझौते के बाद डेलॉयट की नियुक्ति पर आपत्ति करने या न करने के लिए अपने समझौते को रोकने के लिए। यह उत्तरदाताओं के समझौते के संकेत या गैर के बाद आदेश दिया गया था

डेलॉयट को आपत्ति।

5. प्रत्यर्थियों ने पहले ऐसे किसी भी मामले की पहचान करने की मांग नहीं की थी, जिसने डेलॉयट को कार्य करने से वंचित कर दिया था, बल्कि उनके नाम को नियुक्ति के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष रखने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा, पहचाने गए मामलों ने किसी भी स्थिति में डेलॉयट की स्वतंत्रता या जे. वी. ए. के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित नहीं किया। तथ्य यह है कि डेलॉयट से उत्तरदाताओं द्वारा संपर्क किया गया था

स्वतंत्र मूल्यांकन लेकिन के कारण कार्य करने से इनकार कर दिया थामूल्यांकनकर्ता के रूप में कंपनी के लिए आसन्न भूमिका केवल उनकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए नहीं है। तथ्य यह भी है कि

उत्तरदाताओं ने मध्यस्थता में पहले डेलॉयट को कुछ कंप्यूटर फोरेंसिक अभ्यास करने के लिए कहा था, जिस पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा नहीं किया गया था और न ही यह उनकी स्वतंत्रता को बाधित करता था। अंत में, उत्तरदाताओं ने डेलॉयट का उल्लेख किया कि उसने एक कंपनी पावर प्लस केबल कंपनी एल. एल. सी. ("पावर प्लस") के लेखा परीक्षक के रूप में काम किया था।

संयुक्त अरब अमीरात में निगमित और दुबई में स्थित है जिसमें रेविन है

एक 49 प्रतिशत हिस्सेदारी, यह कंपनी के समान इकाई नहीं है, और डेलॉयट की स्वतंत्रता का विरोध नहीं करता है और जे. वी. ए. के खंड 17.3 की शर्तों के तहत उन्हें नियुक्त होने से प्रतिबंधित नहीं करता है। खंड 17.3 केवल मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने वाले जे. वी. ए. के पक्षकारों के सांविधिक लेखा परीक्षक पर प्रतिबंध पर लागू होता है। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि डेलॉयट रेविन का सांविधिक लेखा परीक्षक था। पावर प्लस जे. वी. ए. की पार्टी नहीं थी। इसके अलावा, जे. वी. ए. के खंड 17.1 ने स्पष्ट रूप से डेलॉयट को मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए एक उपयुक्त स्वतंत्र पार्टी के रूप में पहचाना। किसी भी घटना में, पावर प्लस के लेखा परीक्षक के रूप में डेलॉयट की भूमिका उत्तरदाताओं को पता थी और अपने 30 अप्रैल 2013 के ईमेल में डेलॉयट पर आपत्ति नहीं करने के लिए सहमत होने के बाद यह अब उनके लिए खुला नहीं था।

उत्तरदाता इस बिंदु को आगे बढ़ाएँ। जे. वी. ए. का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, लेकिन भले ही ऐसा हुआ हो, लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा इसे माफ कर दिया गया था।

6. इस प्रकार इस आदान-प्रदान के बाद, डेलॉयट प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 12 में प्रदान किए गए डिफ़ॉल्ट तंत्र के माध्यम से नियत समय पर लगे हुए थे। ”

हम संतुष्ट हैं कि विद्वान मध्यस्थ ने इस बिंदु पर कुछ विस्तार से विचार किया है और इसे खारिज कर दिया है। यह आपत्ति फिर से धारा 48 में उल्लिखित किसी भी आधार के तहत नहीं आती है।

एक्स. मूल्यांकन पावर प्लस में रेविन की हिस्सेदारी की अनदेखी करता है

102. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि डेलॉयट द्वारा किए गए मूल्यांकन ने पावर प्लस नामक कंपनी में रेविन की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी हिस्सेदारी का मूल्यांकन अपीलकर्ताओं के मूल्यांकनकर्ता (एक बीडीओ) द्वारा 563 करोड़ रुपये किया गया है। यह देखते हुए कि डेलॉयट द्वारा इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था, मूल्यांकन रिपोर्ट को विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

मध्यस्थ, दोनों पक्षों द्वारा ली गई स्थिति के विपरीत भी होना। इस प्रस्तुति को विद्वान मध्यस्थ द्वारा बहुत विस्तार से निपटाया गया था

अंतिम पुरस्कार दिनांक 11.04.2017 का अनुच्छेद 19। अन्य बातों के अलावा, विद्वान मध्यस्थ ने जेवीए के खंड 17 का उल्लेख किया और कहा कि उक्त खंड का उसमें निर्धारित सूत्र के साथ डेलॉयट द्वारा पालन किया गया था। चूंकि ऐसा किया गया था, इसलिए डेलॉयट को संभवतः दोष नहीं दिया जा सकता है और आगे पावर प्लस में रेविन की हिस्सेदारी को ध्यान में रखने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह जे. वी. ए. के बाहर जाएगा। यह फिर से मध्यस्थ को निर्धारित करने का मामला है। यह फिर से एक ऐसा मैदान है जो पूरी तरह से बाहरी है जो धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों को चुनौती दे सकता है।

XI. मूल्यांकन तिथि

103. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने इसके विपरीत काम किया अंतिम पुरस्कार की तारीख जो कि 11.04.2017 है, बहुत बाद में 30.09.2014 की मूल्यांकन तिथि पर पहुंचने में पक्षों की प्रस्तुतियाँ, क्योंकि पार्टियों ने सहमति व्यक्त की थी कि यह तारीख शेयर की वास्तविक बिक्री की तारीख के सबसे करीब की तारीख होनी चाहिए और केवल 31.12.2014 तक ही मान्य होगी। विद्वान मध्यस्थ ने अंतिम निर्णय दिनांक 11.04.2017 में इस आपत्ति को निम्नानुसार निपटाया:

" D. मूल्यांकन तिथि

24. उत्तरदाताओं ने यह भी शिकायत की कि प्रक्रियात्मक आदेश के दौरान 30 सितंबर 2014 की मूल्यांकन तिथि के लिए प्रदान की गई संख्या 12, डेलॉयट ने इसके बजाय 31 जुलाई 2014 के रूप में डेटा का उपयोग किया। उत्तरदाताओं ने भी शिकायत कीकि चूंकि रिपोर्ट केवल नवंबर 2015 में जारी की गई थी, इसलिए मूल्यांकन पुराना था।

25. न्यायाधिकरण निम्नलिखित कारणों से इस आलोचना की वैधता को स्वीकार करने में असमर्थ है:

1) डेलॉयट रिकॉर्ड करता है कि उसने 30 सितंबर 2014 तक कंपनी से डेटा का अनुरोध किया था, लेकिन यह डेटा डेलॉयट को प्रदान नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल ने पहले इस पुरस्कार में उन तथ्यों का पाठ किया है जिनसे ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि डेलॉयट के साथ कंपनी के सहयोग की कमी को प्रतिवादी द्वारा प्रभावी रूप से नियंत्रित और निर्देशित किया गया था। यह विशेष रूप से डेलॉयट को सगाई पत्र जारी करने में कंपनी की विफलता के संबंध में मामला था।प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 12 का पालन करना। इसलिए न्यायाधिकरण नेयह निष्कर्ष निकालता है कि यह उत्तरदाताओं के लिए शिकायत करने के लिए खुला नहीं है डेलॉयट को और अधिक जानकारी की कमी साबित की जा रही है। यह उत्तरदाता थे जो उस डेटा के प्रावधान या गैर-प्रावधान के नियंत्रण में थे।

2) न्यायाधिकरण ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थियों को डेलॉयट मूल्यांकन रिपोर्ट के उत्पादन में देरी की शिकायत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उस देरी का योगदान डेलॉयट के संबंध में प्रत्यर्थियों की शिकायत के कारण था। भागीदारी जो एल. सी. आई. ए. में की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थियों ने अपनी प्रस्तुति में इस बात से इनकार नहीं किया है कि उन्होंने एल. सी. आई. ए. को ऐसी शिकायत की है और दावेदार के इस कथन का खंडन नहीं किया है कि इस शिकायत ने भौतिक रूप से योगदान दिया है।डेलॉयट रिपोर्ट के उत्पादन में देरी के लिए।

3) इसके अलावा, उत्तरदाताओं को शिकायत करने का अधिकार नहीं है कि डेलॉयट ने 30 सितंबर 2014 की मूल्यांकन तिथि का उपयोग किया है। यह क्या मूल्यांकन की तारीख पर सहमति थी और इसके लिए अनुरोध किया गया था उत्तरदाता। इसके अलावा, जैसा कि अक्टूबर 2014 में सुनवाई से पहले प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 12 के पाठ में दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन की तारीख का आदेश दिया गया था, उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मूल्यांकन का प्रश्नतारीख उचित रूप से न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर और उसके निर्धारण के लिए एक मामला था। ट्रिब्यूनल ने तब उत्तरदाताओं के अनुरोध पर मूल्यांकन के लिए एक आदेश दिया।

यह पता लगाने के बाद कि मूल्यांकन रिपोर्ट में देरी अपीलार्थियों के कारण हुई थी और इसलिए 30.09.2014 सही तारीख की सहमत तिथि, हम पुरस्कार में ऐसा कुछ भी नहीं पाते हैं जिससे हमारी अंतरात्मा को दूर से झटका लगे। इसलिए यह मैदान भी अस्वीकार कर दिया। डॉ. सिंघवी की भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्ति का प्रयोग करने की तीव्र याचिका, ताकि मूल्यांकन की तारीख को 30.09.2014 से हमारे निर्णय की तारीख में स्थानांतरित किया जा सके, विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्ष को देखते हुए भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में कुछ भी लागू करने वाली अदालत को किसी विदेशी पुरस्कार में जोड़ने या घटाने की अनुमति नहीं देगा, जिसका विरोध करने के लिए धारा 48 के तहत किसी भी आधार के कारण इसे लागू या खारिज किया जाना चाहिए।ऐसे विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन। अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का उपयोग मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 में निहित विधायी नीति को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

बारहवीं। असंगत पुरस्कार

104. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि प्रथम और द्वितीय आंशिक अंतिम पुरस्कार में न्यायाधिकरण का निर्णय, की व्याख्या के संबंध में खंड 21 असंगत और अपरिवर्तनीय है। इस तथ्य के अलावा कि हम खंड 21 के संबंध में उक्त दो पुरस्कारों में कुछ भी असंगत और अपरिवर्तनीय नहीं पाते हैं, यह आधार फिर से किसी भी तरह से हमारी अंतरात्मा को झकझोर नहीं देता है और इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

तेरहवीं। फेमा और उसके तहत नियमों का उल्लंघन

105. डॉ. सिंघवी ने तब तर्क दिया कि डेलॉयट द्वारा उचित बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत छूट पर शेयरों की बिक्री का आदेश देते हुए, फेमा और इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा, क्योंकि यह भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस निर्णय के पैराग्राफ 79 से 84 में दिए गए कारणों के लिए, यह आधार फिर से किसी भी योग्यता से रहित है। वास्तव में, विद्वान मध्यस्थ ने डेलॉयट मूल्यांकन के अनुसार प्रति शेयर आई. एन. आर. 63.90 प्रदान किया, जो जे. वी. ए. के खंड 17 के तहत संविदात्मक रूप से बाध्यकारी था। इसलिए, मेसर्स कल्याणीवाला और मिस्त्री की दिनांकित 04.03.2016 मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रति शेयर INR 16.88 का कम मूल्यांकन स्वीकार नहीं किया गया था।

XIV। न्यायाधिकरण का पक्षपात

106. अंत में, डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि विद्वान मध्यस्थ स्पष्ट रूप से दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार के परिणाम में पक्षपाती थाउत्तरदाता नंबर 1 को स्पष्ट था, क्योंकि इसके एजेंट, एक मेसर्स गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन भेजा थारेविन के लिए, दूसरे आंशिक अंतिम पुरस्कार से दो महीने पहले, जिससे पता चलता है कि यह एजेंट कार्यवाही के परिणाम के बारे में स्पष्ट था। प्रत्यर्थी द्वारा इसका दृढ़ता से खंडन करते हुए कहा गया कि किसी भी समय विजय करिया और ओआरएस नहीं था। गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स को उनके द्वारा बरकरार रखा गया। वास्तव में, मैसर्स की2 पीपल नामक एक एजेंसी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था जिन्हें नियत समय में कंपनी के लिए भर्ती किया जा सकता था। मेसर्स की2 पीपल ने बदले में मेसर्स गिल्बर्ट ट्वीड एसोसिएट्स को नियुक्त किया। किसी भी मामले में, प्रतिवादी ने समाप्त करने का बीड़ा उठाया मेसर्स की2 पीपल का जुड़ाव इसके 28.10.2013 ईमेल द्वारा। इस प्रकार पक्षपात का आरोप स्पष्ट रूप से एक हताश विचार था। इस तर्क से कि मध्यस्थ अन्यथा पक्षपाती था, अंतिम निर्णय में निम्नानुसार निपटा गया था:

" 16. प्रत्यर्थियों ने बार-बार इस आरोप का भी उल्लेख किया है कि न्यायाधिकरण में स्वतंत्रता की कमी है और प्रत्यर्थियों ने न्यायाधिकरण में उन मामलों का निष्पक्ष निर्धारण जारी रखने में विश्वास खो दिया है जो विवाद में बने हुए हैं।

17. ये आरोप उत्तरदाताओं द्वारा पहले ही उठाए जा चुके हैं और एल. सी. आई. ए. अदालत द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रत्यर्थियों ने अंग्रेजी न्यायालय में किसी भी प्रक्रिया को लागू करने की मांग नहीं की है, जो पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के साथ सीट का न्यायालय है। यदि उत्तरदाता एल. सी. आई. ए. न्यायालय के फैसले को चुनौती देना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में न्यायाधिकरण की आगे की

भागीदारी को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थियों को अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1996 में प्रदान की गई सख्त समय सीमा के भीतर एक चुनौती लानी पड़ी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह खेदजनक है कि उत्तरदाताओं ने इस निराधार और अनिर्दिष्ट आरोप को आगे बढ़ाना जारी रखा। न्यायाधिकरण ने अतीत में एक ओर स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बीच के अंतर को इंगित किया है और दूसरी ओर एक मध्यस्थ की भूमिका जिसे प्रतिद्वंद्वी तर्कों, पूर्ण रूप से विरोधी और अपरिवर्तनीय स्थितियों के बीच निर्णय लेना है और उसके सामने साक्षय का सीधा टकराव और फिर इस तरह के निष्कर्षों को उसके सामने विवादों पर लागू करना है। यह मध्यस्थता प्रक्रिया का एक अंतर्निहित और अपरिहार्य हिस्सा है कि जहां पक्षों ने, जैसा कि वास्तव में इस मध्यस्थता में मामला रहा है, साक्षय और कानून पर मौलिक रूप से विरोधी स्थिति ली है कि कई निर्णय लेने होंगे जो अंततः एक पक्ष को निराश करेंगे। यह ठीक ऐसा ही एक विवाद रहा है। हालाँकि, यह इस प्रक्रिया की एक विशिष्ट विशेषता रही है कि उत्तरदाताओं ने न केवल अपनी बात रखी हैनिराश हैं लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया है न्यायाधिकरण मध्यस्थता के दौरान पार्टियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और जे. वी. ए. की शर्तों का पालन नहीं करेगा जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा अपने पूर्व पुरस्कारों में पाया और निर्धारित किया गया। वर्तमान जैसे विवाद में जहां यह आवश्यक रहा हैपुरस्कारों की एक श्रृंखला प्रदान करते हुए, न्यायाधिकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक हैकिसी भी बाद के पुरस्कार में पूर्व निष्कर्ष।

पुरस्कार द्वारा प्राप्त निष्कर्ष, जो स्पष्ट रूप से मामले के गुणों में एक प्रयास है, और जिसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन के साथ पठित मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। हमने विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित चार पुरस्कारों को विस्तार से पढ़ा है और संतुष्ट हैं कि उन्होंने साक्षय पर विस्तृत चर्चा की है और प्रत्येक मुद्दे, दावों और प्रतिवाद के लिए विस्तृत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और अंत में प्रत्यर्थी के मामले को स्वीकार कर लिया है और अपीलकर्ताओं को खारिज कर दिया है। इस तथ्य को देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारा अधिकार क्षेत्र स्वयं सीमित है, और इस तथ्य को देखते हुए कि इस न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से एक ऐसे मामले द्वारा लिया गया है, जिसे पहले ही गुण-दोष के आधार पर चार विस्तृत पुरस्कारों और बॉम्बे उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय द्वारा निपटाया जा चुका है, हम इन अपीलों को 50 लाख रुपये की लागत के साथ खारिज करते हैं, जिसका भुगतान अपीलकर्ता द्वारा आज से 4 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 को किया जाना है।

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।